६/-

माघ-फाल्गुन २०५७ फरवरी २००१

स्वदेशी पत्रिका

य स्वाभिमान, आर्थिक स्वावलंबन, राष्ट्रीय पुनर्रचना तथा स्वदेशी संदेश की संवाहिका

क्यों उड़ती जा रही है चीन में भारतीय कम्पनियाँ?

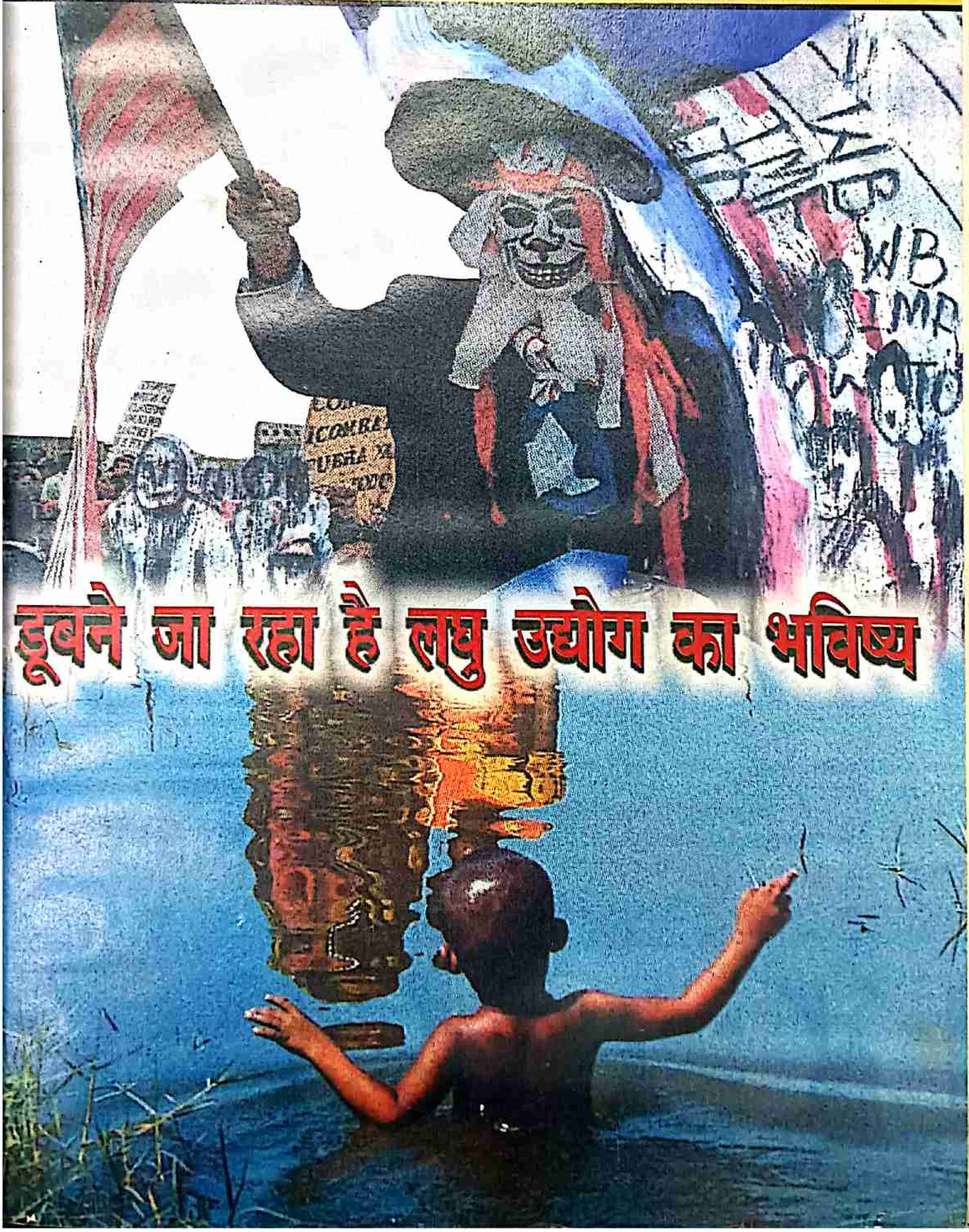

नाद निरंतर है

हम हमेशा नहीं चाहते
सीधे धागे में कोई गाँठ
हम तम से ज्योति के पथिक--
अमृतपायी लोग कहते हैं–
समय के बन्धनों में बने
साहब–चपरासी, चोर–सिपाही,
नेता–जनता हुए चेहरो!
तुम लोग त्रिवेणी पर
एक साथ आओ – डुबकी लगाओ
एकात्म हो जाओ – अमृत पाओ
निःश्रेय बनो – आज के दिन,
जीवन–स्तरों, साधन–संग्रहों–
पद–शासनों से मुक्त होकर देखो–
ईश्वर का ज्योतित आँगन – आज के दिन।

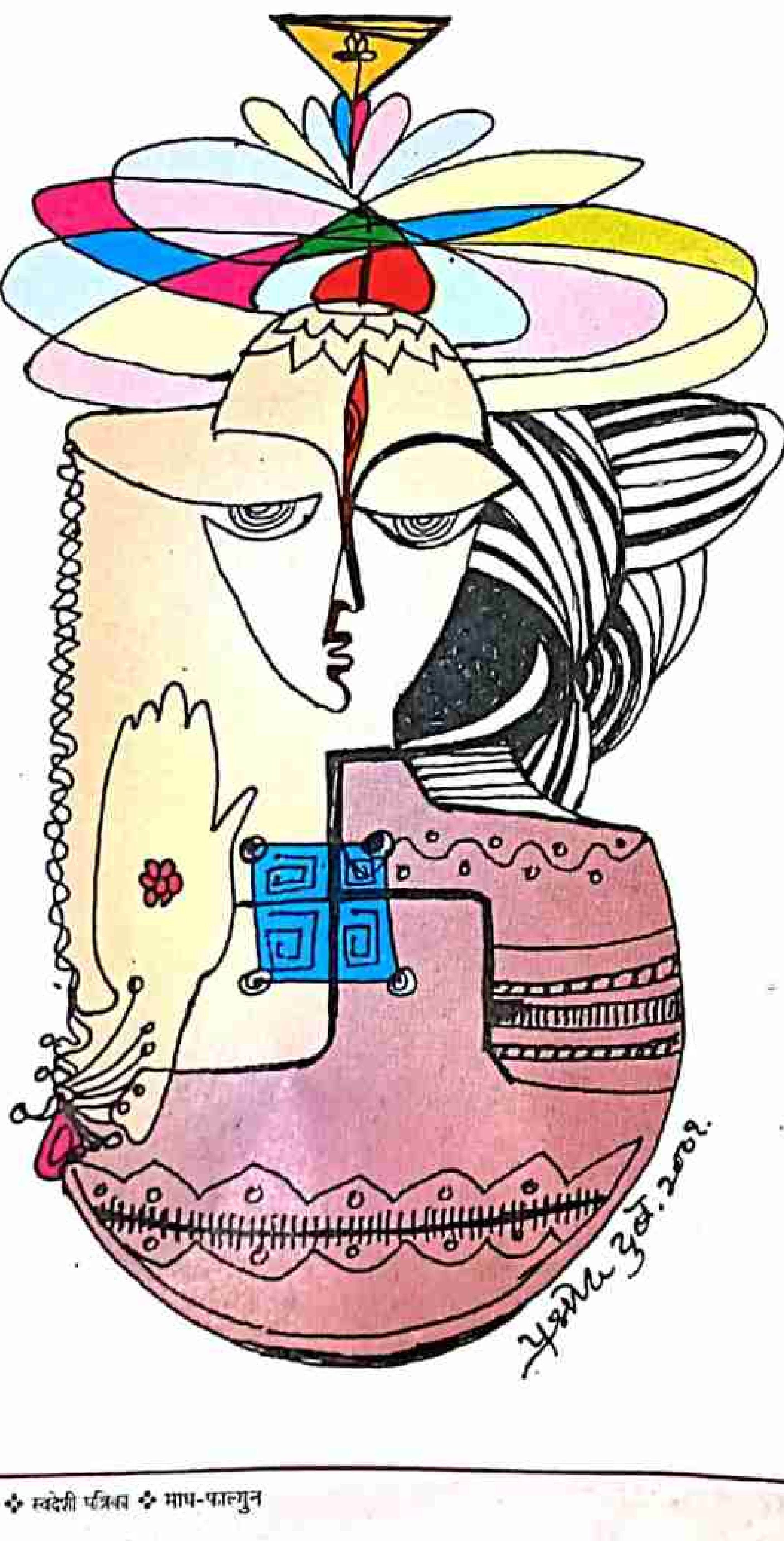

दूसरी ओर
वे आक्रांता व्यापारी भी
भ्रांत निःश्रय बनाते हैं,
उन्हें टी.वी. के पर्दों पर
पाँच तारा होटलों में
पर्यटन स्थलों पर
परोसते है।
वह हाहाकार का किंग
स्टेफिन हाकिंग भी
भ्रांत कथन का निःश्रय गढ़ता है–
'मर्लिन मुनरों मेरे साथ है'
'ईश्वर भी नहीं बता सकता भविष्य'।
हाकिंग का बाजार–भाव बढ़ाते
गणमान्य भी नहीं जानते–
हाकिंग के वक्तव्यों से
क्या–क्या बुरे असर पड़ते हैं
उनकी उपस्थिति से
कैसे गरमाता है–
सूचना का बाजार
गर्म–गर्म खबरें बेंचते हैं अखबार,
कैसे बढ़ता है–
धनिकों के बैंक बैलेंस
और कैसे दिग्भ्रम–ग्रस्त
जन मानस ज्योति से वंचित
अनास्थित हो
अनैतिकता में फँसता है
गाँवों–पहाड़ों – वनों के जीव–जन्तु भी
करते हैं भूकम्प की भविष्यवाणी
बिलों से भागते हुए,
हम कहते हैं, ईश्वर बचाता है इन्हें
फिर भी हम यह दावा नहीं करते
कि हम ईश्वर को जानते हैं
वह यह जानता है–वह नहीं जानता।
हम जानते हैं–
विस्फोट की हाहाकारी आवाज 'बिग वैंग' है,
महानाद या ब्रह्मनाद नहीं,
भारत के बोध का
नाद –
निरंतर है अनहद है– सनातन,
जिसे छूते हैं। हमारे लोग आज भी
जिसके अमृत में नहाते हैं
हमारे लोग आज भी।

– पारिजात पुष्प

Scanned with OKEN Scanner

अपनी वार्ता

प्रिय पाठकवृन्द,

आर्थिक आक्रांताओं का चतुर्दिक आक्रमण अब प्रभावकारी होकर सामान्य जनजीवन की तबाही बनता दिखने लगा है स्वदेशी आंदोलन की प्रासंगिता और भूमिका दिनानुदिन बढ़ती जा रही है। आपकी स्वदेशी पत्रिका ने अबकी बार व्यवस्था के परोक्ष प्रेरक तत्वों से क्षत-विक्षत हो रहे देश के लघु उद्योगों पर अग्रलेख का आयोजन किया है और चीन के व्यापारिक युद्ध को रेखांकित कर रही है साथ ही भारतीय रेल पर छाए संकट की काली घटा को भी। आशा है, आपको पसंद आएगा।

नमस्कार।

आपका

अनुक्रम

अग्रलेख

डूबने जा रहा है लघु उद्योगों का भविष्य
पी.डी. कार्तिकेय........................./७

लघु उद्योग विरोधी नयी टैक्सटाइल नीति
रुद्र दत्त........................./१५

लेख

पेटेंट कानून के पेंच
भरत झुनझुनवाला......................./२३

स्वदेशी इतिहास दृष्टि की आवश्यकता
अतुल रावत.........................../२५

संस्कृति

क्यों होनी चाहिए - उद्देश्य और व्यवस्था की अनुरूपता
डॉ. प्रमोदकुमार दुबे..................../२८

लेख

मानसिकता बदलेगी तो रास्ता जरूर मिलेगा
डॉ. विजय सोनकर शास्त्री............./३२

कृषि नीति : राजनेताओं द्वारा किसानों के मात्र वोट प्राप्त करने की नीति
मूंगालाल सुरेका................../३३

खाद्य सुरक्षा : सामाजिक विषमताएँ और समाधान
नरेश सिरोही....................../३६

स्तंभ

खेत की मेंड़ से/६, रपट/३८, हलचल/४२, समाचार परिक्रमा/४३

संपादकीय कार्यालय : ६०, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-११० ००१ • दूरभाष : ३०१८७७५

ई-मेल : swadeshisampark@rediffmail.com

स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–६, अंक–५

माघ–फाल्गुन २०५७, फरवरी, २००१

:: अमर वाणी ::

इहैव सन्तोऽथ विद्मस्तद् वयम्, न चेदवेदीर्महतो विनष्टिः। ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्ति, अथेतरे दुःखमेवापि यन्ति॥

प्रभो! इसी जन्म के अंदर यदि हम आपको साक्षात् कर लें तो अच्छी बात है, अन्यथा महान् अनर्थ होगा। जो जन आपको जान जाते हैं वे अमर हो जाते हैं, दूसरे दुःख के भागी बनते हैं।

• • •

अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः। स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता, तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम्॥

प्रभो! आपके न हाथ हैं, न पांव हैं, परंतु सबको ग्रहण करने वाले हैं, और सबसे अधिक वेग वाले हैं। आपकी आँखें नहीं, परंतु देखते सब कुछ हैं। आपके कान नहीं, परंतु सुनते सब कुछ हैं। आप सबको जानते हैं, परंतु आपको पूर्णतया जानने वाला कोई नहीं। आप ही सबके नेता, महाप्रभु, सर्वशक्तिमान हैं।

(भक्ति दर्पण)

मुख्य संपादक :
डॉ. महेश चंद्र शर्मा

कार्यकारी संपादक :
डॉ. प्रमोदकुमार दुबे

मूल्य : एक अंक - ६ रुपए
वार्षिक सदस्यता शुल्क - ६० रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्क – १०००/-

विशेष सूचना : अपनी सदस्यता सूची एवं सदस्यता फार्म कृपया अपना नाम व पता, पिनकोड सहित साफ-साफ शब्दों में लिखकर भेजें।

Scanned with OKEN Scanner

उन्होंने कहा

मेरा विश्वास है कि किसी भी देश में उद्योग के समक्ष आई समस्याओं का निदान निजीकरण से नहीं किया जा सकता। सफलता का राज कुशलता है न कि निजीकरण।

भारत मूल के ब्रिटिश उद्योगति

स्वराज पाल

हर देश को अपने लिए एक सामाजिक व्यवस्था और विकास-पथ चुनने का हक है।

चीनी नेता

ली फंग

खेती के मामले में कॉरपोरेटाइजेशन की कोशिश और छोटे भूमि मालिकों को अपनी जमीन लीज़ पर कंपनियों को देने की नई शुरुआत घातक होगी।

समाजवादी नेता

मधुदण्डवते

आजकल सब अल्पसंख्यकों की भावनाओं की बात करते हैं, क्या बहुसंख्यकों के पास भावनाएँ नहीं होती।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रवक्ता

माधव गोविंद वैद्य

परमाणु युद्ध में कोई नहीं जीतता और मानवता घटती है, परमाणु हथियार युद्ध लड़ने के नहीं होते।

जनरल **जनरल सुंदरराजन पद्नाभन**

पाठकनामा

स्वदेशी कर्त्तव्य

आज पाश्चात्य संस्कृति की लपटें भारत के व्यक्ति को भारतीय संस्कृति से वंचि करने में लगी है, माँ के आँचल में पलने वाला बालक भी इनके दुष्प्रभावों से दी हो रहा है। हमारे राष्ट्र की संस्कृति का सबसे बड़ा आधार हमारी माताएँ हैं। धार्मि जगत व व्यवहारिक सामाजिक जगत के सभी मनुष्यों को मातृ-सत्ता की सुरक्षा अपने-अपने स्तर से प्रभावी प्रयास करना चाहिए। इस कर्म में प्रत्येक व्यक्ति अ आपको शामिल करें। इसका एक श्रेष्ठ माध्यम 'स्वदेशी आंदोलन' है।

स्वदेशी आंदोलन को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए विदेशी या बहुराष्ट्रीय कंपनि द्वारा निर्मित उपभोग की वस्तुओं को त्यागना चाहिए। जैसे कालगेट टूथ पेस्ट व पेय आदि पेय पदार्थों का बहिष्कार किया जाए। इस प्रकार के प्रयासों से भारतवासी तम शोषणकर्ता बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत से सफाया कर देश को आर्थिक गुलामी बचा सकते है। कागजी नियमों, राजनेताओं एवं राजनैतिक पार्टियों से ज्यादा ताकत हमारा दृढ़ निर्णय हो सकता है और यह दृढ़ निर्णय व संकल्प हम लोगों के व्यव में आने से शोषकों और शासकों द्वारा निर्मित नियमों का अंत भी हो सकता है। सरक का अंकुश प्रत्येक नागरिक है। नागरिक को अपना दायित्व भली-भाँति समझना चाहि अगर अपने दायित्वों के प्रति सजह है तो परिवार, समाज, राष्ट्र सभी उचित दिशा कार्य करेंगे।

यशवंत सिंह, *श्री गंगानगर, राजस्*

गुजरात में भूकंप

जरूरत है ईमानदारी से सहयोग करने की भावना का

मैं स्वदेशी पत्रिका का नियमित ग्राहक हूँ। स्वदेशी पत्रिका में आए-दिन नए लेखों द्वारा पत्रिका में जिस तरह से नए-नए विषय पेश किए जाते है उसको देखकर यह लगत कि हमारे देश में आने वाले वक्त में काफी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ आने लगी है जिससे हम उद्योग-धंधों पर भी काफी प्रभाव पड़ने वाला है। यह काफी अच्छी बातें पत्रिका में दी ज हैं। परंतु आपसे मेरा निवेदन है कि आज देश में जो भूकम्प गुजरात में आया है उसके बारे अगली बार अवश्य लिखें और वहाँ के लोगों को समस्त भारत से आर्थिक सहायता प्रदान क में आपकी पत्रिका का सहयोग भी होना चाहिए। गुजरात में २६ जनवरी, २००१ की सु शायद न भूलने वाली बात कही जा सकती है, जिस प्रकार प्राकृतिक आपदा ने यह तबा मचाई उसको देखकर इंसान का दिल-दहक सकता है। ऐसे वक्त में मैं आपकी पत्रिका ह लोगों में यह संदेश भेजवाना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में हम समस्त भारतवासी गुज के लोगों को फिर से बसने में आर्थिक सहायता करें, इसमें हमारे सहयोग के साथ-साथ गु के प्रत्येक नेता, अफसर और छोटे-से लेकर बड़े आदमी तक को सहयोग करना पड़ेगा। भू में मारे गए लोगों की संपत्ति उनके रिश्तेदार को फिर से वापिस करने का सबसे पहला वहाँ के लूटरों को करना चाहिए और जो लोग मौत के इस ताण्डव में अपना आराम ढूँ है, उन्हें भी अब जाग जाना चाहिए। यह प्राकृतिक आपदा कहीं भी घट सकती है।

– सुनील

एस-४९२, गली नं. ५, स्कूल

शकरपुर,

Scanned with OKEN Scanner

भामाशाह तो नहीं बनेंगी विदेशी कंपनियाँ

अभी नॉर्थग्रीड फेल हो जाने से आए बिजली–संकट के दिनों जब एनरॉन से सहयोग की अपेक्षा की गई उसने बिजली देने के बदले कठोर व्यवसायिक रूख अपनाया। उसे संकट की घड़ी में भरपूर पैसे वसूलने की बात सूझी। यह साफ–साफ समझ लेनी चाहिए कि विदेशी कम्पनियाँ हमारे देश में पैसा कमाने आ रही हैं भामाशाह बनने नहीं, जो राष्ट्रीय संकट में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। राज्य व्यवस्था को चाहिए कि वह आर्थिक व्यवस्था में ऐसे राष्ट्रनिष्ठ हाथों को ही सबलता प्रदान करे जो राष्ट्रहित में काम आ सके। विदेशी आर्थिक शक्तियाँ देश की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को भी मनमाने ढंग से बदलने का प्रयास कर सकती हैं! एनरॉन–विवाद के प्रारंभिक दिनों में स्व. रामदास नाईक ने महाराष्ट्र उच्च न्यायालय में एनरॉन के खिलाफ याचिका दायर की थी विडम्बना देखिए उन्हें राष्ट्रीयहित की इस याचिका को जोरदार बहस से विजय की ओर ले जानेवाला कोई अच्छा वकील तक नहीं मिला था। करोड़ों रुपये खर्च कर इस विदेशी कम्पनी ने सभी अच्छे वकीलों को अनुबंधित कर लिया था।

सामाजिक चरित्र से नैतिकता के समाप्त होते ही अराजकता बेरोक बढ़ेगी, जिसे दण्ड और न्याय नियंत्रित नहीं कर सकते। इन दिनों के सूचना युग ने महाकुम्भ के पावन पर्व पर सामाजिक चरित्र के निर्माण में धर्म की सत्ता का अनुभव किया। करोड़ों की संख्या से निर्मित जन–समुद्र की उत्ताल लहरों का जय–गर्जन और अनेक ऐतिहासिक संकटों में समायोजित हुई राष्ट्रीय शक्तियों के संगठनों के दृश्य नागा वैरागी आदि साधु–योद्धाओं के अखाड़ों के रूप में देख सूचना–युग हतप्रभ हुआ। आज फिर संकट का समय है–. राष्ट्रीय शक्तियों के संगठन का समय। इस समय युद्ध के हथियार बदल गए हैं, लेकिन पराधीनता के दुष्परिणाम नहीं बदले। पराधीन बनानेवाली शक्तियों से लोहा लेने के लिए राष्ट्रीय शक्तियों को पुनः संगठित होना होगा। आर्थिक मोर्चे पर लड़ने के लिए उसी ऐतिहासिक कालक्रम में नई कड़ी बनानी होगी। वर्तमान का पाँव विगत की धरती पर सबलता से खड़ा हो सकता है। विगत आन्दोलन के आयामों के साथ नये आयामों का जुड़ाव हमें चतुर्दिक जागरुकता और सहयोग दे सकता है।

धर्म अर्थ की नियंत्रक और प्रेरक सत्ता है। यह सत्ता उपभोक्ताओं की पतनोन्मुख गति को थाम सकती है यह सामाजिक चरित्र और राष्ट्रभक्ति को जगा सकती है। यदि धर्म की वास्तविक छवि को धूमिल न किया जाए तो यह अमृत कुम्भ हमें कभी मरने नहीं दे सकता। शायद इस शक्ति का अनुभव महाकुम्भ के पावन पर्व और वहाँ आए साधु महात्माओं की विकृत छवि निर्माण करने में लगे कुछ सूचना विक्रेता छायाकारों को भी था, जो चाहते थे कि भारत के और विश्व के जनमानस को धर्म की शक्ति से विमुख किया जाए, जन जीवन तम से ज्योति की ओर नहीं प्रवृत्त हो, बल्कि ज्योति से तम की ओर प्रवृत्ति हो और उपभोक्ता बनकर नष्ट हो। ऐसे षड्यंत्रों से दूर रहते हुए हमें यह जानना जरूरी है कि धर्म चेतना मात्र भक्ति भाव का स्रोत नहीं, अपितु नैतिक बल और राष्ट्रनिष्ठा का मेरूदण्ड भी है। इसके आधार पर हम अपनी स्वतंत्रता, सम्प्रभुता को बनाए रख सकते हैं।

आज चल रहे आर्थिक विश्व युद्ध के प्रतिभागियों के बीच स्वार्थ के टकराव से बनती दरारें भी हमें दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने हितों में तत्पर रहने के लिए उत्साहित कर रही है। यूरोपीय संघ अमेरिकी रवैया से संतुष्ट नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप के बासमती चावल के आयात को यूरोप में मिलते बढ़ावे से दुःखी अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन की अदालत का दरवाजा खटखटाया है। ब्रिटेन और भारत के वाणिज्य मंत्रियों ने नये विश्व व्यापार संगठन की संभावनाओं पर चर्चा भी की है। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में शरीक होने जाते हुए भारत के वित्त मंत्री ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में समानता बनाने के लिए विकसित देशों से आयात शुल्क कम करने और विकासशील देशों पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों को हटाने की बात कहीं। यह कथन चरितार्थ तभी हो सकता है जब भारत अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए रणनीति बनाए। विकासशील देशों को एकजुट कर उनका प्रतिनिधित्व करे। इस प्रकार की अपेक्षा भारत सरकार से बहुत पहले से स्वदेशी जागरण मंच भारत सरकार से करता रहा है। दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव और नीति चातुर्य में कमी के कारण स्थिति बिगड़ती गई है। चीन विश्व व्यापार संगठन की शर्तों से मुक्त है। फिर भी वह दृढ़ इच्छा शक्ति और नीति चातुर्य के कारण व्यापार में सफल है। उसके विश्व व्यापार संगठन की शर्तों में बँधने की आशा में कई देशों सहित भारत भी उसका बाजार बनता जा रहा है। उसके डम्पिंग के लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं भारत सरकार चीन के मात्र एक रसायनिक उत्पाद की डम्पिंग पर प्रतिबंध लगा सकी है। चीनी उत्पादों की मार से भारत के उद्योग धंधों पर तबाही छा गई है। देश की बजट को अपने हितों में प्रभावित करने की क्षमता रखने वाले बड़े उद्यमी उत्पाद शुल्क कम करने की माँग कर रहे हैं ताकि वह विदेशी कम्पनियों की जड़े जमने से रोकें। लेकिन, लघु उद्योगों की आंवाज सुनने वाला कोई नहीं। जिस लघु उद्योग पर सर्वाधिक रोजगार और बहुतायात सामान्य उपभोक्ताओं की आपूर्ति निर्भर है उसकी उपेक्षा अधिक मारक हो सकती है। ये आर्थिक लोक तंत्र के आधार हैं, ये विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था के रूप हैं इनकी बड़ी विशेषता यह है कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों को बल प्रदान करते हैं, लोकतन्त्र को उसे पतित बनाने का प्रयास नहीं। ये देश के विकास का सबसे बड़ा माध्यम हैं। विश्व स्तर पर यह देखा जा चुका है कि लघु उद्योग की भूमिका किसी भी देश के विकास में सब से अधिक महत्त्वपूर्ण रही है। आज चीन की जिस चोट से भारत का बाजार तिलमिला उठा है उसमें चीन के लघु उद्योगों की ही ताकत हैं। देश की आर्थिक सुदृढ़ता के लिए लघु उद्योगों को वरीयता देना अत्यंत आवश्यक हैं तभी नैतिक समाज के निर्माण से श्रेष्ठ राजनीतिक ढाँचे की आशा की जा सकती है। बेरोजगारी और अपराध से मुक्ति के लिए इस दिशा में सरकार के दृढ़ प्रयास अपेक्षित है।

Scanned with OKEN Scanner

अन्न घर में है, भाव नहीं

आज किसानों की बदहाली के विरुद्ध उन्हीं की अदालत में हर राजनीतिक दल उनके मुकदमें की पैरवी करता लगता है। समकालीन राजनीति की यह अनोखी घटना है कि वादी-प्रतिवादी गण एक ही कठघरे में खड़े दिख रहे हैं। मुजरिम कोई एक नहीं, इस दौर की समूची राजनीतिक पीढ़ी है, जो समय-समय पर पक्ष-प्रतिपक्ष की भूमिका में उपस्थित रही है। किसान-राग का अलाप महज राजनीति का हिस्सा न बनें, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। राजनीति में मौजूदा रस्म-अदायगी के दौर में किसानों के जुनूनी सवाल कहीं उसके हवालें न हो जाए, उसके प्रति सर्तकता जरूरी है। उतना ही जरूरी है इन सवालों के अल्पकालिक और दीर्घकालिक समाधान की यथाशीघ्र कोशिश। अन्यथा इन सवालों की जमीनी सच्चाई जो संकेत कर रही है वह देश के लिए बड़ा ही नुकसानदेह है। इतना नुकसानदेह कि इसकी कल्पना शायद मौजूदा हुक्मरानों को न हों।

पिछले दिनों अपने कालम में कवि केदारनाथ सिंह ने महाप्राण निराला के एक कविता का एक शब्द बदलकर उसे "अन्न बाजार में है, भाव नहीं। जैसे लड़ने को खड़े दाँव नहीं।" इस रूप में पेश किया। दरअसल उसे होना चाहिए इस तरह कि "अन्न घर में है भाव नहीं। जैसे लड़ने को खड़े दाँव नहीं।"

जिस इलाके के कवि केदार हैं उस इलाके के किसानों के अनाज अभी बाजार जा ही नहीं पाया, किसी कोना-कोनासी में पड़ा है। घुन की रखवाली में, बनिया की बाट जोहता हुआ, सुबह-शाम बनियों की चिरौरी करते हुए। उत्तरा नक्षत्र के बाद टूटी बरसात ने किसानों का मनोबल इस कदर ध्वस्त कर दिया है कि तीज त्यौहार, शादी-ब्याह जैसे मौके भी उसके जेहन में कोई हुमस नहीं पैदा कर पा रहा है। हाँ, गाँवों में इस बीच एक तबका जरूर पैदा हुआ हैं, जो जीव और जीविका के अभिन्न संबंधों से बेखबर है। शहरों की चकाचौंध और आधुनिक जीवन शैली की भद्दी नकल गाँवों की स्थापित मान्यताओं और आपसी संबंधों को बेरहमी से रौंद रही है। गाँव की नयी पीढ़ी पुरानी मान्यताओं को तोड़ रही है जरूर। पर कुछ नया दे नहीं पा रही है। इसकी वजह शायद यह है कि खेती के इर्द-गिर्द बुने सामाजिक सरोकार विश्वव्यापी बाजार के सामने बौना साबित हो रहा है।

पीढ़ी-दर-पीढ़ी खेती पर जीवन-यापन करने वाला किसान परिवार इस विश्व बाजार वाले पहलवान के सामने अखाड़े में ऐसे खड़ा है, जैसे उसे चित करने का उसके पास कोई दाँव यानी कोई उपाय नहीं है। गनीमत है कि अखाड़े में अभी वह खड़ा है। यह तो अखाड़े के गुरु पर निर्भर करता है कि वह अपने से वजनी पहलवान से लड़ने के लिए हर तरह के पैतरे और दाँव से अपने पहलवानों को लैश करें।

राजनीतिक दलों के नेताओं गैरराजनीतिक संगठनों, कृषि अनुसंधान के वैज्ञानिकों और इन सवालों के प्रति संवेदनशील प्रत्येक नागरिक को अपने आसपास इसी भूमिका का निर्वाह करना है। इस सर्तकता के साथ कि अपने-अपने अखाड़ा का हर 'लतमरुआ' पहलवान विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अखाड़े में अपनी हड्डी पसली सुरक्षित रखते हुए उनके अखाड़े में कारगर दाँव के जरिए उन्हें चित कर सकें।

इसका उपाय वे ही कर सकते है, जिन्होंने कभी किसानों के दर्द को नजदीक से महसूस किया हों। खाए-पिए-अघाए लोग सिर्फ किसान-किसान चिल्ला सकते हैं। जरूरी वह भी है, पर महज सात रेसकार्स और नार्थ ब्लाक, साउथ ब्लाक तक पहुँचने के लिए नहीं, बल्कि यह महसूस करने के लिए सबका पालन-हार बदहाल होगा, उसका बेटा बेरोजगार होगा तो न देश सुरक्षित रह पाएगा न ही देश की सीमाएँ। टूटे दिल से देश की सीमाओं की रक्षा नहीं होगी। पिछले दो वर्षों के अनुभव इस दिशा की ओर कुछ संकेत कर रहा है। इस दिशा की ओर की खेती में घाटे के अलावा अब कुछ बचा नहीं है। खेती की आमदनी लगातार घट रही है। लागत लगातार बढ़ रहा है। वर्ष १९९८ में देश की कृषि आमदनी ८१,८९५ करोड़ रुपए थी, जो सन् १९९९ में घटकर २६,६४८ करोड़ रुपए रह गई है। पिछले साल और इस साल भी हालात कोई बेहत्तर नहीं हुए है। संकेत ज्यादा बदत्तर होने के हैं। जब से भारत सरकार ने विश्व व्यापार संगठन से हुए करार के तहरत ७१४ जिन्सों से आयात कर हटाकर उनको आयात के लिए खोल दिया, उससे किसानों की जैसे कमर टूट गयी। क्योंकि इनमें ४८२ जिन्सें किसानों अथवा खेती उत्पा[...] संबंधित है। दरअसल १९९१ में शुरु[...] उदारीकरण के दौर में व्यापार की शर्तों ने [...] क्षेत्र को विशेष तौर पर नुकसान पहुँचाया। [...] क्षेत्र में उपयोग आने वाले सामानों के दाम [...] और खेतों में पैदा होने वाले उत्पादों के [...] लगातार घटते गया। जबकि इस दौर में [...] सामानों पर सीमा शुल्क लगा कर खेतिहर उ[...] के दाम बढ़ने की उम्मीद थी। ऐसा तो नहीं [...] बल्कि उल्टे खाद्य उत्पादों की आयात [...] मुक्त करके 'मैन्युफैकचरिंग' क्षेत्र के उत्पा[...] लगे आयात शुल्क की भरपायी हो गयी।

यह एक अजीब स्थिति है कि [...] व्यापार संगठन गरीब देशों पर इस बात के [...] लगातार दबाव बनाए हुए है कि वह अपने [...] के बच्चे को कम से कम दाना पानी दें। [...] उसके पेशीदा पहलवान पूरी दुनिया में दम [...] हुए घूमता फिरें और कमजोर आदमी अपनी [...] मरता रहें। एक अनुमान के अनुसार दुनि[...] अमीर देश अपने किसानों को ३५,००० [...] डॉलर के बराबर की सुविधा यानी सब्सिडी [...] हैं, जबकि गरीब मुल्कों के कुल खेती-उ[...] का निर्यात १७,००० करोड़ डॉलर के बराब[...] इसे ही दुनिया के नए हुक्मरान समतल जमी[...] समान खेल बता रहें हैं। वे चाहते हैं कि उ[...] पूँजी पूरी दुनिया में हँसती-खेलती-इठलाती [...] बेरोक-टोक चली जाएं। खाए-पिए-अघाए [...] किसान पूरी दुनिया में दाम ठोकते फिरें। [...] के गरीब मुल्कों के नेता और उनके [...] पलक पावड़े बिछाये उनकी राह साफ [...] चलें। कुछ नए देशों के इस व्यवस्था में शा[...] होने को वे मानने लगे कि वहाँ की पूरी [...] भी इनकी इस व्यवस्था को स्वीकार कर र[...] इसके मुकाबले लंदन-पेरिस-सिएटल और [...] में होने वाले चंद हजार लोगों के विरोध का [...] मतलब नहीं। दरअसल इस गलफहमी में [...] का क्षणिक आनंद भले हों। लेकिन [...] अन्यायपूर्ण अव्यवहारिक असमानता को [...] वाली व्यवस्था टिकाऊ होगी, इसमें संदे[...] शायद इस वजह से भी धौंस तो पैठ चुकी [...] पर प्रतिरोध के स्वर भी उठने लगा है। [...] पहले की स्थिति बेकाबू हों, इस संकेत [...] समझने और इस व्यवस्था को बदलने [...] जरूरत है।

अग्रलेख

डूबने जा रहा है लघु उद्योगों का भविष्य

■ पी.डी. कार्तिकेय

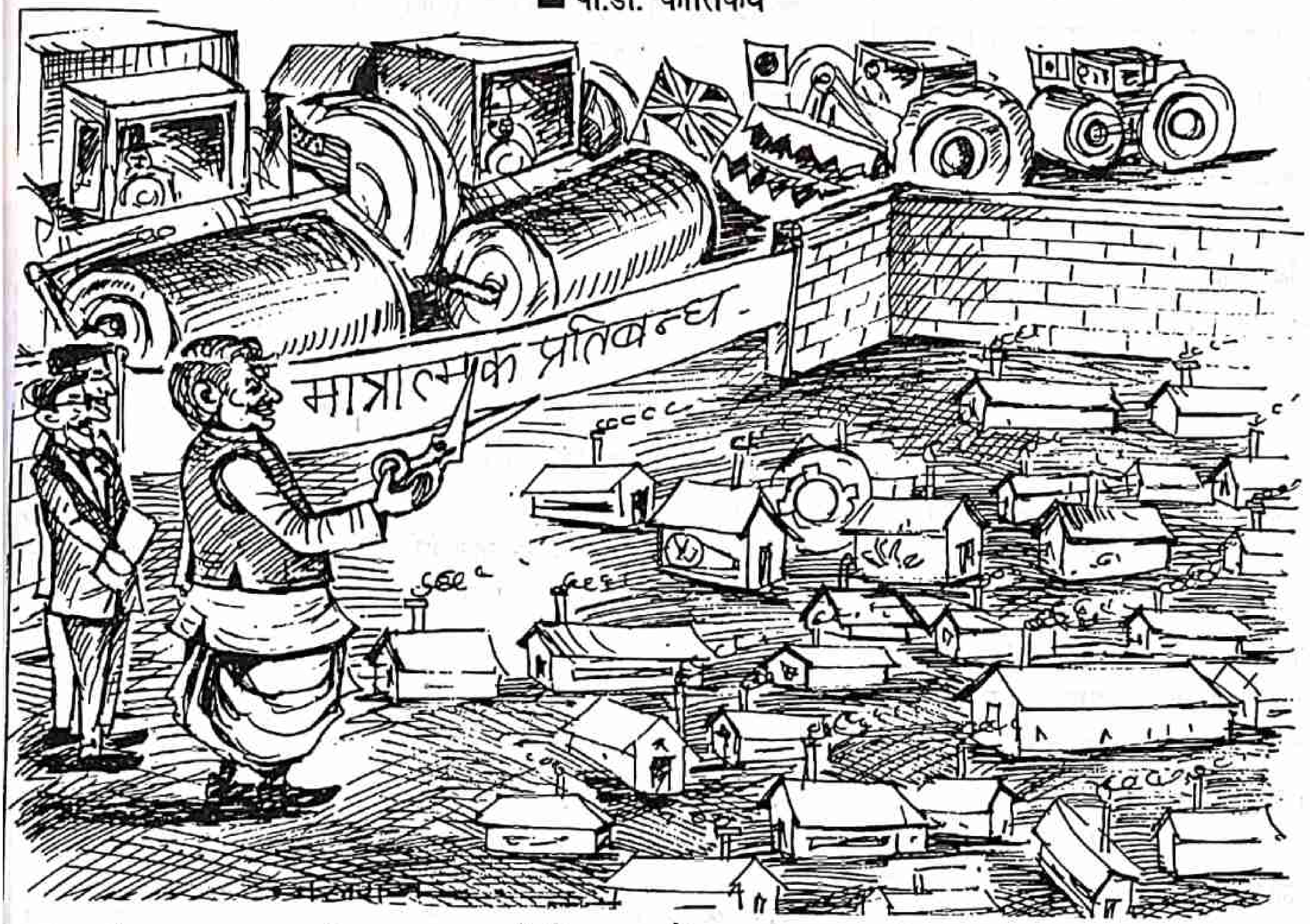

१ अप्रैल, २००१। इस दिन भारत सरकार बाकी बचे वस्तुओं के आयात पर से मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटा देगी। इसके बाद दुनिया भर की तमाम वस्तुओं के लिए भारत की सीमाएं खुल जाएगी। कोई भी आयातक सामान्य आयात लाइसेंस के तहत कितनी भी मात्रा में किसी भी वस्तु के आयात के लिए स्वतंत्र होगा। भारत में उत्पादित वस्तुओं को अपने ही बाजार में विदेशी वस्तुओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। इसका सबसे अधिक असर लघु उद्योगों पर पड़ने की संभावना है। लघु उद्योगपति दहशत में हैं। नयी स्थिति में उन्हें अपने उद्योग पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है।

अमरीकी दबाव में

विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के तहत भारत को १ अप्रैल, २००३ तक मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करना था। पर अमेरिका व अन्य विकसित देशों के दबाव में सरकार को यह समय सीमा घटाकर १ अप्रैल, २००१ करना पड़ा। जब १ जनवरी, १९९५ को विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया था, तभी से सरकार को पता था कि उसे एक दिन अपनी सीमाओं को विदेशी वस्तुओं के लिए खोलना पड़ेगा। पर इतने वर्षों के बाद भी इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। पिछले वर्ष १ अप्रैल तक लगभग १४०० वस्तुओं पर से मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाया जा चुका है। इसका लघु उद्योगों पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

निकम्मी सरकारी मशीनरियाँ

अखबारों में आए दिन लघु उद्योगों के बंद होने की खबरें छपती रहती हैं। पर इस संबंध में विस्तृत आंकड़े किसी के पास उपलब्ध नहीं है। वैसे सरकार ने लघु उद्योगों के लिए स्वतंत्र मंत्रालय बनाया है। लघु उद्योगों के लिए विकास आयुक्त, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक आदि कई भारी भरकम संस्थाएं लगी हैं। पर इन संस्थाओं से लघु उद्योगों का कुछ भला हुआ हो, ऐसा नहीं दिखता। हद तो यह है कि इनके पास लघु उद्योगों से संबंधित ताजा आंकड़े भी

Scanned with OKEN Scanner

उपलब्ध नहीं है। लघु उद्योगों की अंतिम और स्वतंत्र भारत में तीसरी बार गणना १९८८ में हुई थी। उसी पर आधारित अनुमान के सहारे ही नये आर्थिक दौर में भी नीतियाँ बनी और कार्यान्वित हो रही हैं। 'लघु उद्योगों के लिए विकास आयुक्त' के कार्यालय में एक अलग से विश्व व्यापार संगठन विभाग बना हुआ है। पर वह भी अखबारी कतरनों द्वारा जुटाई गई जानकारी पर ही ज्यादा निर्भर है।

डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों के तहत मात्रात्मक प्रतिबंध हटने के बाद लघु उद्योगों पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में विस्तृत सर्वेक्षण और अध्ययन की जरूरत है जिसका अभी तक कोई पता नहीं है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि जहाँ १९९३ में २,३८,१७६ लघु उद्योग बीमार उद्योगों की श्रेणी में थे, वहीं मार्च १९९९ में यह संख्या बढ़कर ३,०६,२२१ हो गई। परन्तु ये आंकड़े भी उन उद्योगों के हैं, जिन्होंने किसी-न-किसी बैंक से ऋण लिया था और अब उसे लौटाने की स्थिति में नहीं है। पूरी जानकारी के अभाव में सरकार की नई लघु उद्योग नीति का परिणाम पहले से ही स्पष्ट है।

लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुदर्शन सरीन का आरोप है, 'सरकार ने मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने के पहले उसके प्रभावों के बारे में न तो कोई अध्ययन करवाया और न ही लघु उद्योगपतियों या उनके संगठनों से बात की।' आज हाल यह है कि ८१२ वस्तुएँ जो लघु उद्योगों के लिए आरक्षित श्रेणी में हैं, में से ६४३ वस्तुएँ बिना किसी रोक-टोक के सामान्य लाइसेंस के तहत आयात हो रही हैं। विडंबना यह है कि अपने देश के बड़े उद्योगपतियों पर तो इन वस्तुओं के उत्पादन पर रोक है। पर, विदेशी उद्योगपतियों के लिए बड़ी मात्रा में उन वस्तुओं के भारत में लाकर बेचने की छूट है। इस तरह लघु उद्योगों के लिए आरक्षण का कोई मतलब नहीं रह गया है। जबकि ३० अगस्त को लघु उद्योगों के लिए पैकेज की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने इस आरक्षण को आगे भी जारी रखने की घोषणा की थी।

सस्ते आयात का लघु उद्योगों पर प्रभाव

बाल बियरिंग उद्योग- राजस्थान की १४ बाल बियरिंग उत्पादक इकाइयों मे ११ इकाइयाँ बंदी के कगार पर।

खिलौना उद्योग - ४,५०० करोड़ के खिलौना बाजार में लगभग २,५०० क के हिस्से पर चीनी खिलौनों का कब्जा, भारतीय उद्योगों का उत्पादन ठप।

मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रानिक्स समान - चीन, जापान, दक्षिण कोरिया वियतनाम से आए सामान से बाजार अटा पड़ा है।

हथकरघा व कपड़ा उद्योग- कोरिया से आयातित कपड़ों के कारण हथक उद्योग बंदी के कगार, पर दिल्ली की कपड़ा मंडी में रोज एक करोड़ रुपये का कोरि कपड़ा बिक रहा है।

साइकिल उद्योग- चीन से आयातित सस्ते साइकिलों के कारण पंजाब के साइकिल उद्योग और उनसे जुड़ी लघु औद्योगिक इकाइयाँ बंदी के कगार पर।

ताला उद्योग-चीन से आयातित सस्ते तालों के कारण अलीगढ़ के प्रसिद्ध त उद्योग संकट में।

घड़ियाँ व टलीफोन उपकरण- चीन से सस्ते आयात का सामना करने में अ पाकर गुजरात की अजन्ता कम्पनी ने भारत में अपनी ईकाइयाँ बंद कर चीन में ल का फैसला किया।

बैटरी - पेंसिल बैटरी क्षेत्र पर चीनी बैटरियों का बढ़ता दबदबा और एसिड बैटरियों के क्षेत्र में चीनी, वियतनामी, दक्षिण कोरियाई बैटरियों के बढ़ते आयात कारण भारतीय उद्योगपतियों द्वारा अपनी इकाई दूसरे देशों में सथानान्तरित करने तैयारी।

छाता उद्योग - चीन से आयातित ससते छातों के कारण कलकत्ता का छाता उ संकट में।

वनस्पति घी व खाद्य तेल उद्योग- नेपाल के रास्ते मलेशिया से पाम तेल नेपाल में उत्पादित वनस्पति घी की मार लघु उद्योगपति और किसान दोनों पर।

प्लास्टिक के सामान-चीन में बनी बहुत सस्ती वस्तुओं के बाजार में भर से इस खेत्र की आधी से अधिक लघु औद्योगिक इकाइयां बंद व अन्य बची हुई इका बंदी के कगार पर।

बिजली के पंखे - चीन से प्लास्टिक के बने सस्ते टेबल व दीवार पंखे आयात के कारण बजाज, ऊषा आदि बड़े उत्पादकों ने अपना उत्पादन बंद वि परिणामस्वरूप इससे जुड़ी सभी लघु औद्योगिक इकाइयाँ बंद।

झूठे सरकारी तर्क

मात्रात्मक प्रतिबंधों के हटने से पड़ने वाले प्रभावों के बारे में सरकार की अज्ञानता जगजाहिर हैं। जुलाई २००० में वाणिज्य मंत्रालय ने एक पुस्तिका छापी। जिसमें विस्तार से बताया गया था कि 'मात्रात्मक प्रतिबंधों के हटने से पड़ने वाले दुष्प्रभावों का भय काल्पनिक' है और इसका दुष्प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर नहीं है, उल्टे उसके कई सकारात्मक प्रभाव हैं। परन्तु अक्टूबर तक आते-आते जब औद्योगिक घरानों और उनके संगठ सस्ते आयातों के चलते औद्यो गतिविधियों के ठप पड़ने का मुद्दा उ जो वाणिज्य राज्यमंत्री उमर अब्दुल्ल घोषणा की, 'भारत को डंपिंग क्षेत्र बनने दिया जाएगा'। यह सरकार

Scanned with OKEN Scanner

मात्रात्मक प्रतिबंधों के हटने से पड़ने वाले दुष्प्रभावों की स्वीकारोक्ति थी। फिक्की ने तो चीन से सस्ते सामानों की डंपिंग पर एक टास्क फोर्स का गठन कर एक महीने के भीतर उसकी अंतरिम रिपोर्ट भी प्रकाशित कर दी। यह बड़े उद्योगों का मामला था इसी कारण सरकार तुरंत हरकत में आ गई। प्रधानमंत्री ने प्रमुख सचिव ब्रजेश मिश्रा की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया जिसका काम डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों के तहत सस्ते आयातों से भारतीय उद्योगों को बचाने के उपाय सुझाने का है। वैसे सरकार की इन कवायदों से उद्योगपतियों का भय दूर नहीं हो पा रहा है। घड़ियाँ और टेलीफोन सेट व कैलकुलेटर बनाने वाली प्रमुख कम्पनी 'अजन्ता' ने अपनी उत्पादन इकाइयों को भारत से चीन स्थानान्तरित करने का फैसला किया है। अजन्ता का फैसला देश के औद्योगिक ढाँचे की विसंगतियों की पोल खोलती है।

जापान एवं चीन का उदाहरण

विश्व के सभी देशों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की मुख्य जिम्मेवारी लघु उद्योगों ने ही निभायी है। योजना आयोग के सदस्य एस.पी. गुप्ता की अध्यक्षता में लघु उद्योगों पर बनाए गए अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार तमाम विकसित और विकासशील देशों के विकास में लघु उद्योग क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। २१वीं सदी में भारत को एक औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरने का सपना भी लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों के समुचित विकास द्वारा ही पूरा हो सकता है। परन्तु इस सपने को साकार करने की क्षमता रखने वाले लघु उद्योगों के लिए कोई सुनिश्चित योजना सरकार के पास नहीं है जबकि विकसित देशों और अग्रणी विकसित देशों ने एक योजना के तहत लघु उद्योगों को स्थापित किया और उसे अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका दी। खासकार जापान में लघु उद्योगों को बड़े उद्योगों के सहयोगी के रूप में विकसित किया गया। इसके अलावा जापान में कई ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ बनायी गईं, जो सिर्फ इन लघु उद्योग और मंझोले उद्योगों के उत्पाद की बिक्री और निर्यात का काम करती है। इस तरह वहाँ के लघु उद्योगों को बाजार तक पहुँचने की समस्या नहीं रही। जबकि भारत में पिछले पचास वर्षों में आज तक इस तरह का ढाँचा विकसित नहीं हो पाया है (लिज्जत पापड़ और अमूल जैसे सहकारी संस्थाओं के अतिरिक्त) दूसरे जापान ने सरकार और उद्योगों को साथ-साथ काम करने के लिए 'मीटी' (मिनिस्ट्री आफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री) का गठन किया है और इसमें तक बड़े उद्योगों को लघु उद्योगों को समय पर भुगतान करने के लिए कड़ा कानून नहीं बन जाता, तब तक भारत में जापान की तरह लघु उद्योग, बड़े उद्योगों के सहयोग के रूप में विकसित नहीं हो सकते'।

१९४८ से लेकर आज तक बनी तमाम औद्योगिक नीतियों में बार-बार कहा गया है कि भारत के संतुलित विकास के लिए लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना जरूरी है। परन्तु इतने लम्बे समय में भी सरकार देश की अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों की विशेष भूमिका को निर्धारित करने में असफल रही है। वास्तव में दूरगामी व स्पष्ट नीति

विश्व व्यापार संगठन के प्रावधान

- वस्तुओं व सेवाओं के मुक्त आवागतन के रास्त के सभी शुल्क व गैर-शुल्क अवरोधों को दूर करना होगा।
- मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट- यदि किसी देश को व्यापार में विशेष रियायत दी जाती है तो वह रियायत अपने आप सभी सदस्य देशों को मिल जाएगी।
- सभी सदस्य देशों को प्रक्रिया पेटेंट की जगह एक समान उत्पाद पेटेंट कानून लागू करना होगा।
- स्वच्छता संबंधी मानकों का पालन सभी सदस्य देशों को करना होगा।
- इसमें सभी वाद योग्य व गैर-वाद योग्य सब्सिडी शामिल है।

सभी बड़े उद्योगों की आपसी समस्याओं को दूर करने का एक अभिनव प्रयोग था, जो पूरी तरह सफल रहा। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि दूसरे विश्व युद्ध में पूरी तरह बर्बाद हो चुकी जापानी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। 'मीटी' के कारण जापान में लघु उद्योगों को बड़े उद्योगों से भुगतान में कभी कोई समस्या नहीं होती। जबकि भारत में लघु उद्योगों को बड़े उद्योगों से भुगतान में देरी सामान्य बात है। इसे रोकने के लिए १९९३ में सरकार ने एक कानून बनाया। पर वह कारगर साबित नहीं हुआ। वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवं स्वदेशी जागरण मंच द्वारा बनाए गए 'लघु उद्योगों के लिए तथ्य अंवेषक जन आयोग' के प्रमुख रूद्रदत्त कहते हैं, 'जब के अभाव में भारत में लघु उद्योगों का जंगल उग आया है। जब खुली अर्थव्यवस्था में इनके अस्तित्व पर संकट आ गया है तो सरकार तत्काल कुछ सुविधाएँ प्रदान कर उन्हें चुप कराने का प्रयास कर रही है। जबकि तदर्थवादी नीतियों से इन उद्योगों को बचाना संभव नहीं है।

दिल्ली के एक लघु उद्योगपति ओमप्रकाश गुप्ता पिछले दिनों चीन गए। उन्हें वहाँ के उद्योगों को नजदीक से देखने का मौका मिला। उन्होंने महसूस किया कि भारत में लघु उद्योगों का ढाँचा बेतरतीब है और इसके बूते पर चीन के उद्योगों को टक्कर देने का सपना देखना बेकार है। चीन ने पिछले २० वर्षों में (नई आर्थिक नीति के दौरान) एक पूर्ण विकसित औद्योगिक ढाँचा

Scanned with OKEN Scanner

खड़ा कर लिया है। उसने औद्योगिक क्षेत्रों को इस तरह से विकसित किया है कि मजदूरों को कहीं बाहर आने-जाने की जरूरत न पड़े। औद्योगिक क्षेत्रों में ही मजदूरों के रहने के लिए बड़े-बड़े हॉस्टल बनाए गए हैं। जहाँ उन मजदूरों का खाना एक ही जगह बनता है, उनके लिए धोबी, नाई व अन्य सारी सुविधाएँ एक ही जगह उपलब्ध हैं। ताकि इन कामों में उनका वक्त जाया न हो। इसके अतिरिक्त सरकार उनके रहने-खाने आदि के खर्च पर सब्सिडी भी देती है जिससे कम वेतन में ही उनका काम चल जाता है। दूसरी तरफ वहाँ की 'किसानों और मजदूरों की सरकार' ने श्रम कानूनों में उद्योगपतियों को अनगिनत अधिकार दे रखा है। परिणामस्वरूप उद्योगपति किसी भी मजदूर को काम पर रखने और उसे निकालने के लिए स्वतंत्र हैं। सुदर्शन सरीन कहते हैं, 'इन सुविधाओं के कारण समान पूँजी व मशीनरी के साथ चीनी उद्योगपति भारतीय उद्योगपति की तुलना में चार गुना ज्यादा उत्पादन करता है। निश्चित रूप से इसका प्रभाव उत्पादित वस्तुओं की कीमत पर पड़ेगा। क्योंकि उनका उत्पादन लगात बहुत कम होगा'। भाजपा की आर्थिक नीतियों के निर्धारण में एक समय महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ अर्थशास्त्री जया दुबाशी के अनुसार 'चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने के पहले सारी तैयारी कर ली थी। वहाँ आधारभूत संरचना (सड़क, बिजली, पानी, संचार माध्यम) काफी विकसित हैं। जबकि भारत में अर्थव्यवस्था को खोलने के पहले कोई तैयारी नहीं की गई। यहाँ तक कि आज भी भारत आधारभूत संरचना के मामले में चीन से बहुत ही पीछे है'। वे कहते हैं, 'जब भारत के लघु उद्यमी को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पाती है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह चीन या जापान के उद्योगों से बनी वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करे।' इसके अतिरिक्त चीन ने बैंकिंग ढाँचा भी काफी विकसित है, जिससे वहाँ के उद्यमियों को तत्काल सस्ता ऋण मिल जाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का महत्त्व

- भारत में कुल ३२ लाख २५ हजार लघु औद्योगिक इकाइयाँ हैं।
- समूचे औद्योगिक क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये कुल रोजगार का ९५ प्रति... रोजगार लघु उद्योगों द्वारा उपलब्ध कराया गया है।
- लघु उद्योग क्षेत्र में एक करोड़ ७७ लाख ३. हजार लोगों को रोजगार ... हुआ है।
- विनिर्माण क्षेत्र द्वारा किये गये कुल उत्पादन का ४० प्रतिशत लघु उद्योगों ... किया जाता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार मार्च १९९८ में बीमार औद्योगिक इकाइयों की संख्या २,२१,५३६ थी, जो मार्च १९९९ में बढ़ ३,०६,२२१ हो गई।

तकनीकी उन्नयन का अभाव

एस.पी. गुप्ता अध्ययन दल की रिपोर्ट सहित सभी सरकारी विभाग डब्ल्यूटीओ के प्रभावों से निपटने के लिए तकनीक उन्नयन पर काफी जोर देते हैं। पर इस संबंध में उनके पास कोई स्पष्ट कार्ययोजना कम-से-कम अभी तक तो नहीं है। लघु उद्योगों के लिए अतिरिक्त विकास आयुक्त डॉ. सी. प्रसाद यह कहकर हाथ झाड़ लेते हैं कि तकनीकी उन्नयन का काम तो 'वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद' (सीएसआईआर) का है। देश के कोने-कोन में फैले लघु उद्यमियों के लिए सीएसआईआर पहुँकर अपने उद्योग के लिए नयी तकनीक वि... करने के लिए कहना, फिर उसे अ... अव्यवहारिक है। पर इसके लिए कि... कोई चिंता नहीं हैं वे तो सिर्फ... उद्योगपतियों पर सारी जिम्मेवारी ड... अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। फिरोजाब... चूड़ी उद्योग और आगरा की फा... इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। एक वकी... सी मेहता के जनहित याचिका पर स... न्यायालय ने प्रदूषण फैलाने के आ... आगरा और फिरोजाबाद के इन उद्यो... बंद करने का आदेश दे दिया। कोय... आधारित इन उद्योगों के बंद होने व... यहाँ के लाखों उद्यमियों और मजदू... लिए रोटी के लाले पड़ गए। तक... उन्नयन के तहत इन उद्योगों के लिए ... के स्थान पर गैस का बर्नर बनाया गय... उस गैस बर्नर की कीमत ११ लाख ... लाख रुपये तक है। २ लाख रुपये ... कुल जमा पूँजी वाला उद्यमी इतना ... बर्नर कैसे खरीद सकता है? दूसरे इस... की उपयोगिता भी संदिग्ध है और उ... पर्याप्त परीक्षण भी नहीं किया गया है ... तरह तकनीकी उन्नयन का पूरा म... टायं-टायं फिस्स साबित हुआ ... फिरोजाबाद का विश्व प्रसिद्ध चूड़ी उ... दम तोड़ देने के लिए विवश हो गया

लघु उद्योगों का औद्योगिक क्षेत्रों में योगदान

लघु उद्योग का

- ९५% औद्योगिक इकाईयाँ इस देश में हैं,
- ४०% मूल्य संवर्द्धित करता है निर्माण क्षेत्र में,
- ३४% हिस्सा है राष्ट्रीय निर्यात में,
- ७% हिस्सा है सकल घरेलू उत्पाद में,
- १७७ लाख लोगों को रोजगार देने में योगदान है,
- ७५०० प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन करता है।

Scanned with OKEN Scanner

ऐसा भी नहीं है कि दूसरे देशों में शुरु से ही उन्नत तकनीक का प्रयोग हो रहा हो। सभी ने समय के साथ-साथ नई तकनीकी को अपनाया और उद्योगों को आधुनिकीकरण किया। दिल्ली के एक लघु उद्यमी एस. एस. अग्रवाल जब जर्मनी गए तो उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि १० वर्ष पहले तक प्रदूषण फैलाने वाली लघु औद्योगिक इकाइयाँ बिना स्थानांतरण का दंश झेले तकनीकी उन्नयन द्वारा अब प्रदूषणमुक्त श्रेणी में आ गई हैं। वैसे यही समस्या का सही समाधान भी है। वरना प्रदूषणकारी इकाइयाँ जहाँ भी जाएगी प्रदूषण फैलाएगी।

लघु उद्योग निर्यात में वृद्धि

वर्ष	कुल निर्यात (करोड़ रुपया)	लघु उद्योग क्षेत्र का निर्यात (करोड़ में)	प्रतिशत हिस्सा
१९८१-८२	७८०९	२०७१	२६.५
१९८६-८७	१२५६७	३६४४	२९.०
१९९१-९२	४४०४०	१३८८८	३१.५
१९९२-९३	५३६८८	१७७८५	३३.१
१९९३-९४	६९५४७	२५३०७	३६.४
१९९४-९५	८२६७४	२९०६८	३५.१
१९९५-९६	१०६३५३	३६४७०	३४.२
१९९६-९७	११८८१७	३९२४९	३३.४
१९९७-९८	१२६२८६	४४४४२	३५.२
१९९८-९९	१४१६०४	४९४८१	३४.०

(स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण के संबंधित अंक)

'उद्योग जिला' मॉडल

वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. सहाय के अनुसार भारत में उद्योगों का प्राकृतिक विकास हुआ। इस कारण वे जगह-जगह छितराए हुए हैं। उनके लिए सारी सुविधाओं व प्रदूषणरोधी उपयों को उपलब्ध कराना संभव नहीं है। जबकि अन्य देशों में योजनाबद्ध तरीके से उन्हें एक जगह पर लगाया गया और उनके लिए आवश्यक सुविधाएँ मुहैया करा दी गयी। वहाँ 'उद्योग जिला' का एक नए माडल बनाया गया। एक ऐसा जिला जिसमें सिर्फ उद्योग हों और उसके लिए जरूरी सारी सुविधाएँ हों। इटली की यह व्यवस्था काफी सफल रही और वहाँ के उद्योगों (खासकर सिरेमिक्स उद्योग) ने विश्व स्तर पर सफलता का परचम लहराया। दुनिया के सबसे विकसित देश अमेरिका में भी लघु उद्योगों को कई सुविधाएँ दी जाती हैं। वहाँ कुल सरकारी खरीद का २४ प्रतिशत भाग लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुएँ खरीदने का प्रावधान है और आज भी इसका कड़ाई से पालन किया जाता है। जबकि भारत में इस तरह का किसी नियम या उसके कड़ाई से पालन किए जाने की जानकारी लघु उद्योगों के किसी संगठन या किसी लघु उद्यमी को नहीं है। एस.पी. गुप्ता की अध्यक्षता वाले अध्ययन दल ने सिफारिश की है कि सरकारी खरीद के ३३ प्रतिशत भाग लघु उद्योगों द्वारा तैयार वस्तुओं से खरीदा जाए और इस पर कड़ाई से पालन हो।

रूद्रदत्त कहते हैं, सरकार का इरादा लघु उद्योगों को बचाने का नहीं है वरना वह रेडिमेड गारमेंट्स के क्षेत्र को लघु उद्योगों की सूची से बाहर नहीं करता। इस क्षेत्र ने पिछले १० वर्ष में निर्यात क्षेत्र में तीन गुणा से अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की थी और इससे घबराकर अमेरिका व यूरोपीय देशो में ज्वलनशीलता का आरोप लगाकर इसे रोकने की कोशिश की गई थी। इस क्षेत्र को बड़े उद्योगों के लिए खोलना और इसमें सौ प्रतिशत तक विदेशी पूँजी के निवेश की छूट देना, सरकार द्वारा इस क्षेत्र के लघु उद्योगपतियों के हितों पर कुठाराघात है'। देश में समूचे औद्योगिक क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए रोजगार का ९५ प्रतिशत सिर्फ लघु उद्योगों द्वारा उपलब्ध कराया गया है। कुल १ करोड़ ७८ लाख लोग इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। भारत के कुल निर्यात का ३५ प्रतिशत निर्यात लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा हो रहा है। इसके अलावा भी भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों की कई उपलब्धियाँ हैं। जब राजीव गाँधी प्रधानमंत्री थे तब लघु उद्योगों के योजनाबद्ध विकास के लिए पूरे देश में 'विकास केन्द्रों' की स्थापना की योजना बनायी गयी थी, पर अन्य योजनाओं की तरह यह भी मात्र कागजों तक सिमटकर रह गयी। ■

> सत्य हो यह है कि किफायतें बड़े पैमाने पर उत्पादन से नहीं, अधिक उत्पादन के कारण होती है। अगर हम इतिहास को देखें तो ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर कपड़ा तैयार होने पर भी भारत का कपड़ा वहाँ जाकर सस्ता पड़ता था। जापान की जो वस्तुएँ सस्ती बाजार में आकर, बाकी सब माल को निकाल देती हैं, वे बड़े कारखानों में नहीं घरों में बनती हैं। . . . यदि उनकी (छोटे उद्योगों की) असुविधाएँ दूर कर दी जाएँ तथा बड़े उद्योगों को जो सुविधाएँ अतिरिक्त कारणों से प्राप्त है, न मिले तो निश्चित ही वे (छोटे उद्योग) बाजी मार ले जाएँगे।
>
> **— पं. दीनदयाल उपाध्याय**

Scanned with OKEN Scanner

दिल्ली के लघु उद्योगों पर कहर

■ विद्यानंद आचार्य

देश की राजधानी होने के कारण यहाँ व्यापारिक गतिविधियों खास कर लघु उद्योग की बहुतायत है एवं रोजगार की संभावनाएं भी काफी अच्छी है। देश के लगभग प्रत्येक कोने से लोग यहाँ रोजगार की खोज में, भ्रमण के उद्देश्य से खिंचे चले आते है। मार्च, २००० में दिल्ली की आबादी एक करोड़ चालीस लाख का आँकड़ा पार कर ली थी।

सन १९०१ में दिल्ली एक छोटा-सा शहर था जिसकी आबादी महज ४ लाख थी। १९११ में दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बना और यहाँ की आबादी रफ्तार से बढ़ने लगी। जनसंख्या वृद्धि दर जो १८९१ के दशक में १.९८ प्रतिशत थी वह १९११ के दशक में सीधे १८ प्रतिशत जा पहुँची। यह क्रम बढ़ता ही रहा एवं देश विभाजन के समय काफी बड़ी आबादी पाकिस्तान से आकर दिल्ली में बसी जिसके कारण यहाँ १९४१-५१ के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ९० फीसदी तक जा पहुँची।

देश की राजधानी होने के कारण यहाँ व्यापारिक गतिविधियों खास कर लघु उद्योग की बहुतायत है एवं रोजगार की संभावनाएं भी काफी अच्छी है। देश के लगभग प्रत्येक कोने से लोग यहाँ रोजगार की खोज में, भ्रमण के उद्देश्य से खिंचे चले आते है। मार्च, २००० में दिल्ली की आबादी एक करोड़ चालीस लाख का आँकड़ा पार कर ली थी।

पिछले एक शताब्दी से अपनी एक अलग पहचान एवं संस्कृति के कारण 'लघु भारत' का स्वरूप ले चुकी दिल्ली में एक महीने से हंगामा मचा हुआ है। दिसम्बर के अंतिम सप्ताह एवं नववर्ष के प्रथम सप्ताह में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दिल्ली के लघु उद्यमी एवं उसमें कार्यरत सभी मजदूर सड़कों पर आ गए। सरकारी वाहन जलाए गए, कहीं गोलियाँ चली, दण्ड प्रहार हुआ वगैरह-वगैरह। संसद से सड़कों तक दिल्ली के लघु उद्योगों को उजाड़ने को लेकर चर्चाएं गर्म रही।

घटना की शुरुआत

कहानी की शुरुआत होती है उच्चतम न्यायालय के दिनाँक ८ जुलाई, १९९६ के फैसले से। उक्त तिथि को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कुलदीप सिंह एवं सगीर अहमत के खंडपीठ ने श्री एम.सी. मेहता के जनहित याचिका पर आज्ञा देते हुए कहा कि ३० नवम्बर, १९९६ तक दिल्ली के १६८ ऐसे उद्योग जो प्रदूषण फैलाते हैं या गलत ढंग से कार्य कर रहे हैं को दिल्ली से बाह
जाए। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय
आदेश में यह भी कहा कि उन्हे
राजधानी क्षेत्र में ही कहीं पर
परिक्षेत्र में जमीन उपलब्ध कराया

इस लम्बे विवाद का प्रथम अ
शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय की यह
था। करीब ४०,००० औद्योगिक इक
से बाहर जाने की चपेट में आ गए
१६८ उद्योगों को स्थायी रूप से बंद
आश्वासन दिया गया। इन उद्योगों
रूप से डी.सी.एम., बिरला कपड़
श्रीराम समूह एवं अन्य रासायनिक
पत्थर तराशने, स्टील आदि आते

श्रमिकों की सुरक्षा से जु
व्यापक प्रबंध भारतीय में नियमों ए
के द्वारा किया गया है वह विश्व
मिलना कठिन है। अधिनियमों एवं
विधानों द्वारा श्रम जगत के छोटे-से-
को भी नहीं छोड़ा गया है। खासकर
संगठित क्षेत्र की बात करते हैं तो

सरकारी एवं अर्द्धसरकारी क्षेत्रों में रोजगार

संख्या

	१९९४	१९९५	१९९६	१९९७	१९९४ (वृद्धि
क. सार्वजनिक क्षेत्र					
केन्द्र सरकार	२.१३	२.१५	२.१४	२.१०	-१.४
दिल्ली सरकार	१.१०	१.११	१.१२	१.८२%	
केन्द्र + दिल्ली	२.१२	२.१०	२.०८	२.०५	-३.३
स्थानीय निकाय	०.९७	०.९५	०.९४	०.९४	-१.७
कुल	६.३२	६.३१	६.२८	६.२१	-१.७
ख. निजी क्षेत्र	२.१८	२.२३	२.२५	२.२२	१.८
कुल (क+ख)	८.५०	८.५४	८.५३	८.४३	-०.

(स्रोत : रोजगार निदेशालय, दिल्ली सरकार)

Scanned with OKEN Scanner

सौ फीसदी लागू होता है।

दुर्भाग्य से असंगठित क्षेत्र में स्थिति ठीक इसके विपरीत है। इस क्षेत्र के अंतर्गत लघु उद्योगों का तो और बुरा हाल है। श्रमिकों की हालत, श्रम-दशा एवं व्याप्त अव्यवस्था लघु उद्योगों एवं उससे जुड़े व्यवसायी और श्रमिकों के स्थिति एवं विकास में सबसे अधिक बाधक बने हुए हैं। इतने विशाल असंगठित क्षेत्र एवं उसमें लगे लाखों श्रमिकों की बिगड़ती हालात से स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। सुधार प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धा एवं पर्यावरण के मुद्दे ने आग में घी का काम किया है। वैश्वीकरण के बाद जबसे हालात कितने बदतर है यह अंदाजा दिल्ली में लघु उद्योग की दशा से स्पष्ट हो पाएगा।

एक तरफ न्यायालय ने उद्योगों को बंद करने या स्थानांतरण का आदेश दे दिया लेकिन वहाँ कार्यरत मजदूरों के दूरगामी हितों को अनदेखा किया गया। हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने मजदूरों के हित के रक्षा करने हेतु कुछ निर्देश भी दिए थे फिर भी करीब १ लाख बेरोजगार श्रमिकों को उचित मुआवजा मिलना भारत जैसे देश में असंभव ही कहा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में श्रमिकों की रक्षा हेतु निम्न प्रावधान किए थे –

१. श्रमिकों की नौकरी उद्योग के स्थानांतरण के बाद भी स्थायी रहेगी उसे किसी भी रूप से हटाया नहीं जाएगा।
२. बंद के बाद एवं पुन: शुरू होने के बीच का अवधि सेवाकाल के रूप में माना जाएगा एवं श्रमिकों को उस अवधि का वेतन भुगतान देय होगा।
३. उद्योग पुन: स्थापित नहीं होने की स्थिति में श्रमिकों की क्षतिपूर्ति एवं मुआवजा देने की व्यवस्था कंपनी करेगी।

उपर्युक्त प्रावधानों के बावजूद जो प्रश्न सुरसा के समान मुँह बाएँ खड़ा है वह है कि क्या विस्थापित होने के बाद नए स्थान पर पुन: इतना आसान है? खासकर जब वर्तमान राज्य सरकार इस विषय को राजनीतिक दाँव के रूप में इस्तेमाल कर रही हो।

उद्योग विस्थापन की यह प्रक्रिया काफी लम्बे समय तक खिंचने वाला है। प्रथम चरण में करीब ३९००० उद्योग इकाईयों के विस्थापन से ५०,००० मजदूर एवं उस पर आश्रित पूरे परिवार के साथ करीब २ लाख लोगों का विस्थापन आवश्यंभावी हो गया है। यह कार्यक्रम दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तावित मास्टर प्लान का एक अंग है। विस्थापन प्रक्रिया का सभी चरण पूरा होते-होते करीब १० लाख लोग विस्थापन के शिकार होंगे।

पर्यावरण प्रदूषण : फसाद की जड़

पर्यावरण में बढ़ता प्रदूषण न केवल दिल्ली बल्कि पूरी मानव सभ्यता के सामने प्रश्न चिह्न लिए खड़ा है। निश्चित रूप से प्रदूषण प्रसार में उद्योगों का योगदान प्रमुख है। जिसके कारण जल, जमीन, हवा आदि के प्रदूषण का परिमाण बढ़ता ही जा रहा है

जगमोहन ने कहा

१४/११/२००० को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश जारी किया। 'प्रथम दृष्टया देखने पर हमने दिल्ली के मुख्य आयुक्त एवं दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को कारण पूछा था कि उन्हें न्यायालय के अवमानना करने का कारण क्यों नहीं माना जाए क्योंकि उन्होंने न्यायालय के द्वारा जारी अनेक आदेश जिसमें दिनाँक ८/९/९९, ३/८/२००० एवं १२/९/२००० के आदेश भी हैं, के आलोक में जो आवासीय क्षेत्रों में प्रदूषक उद्योगों को बंद करने से संबंधित है।''

इस आदेश के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार एवं दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने आवासीय इलाकों में व्याप्त प्रदूषणकारी उद्योगों एवं अन्य उद्योगों को सील करना शुरु किया। इसके कारण अशांति फैली एवं सड़क जाम, यातायात बंद, बसों के जलाने, लाठीचार्ज जैसी प्रमुख घटनाएँ हुई।

वर्तमान हालात की जानकारी हेतु दिनांक २ फरवरी, १९९६ से हुए अबतक के घटना का एक झलक देखना आवश्यक है। फरवरी, १९९६ के आदेश में कहा गया है कि सर्वप्रथम एक विशेषाधिकार प्राप्त कमिटी का गठन किया जाए जो यह जाँच करे कि किस प्रकार के उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों में रहने दिया जाए। इसलिए मैंने दिल्ली के मुख्य सचिव को आदेश दिया कि एक कमिटी गठित की जाए एवं उस कमिटी के गठन में दिल्ली सरकार से, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली नगर निगम एवं दिल्ली विद्युत वितरण बोर्ड से एक-एक प्रतिनिधि लिया जाए। इस समिति का अध्यक्ष दिल्ली सरकार का प्रशासनिक अधिकारी हो। इस कमिटी को आदेश निर्गत होने की तिथि से दो सप्ताह के अंदर गठित कर लेने का आदेश दिया गया था।

इस कमिटी ने जो कोर्ट के सामने बयान दिया उसमें कहा गया था कि प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों से कुल ४५००० आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें ४३,०४५ सही आवेदन थे। इसमें से ३९,१६६ उद्योगों ने मास्टर योजना के तहत रिहायशी क्षेत्रों में चलने हेतु अर्हता प्राप्त नहीं करते थे। बाकी ३,८७९ आवेदन को दिल्ली नगर निगम की एक विशेष टीम ने जाँच की जिसमें उन्होंने पाया कि केवल ३७६ औद्योगिक इकाई ही आवासीय क्षेत्रों में चलने योग्य हैं। उसके बाद दिल्ली प्रशासन उन उद्योगों को बाहर स्थापित करने हेतु जमीन का अधिग्रहण तो किया लेकिन प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया। साथ ही न्यायालय को प्रत्येक तीन माह बाद प्रगति की जानकारी देने को कमिटी को कहा गया। चूँकि न्यायालय के द्वारा कोई भी प्रगति नहीं देखा गया है अत: यह आदेश का सीधा उल्लंघन है। यह आश्चर्य का विषय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को १९९६ से ही उठा रहा है लेकिन आजतक किसी ने मास्टर योजना में परिवर्तन करने की चर्चा तक नहीं की।

सरकार जगदीश सागर समिति की रिपोर्ट पर भी गंभीर है एवं उद्योगपतियों, श्रमिकों की समस्या से अवगत है एवं जरूरत पड़ी तो मास्टर योजना में परिवर्तन कर औद्योगिक क्षेत्रों हेतु और अतिरिक्त जमीन लिया जा सकेगा। ताकि दिल्ली में प्रभावित लघु उद्योगों इकाईयों को सुरक्षित पुनर्वास उपलब्ध हो सके।

Scanned with OKEN Scanner

महानगरीय जीवन में तो वायू प्रदषण इस हद तक बढ़ गया है कि सांस लेना भी दूभर हो गया है।

दूसरी तरफ उद्योगपतियों द्वारा भी उद्योगों के द्वारा फैल रहे प्रदूषण स्तर को नजरंदाज किया जाता रहा है। पर्यावरण की रक्षा करना उद्योगपतियों का भी दायित्व है, यह कर्त्तव्य बोध उद्योगपतियों के लिए बेमानी हो गई। पर्यावरण सुधार हेतु नयी तकनीक अपनाना एवं उस पर खर्चा करना अपव्यय एवं उनकी अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक माना गया। अगर निम्न तालिका पर १२ लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करते हैं।

दिल्ली शहरीकरण की द्रुतगामी प्रक्रिया से गुजरा तो है लेकिन शहरीकरण से उत्पन्न होने वाले परिणामें से निपटने हेतु कोई दीर्घकालिक व्यवस्था नहीं किया गया। राजनीतिक केन्द्र होने के कारण औद्योगिक एवं उसमें जुडे श्रमिकों के हितों को नजरअंदाज किया गया।

दिल्ली के कुल आय में उद्योगों का योगदान ३३ प्रतिशत है। यहाँ देश में सबसे अधिक न्यूनतम मूल्य श्रमिकों को दिया जाता है परिणामस्वरूप पूरे देश से मजदूर यहाँ आकर अपने हेतु रोजगार तलाश करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में गैर कुशल श्रमिकों को ९०.३० रु. प्रतिदिन, अर्द्धकुशल श्रमिकों का ९६.७० रु. एवं कुशल श्रमिकों को १०६.६० रु. प्रतिदिन का वेतन दिया जाता है।

अब शहरीकृत होने वाला क्षेत्रफल बढ़कर ६८,७७७ हेक्टयर हो गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के अनुसार वर्ष १९९९ तक दिल्ली के कुल क्षेत्रफल का पचास फीसदी हिस्सा मकानों में बदल चुका था।

दिल्ली के मास्टर प्लान २००१ में १३०० से अधिक औद्योगिक एककों को अनुमति प्रदान नहीं की गई है और उन्हें बंद करने का आदेश हुआ है।

सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि एच-श्रेणी के उद्योगों को दिल्ली से बाहर औद्योगिक प्रक्षेत्रों में या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुनः स्थापित किया जाय। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली से विस्थापित होने वाले उद्योगों की दो प्रमुख श्रेणियाँ निर्धारित की हैं।

१. उद्योग जो गैर नियाजित खेत्र में चलते हैं एवं प्रदूषण फैलाते हैं।
२. हानिकारक एवं जहरीले उद्योग जो नियोजित क्षेत्र में है।

इन दोनों प्रकार के उद्योग को सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ग एव(ए) एवं एच(बी) में रखा है। दिल्ली मास्टर योजना २००१ में उपर्युक्त किसी प्रकार के उद्योग की सथापना का प्रावधान नहीं हैं। रिहायसी क्षेत्रों में चल रहे उद्योगों को पुनः स्थापित

दिल्ली के कुल आय में उद्योगों का योगदान ३३ प्रतिशत है। यहाँ देश में सबसे अधिक न्यूनतम मूल्य श्रमिकों को दिया जाता है परिणामस्वरूप पूरे देश से मजदूर यहाँ आकर अपने हेतु रोजगार तलाश करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में गैर कुशल श्रमिकों को ९०.३० रु. प्रतिदिन, अर्द्धकुशल श्रमिकों का ९६.७० रु. एवं कुशल श्रमिकों को १०६.६० रु. प्रतिदिन का वेतन दिया जाता है।

करने हेतु बवाना, होलंबी कला एवं होलंबी खुर्द में १३०० एकड़ भूमि का अधिग्रहण करके नवीन औद्योगिक प्रक्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। लेकिन जब तक यह प्रकिया अपना आकार ग्रहण करे सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सामने आ खड़ा हुआ। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का ढाल सामने रखकर आनन-फानन में सभी उद्योगों को जो न्यायालय के आदेश की सीमा से बाहर भी थे को बंद करना शुरु किया। ज्ञातव्य हो कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश से आये अधिकांश युवक इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त किये है। वे एव बेरोजगार हो गये। हद तो तब हो गई यह अफवाह फैलाया गया कि ि छोड़कर बिहार जाने वाले लोगों के मुफ्त ट्रैन नयी दिल्ली से जो रही है।

निर्णय का प्रभाव - वास्तविक र इस निर्णय से सर्वाधिक प्रभावित होने तीन वर्ग हैं-

१. दिल्ली की अर्थव्यवस्था।
२. श्रमिक।
३. उद्योगपति।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश : उद्योगों में किये गये सर्वेक्षण से पता है कि ८९ प्रतिशत लोगों की आय व गयी है। मुआवजे हेतु मुकदमा अदा लंबित है एवं उस पर कुछ भी तत्परा बंरती जा रही है। आय कम होने से भोजन का स्तर एवं स्वास्थ्य का स्तर ' हो गया हैं। ३० प्रतिशत लोगों ने भोज स्तर का, २२ प्रतिशत लोगों ने कम १३.१ लोगों ने मांसाहार करना बंद, ११ ने बिना एक शाम का भोजन, एवं ९ ने दिन/रात का भोजन एवं चाय लेना व दिया है। (स्त्रोत - एस. आर. सी. सर्वे)

अधिकांश आश्रित वर्गों में घोर का माहौल है। कईयों ने खुदकशी की व्यक्त की है तो कई पुनः वापस अप जाकर रहना चाहते हैं। १०% लोगों में ि के कारण बेटी की शादी टूट गयी। ' जरुरतों को पूरा करने में पत्नी की जेवर घर के सामान बेचने परे है। कई अवस बच्चों के गुल्लक से दवा की व्यवस्था पड़ी है।

हालात इससे भी भयानक बन वैश्वीकरण के बाढ़ से वैश्वीकरण से मुद्दों एवं कारणों से श्रम एवं श्रमिव हालत काफी खराब हो रही है। सा प्रदूषण का मुद्दा जो आम आदमी के को प्रभावित करता है उतना ही महत्व गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसी त ध्यान में रखकर निर्णय दिए हैं। सरका परिप्रेक्ष्य में विस्थापन को सही ठहरा ि अगर सभी पक्ष अपने-अपने स्थान प हैं तो फिर हंगामा है क्यों बरपा?

Scanned with OKEN Scanner

लघु उद्योग विरोधी नयी टैक्सटाइल नीति

■ रुद्र दत्त

प्रधानमंत्री द्वारा प्रत्येक वर्ष १ करोड़ नए रोजगार कायम करने वाली नीति की तो अभी शुरुआत भी नहीं हो पायी। अनारक्षण द्वारा सरकार ने रोजगार उद्देश्य पर एक प्रहार किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार औद्योगिक लाबियों – भारतीय एवं विदेशी दोनों के दबाव के सामने झुक गयी है, भले ही इससे लघु-क्षेत्र को क्षति पहुँचे।

भारत सरकार ने २ नवंबर, २००० को अपनी नयी टैक्सटाइल नीति घोषित की जिसके द्वारा भारत को विश्व में टैक्सटाइल और सिलेसिलाए कपड़ों (रेडीमेड गारमेंट्स) में उच्च स्थान प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इसके परिणामस्वरूप भारत के टैक्सटाइल निर्यात ११ अरब अमरिकी डॉलर से बढ़ कर सन् २०१० में ५० अरब डॉलर हो जाएँगे। इसमें सिलेसिलाए कपड़ों का भाग २५ अरब डॉलर होगा। सरकार ने सिलेसिलाए कपड़ों को लघु-उद्योगों की सूची से हटाने का निर्णय किया है ताकि यह उद्योग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके। अभी तक गारमेंट क्षेत्र लघु उद्योगों की आरक्षण सूची में था, जिसमें निवेश की अधिकतम सीमा ३ करोड़ रुपए थी और विदेशी प्रत्यक्ष उद्योग की अधिकतम सीमा २४ प्रतिशत थी।

दो और संशोधन भी किए गए हैं। पहला, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की २४ प्रतिशत तक अधिकतम सीमा समाप्त कर दी गयी है और इस प्रकार विदेशी कंपनियाँ विदेशी निवेश प्रोन्नति बोर्ड के मार्ग से १०० प्रतिशत विनियोग कर सकेंगी। दूसरा, जिन फर्मों में विदेशी हिस्सा पूँजी की इजाजत है, उन पर से ५० प्रतिशत निर्यात करने का दायित्व भी हटा दिया गया है।

सरकार ने सत्यम समिति की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की कि हस्तकरघा आरक्षण कानून को समाप्त कर दिया जाए और सूत उपलब्ध कराने का दायित्व हटाया जाए। इसका मुख्य कारण हस्तकरघा बुनकरों के हितों की रक्षा करना है।

सरकार टैक्सटाइल उद्योग के सभी विनिर्माण क्षेत्रों में तकनोलॉजी उन्नयन कोष योजना को समयबद्ध रूप में लागू करना चाहती है। केंद्रीय टैक्सटाइल मंत्री श्री काशीराम राणा के अनुसार इस योजना को अधिकाधिक स्वीकार्यता प्राप्त होती जा रही है और ११,००० करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त किए जा चुके हैं। इस नीति का मुख्य उद्देश्य रूई पर स्थापित तकनोलॉजी मिशन के प्रभावी प्रयोग द्वारा रूई की उत्पादकता में कम से कम ५० प्रतिशत वृद्धि प्राप्त करना है।

नए टैक्सटाइल नीति के मुख्य लक्षण

१. रेडीमेट गारमेंट्स को लघु-उद्योग आरक्षण सूची से हटाना।
२. विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग पर २४ प्रतिशत की अधिकतम सीमा समाप्त करना।
३. विदेशी पूंजी वाली कंपनियों पर ५० प्रतिशत निर्यात करने का दायित्व समाप्त करना।
४. जोखिम पूँजी कोष स्थापित करना।
५. हस्तकरघा आरक्षण कानून और हस्तकरघा को सूत उपलब्ध कराने का दायित्व जारी रखना।
६. टैक्सटाइल निर्यात को सन् २०१० तक बढ़ाकर ५० अरब डॉलर तक ले जाना।
७. गारमेंट-निर्यात को सन् २०१० तक २५ अरब डॉलर तक बढ़ाना।
८. पटसन टैक्सटाइल मिशन स्थापित करना।

इसी प्रकार राष्ट्रीय टैक्सटाइल नीति पटसन की उत्पादकता को बढ़ाने और इसके विविधीकरण के लिए भी एक तकनोलॉजी मिशन स्थापित करने का विचार रखती है।

नीति में यह उल्लेख किया गया है कि निजी क्षेत्र की सहायता के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि टैक्सटाइल उद्योग की विविध आवश्यकताओं के लिए वित्त-प्रबंध किया जा सके। इसके अतिरिक्त, ज्ञान-आधारित उद्यमकर्ताओं के लिए जोखिम पूँजी कोष स्थापित किया जाएगा। कताई क्षेत्र के लिए, राष्ट्रीय टैक्सटाइल नीति आधुनिकीकरण, उदारीकरण और रूई के सूत के निर्यात को प्रोत्साहन देने की नीति जारी रखेगी और हस्तकरघा बुनकरों को पर्याप्त मात्रा में सूत उपलब्ध कराते हुए सूत के दायित्व की समीक्षा भी करेगी। चूँकि कताई क्षेत्र में तकनोलॉजी अभी भी पिछड़ी अवस्था में है, इसका तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा।

राष्ट्रीय टैक्सटाइल निगम के निजीकरण के प्रश्न पर टैक्सटाइल मंत्री का यह मत है कि इसके बारे में फैसला करने से पहले प्रत्येक इकाई की समीक्षा की जाएगी। परंतु नीति वक्तव्य में यह बात स्वीकार की गयी है कि मृत्यु के किनारे तक बीमार औद्योगिक इकाई से न तो संसाधनों का कुशल आवंटन होता है और न ही रोजगार जनन में सहायता मिलती है। अतः मंत्री ने इस बात पर बल दिया है कि एक व्यावहारिक एवं विवेकपूर्ण विकास नीति कायम करनी होगी जिसमें श्रमिकों के हितों की पर्याप्त सुरक्षा की जा सके।

नयी टैक्सटाइल नीति का मूल्यांकन

यह बात वस्तुतः अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है

Scanned with OKEN Scanner

कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने गारमेंट क्षेत्र को लघु-क्षेत्र से अनारक्षित करने का निर्णय किया ताकि सन् २०१० तक रेडीमेड गारमेंट्स के निर्यात ४.४४ अरब डॉलर से बढ़ाकर २५ अरब डॉलर किए जा सकें। यह निर्णय सरकार द्वारा पहले भी १४ मदों को अनारक्षित करने से जुड़ा हुआ है। याद रहे कि ये मदें उन ६८ मदों की सूची में शामिल हैं जो लघु क्षेत्र के कुल उत्पादन का ८० प्रतिशत उपलब्ध कराती हैं। यह निर्णय इस तर्क पर आधारित है कि बृहत् क्षेत्र इस उद्योग का आधुनिकीकरण कर सकेगा जिसमें लघु क्षेत्र अभी तक सफल नहीं हो पाया। यह भी कहा जा रहा है कि लघु क्षेत्र विश्व-स्पर्द्धा का सामना करने की सामर्थ्य नहीं रखता और इस कारण बृहत् क्षेत्र विदेशी कंपनियों के समर्थन के आधार पर यह कार्य कर पाएगा। इस तर्क की समीक्षा करना उचित होगा।

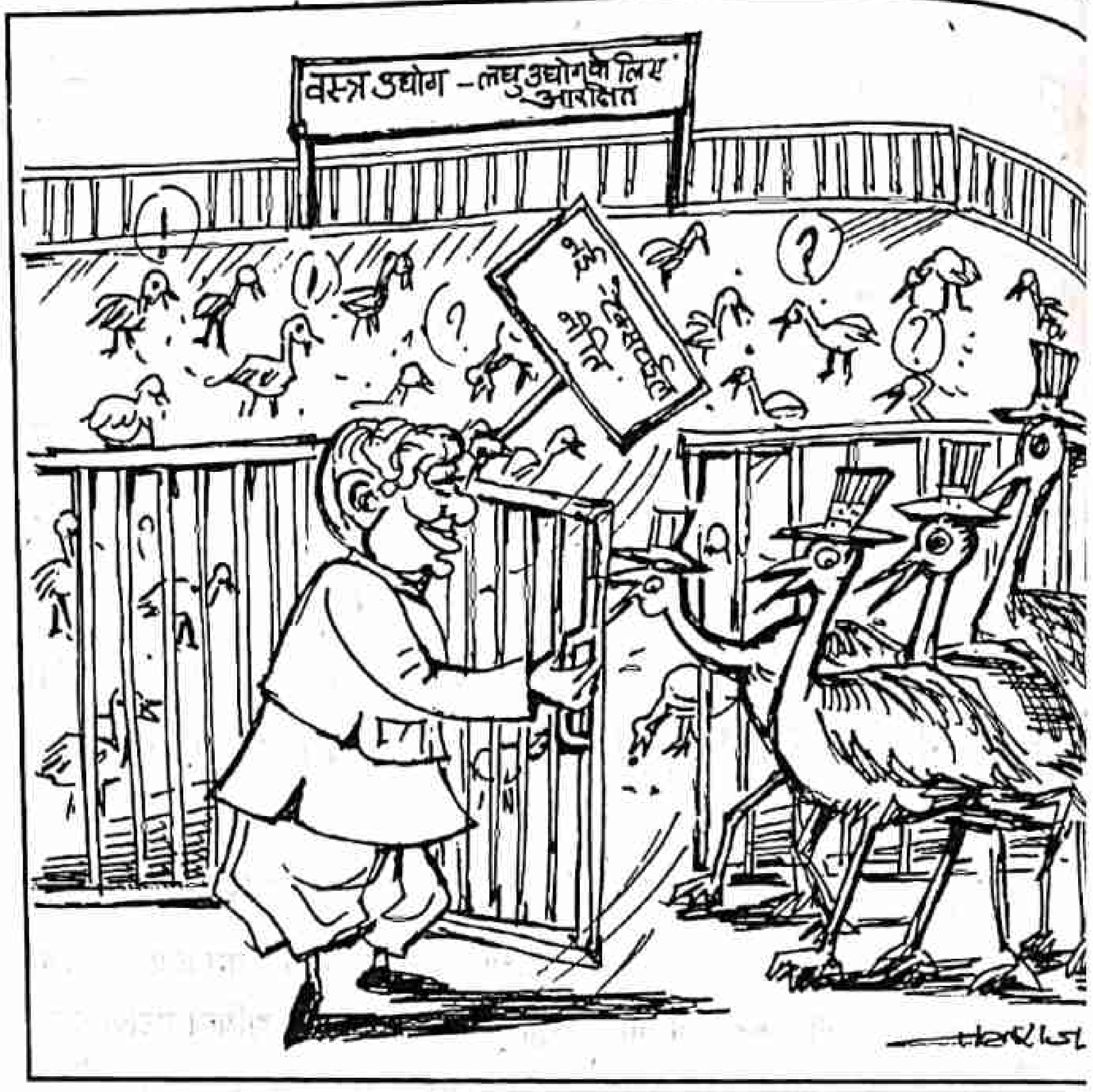

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार १९८७-८८ से १९९८-९९ की ११ वर्षीय अवधि के दौरान रेडीमेड गारमेंट्स का निर्यात १४३ करोड़ डॉलर से बढ़ कर ४४४ करोड़ डॉलर हो गया – तीन गुना से भी अधिक। इस प्रकार रेडीमेड गारमेंट्स के निर्यात की औसत वार्षिक वृद्धि दर १०.९ प्रतिशत बैठती है जबकि समग्र निर्यात की वृद्धि दर ९.७ प्रतिशत।

उल्लेखनीय बात यह है कि इस अवधि के दौरान रेडीमेड गारमेंट्स के निर्यात में विकसित देशों में भी उन्नति हुई है। १९८७-८८ में उनके सं.रा. अमरीका को ४२.७ करोड़ डॉलर के निर्यात के विरुद्ध, १९९८-९९ में यह निर्यात १५०.३ करोड़ डॉलर था – तिगुने से भी अधिक। इसी प्रकार की वृद्धि यू.के., जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान और नीदरलैंड के संदर्भ में पायी गयी। केवल रूस और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमण्डल में अस्थिर परिस्थितियों विद्यमान होने के परिणामस्वरूप गिरावट हुई।

भारत विकासशील देशों में, विशेषकर यू.ए.ई. में बाजार पर अपनी पकड़ कायम करने में सफल हुआ है। विकसित देशों में भी हमारे रेडीमेड गारमेंट्स के निर्यात में वृद्धि से यह बात सिद्ध हो जाती है कि निर्यात क्षेत्र में लघु क्षेत्र की स्पर्द्धा-शक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता। यदि इस क्षेत्र को प्रोन्नति उपायों द्वारा पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध करायी जातीं, तो लघु क्षेत्र का रिकार्ड और भी उज्ज्वल बन सकता था।

दूसरे, सरकार की नीति युक्तियुक्त नहीं। एक ओर तो यह विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग पर २४ प्रतिशत की अधिकतम सीमा को हटा कर विदेशी कंपनियों को १०० प्रतिशत तक विनियोग की इजाजत देकर उन्हें आकर्षित करना चाहती है और दूसरी ओर उन पर कुल उत्पाद के प्रतिशत का निर्यात करने का दायित्व देती है। अत्यंत दोषपूर्ण बात यह है विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की अधि सीमा इस उद्देश्य से हटायी जा रही है विदेशी कंपनियाँ टैक्सटाइल क्षेत्र आधुनिकीकरण कर इसे तकनोलॉजी दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले ताकि अधिक निर्यात किया जा सके। ५० प्रतिशत निर्यात का दायित्व हटा जाता है, तो वे निर्यात प्रोन्नत करने अपेक्षा भारतीय बाजार पर अपना आधि कायम करेंगी। अत: यह कहना बिल सही है कि निर्यात-दायित्व करो ह

कुल निर्यात में रेडीमेड गारमेंट्स का भाग

करोड़ यू.एस. डॉल

	रेडीमेड गारमेंट्स (1)	कुल निर्यात (2)	१,२ के प्रतिशत के रूप में
१९८७-८८	१४३.०	१,२०८.८	११.८
१९९०-९१	२२३.६	१,८१४.५	१२.३
१९९८-९९	४४४.४	३,३६५.९	१३.२
चक्रवृद्धि दर (१९८७-८८ से १९९८-९९)	१०.९%	९.७%	

Scanned with OKEN Scanner

पूर्णतया तर्कहीन है। करना तो यह चाहिए था कि १०० प्रतिशत विदेशी विनियोग की कंपनियों पर अपने उत्पादन का ७५ प्रतिशत निर्यात करने की शर्त लगायी जाती। इस संबंध में कलाड अलवेरस लिखता है – "हम यह भ्रम कब तक बनाए रखेंगे कि जब ब्रिटिश भारतीय उद्योगों को बर्बाद करते थे, तो वह अत्याचार था किन्तु जब हम ऐसा करते हैं, तो यह वांछनीय है।" यह बात आज के संदर्भ में बिल्कुल सही है। आजादी से पहले तो विदेशी हमें कच्चामाल निर्यात करने के लिए मजबूर करते थे और फिर भारतीय बाजार पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए भारत में विनिर्मित वस्तुओं का आयात करते थे। अब हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों को निमंत्रण देते हैं कि वे अपने पूर्ण स्वामित्वाधीन विदेशी कंपनियाँ कायम कर भारत में ही उत्पादन करें और भारतीय बाजार पर आधिपत्य जमाने के पश्चात् अपने लाभ का निर्यात करें। यह कैसा परिवर्तन है! क्या हमने अपने स्वतंत्रता-संग्राम में इस प्रकार की व्यवस्था की कल्पना की थी?

मुख्य देशों को रेडीमेट गारमेंट्स का निर्यात

करोड़ यू.एस. डॉलर

	१९८७-८८	१९९८-९९	प्रतिशत वृद्धि
यू.एस.ए.	४२.७०	१५०.२८	२५१.९
यू.के.	१५.६१	२९.५८	८९.५
जर्मनी	१९.४७	३९.७८	१०४.३
फ्रांस	८.८४	३१.३३	२५४.४
सी.आई.एस.	१५.३२	१५.१९	-०.८
कनाडा	३.८१	१७.७४	३६५.६
इटली	७.५७	१२.७७	६८.७
जापान	२.६८	७.०९	१६४.६
नीदरलैंड	५.५०	१४.२८	१५९.६
विकसित देश	१२१.५३	३१८.०३	१६१.७
यू.ए.ई.	१.३७	३९.६५	२७९४.२
अन्य	१७.४६	८६.७५	३९६.८
कुल	१४०.३६	४४४.४४	२१६.६

तीसरे, सरकारी नीति पूर्णतया अवास्तविक है जब यह गारमेंट्स के निर्यात करो जो १९९८-९९ में ४.४४ अरब डॉलर थे, बढ़ाकर २०१० में २५ अरब डॉलर का लक्ष्य निर्धारित करती है अर्थात् इनमें १७ प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि। इसी प्रकार, सभी टैक्सटाइल निर्यात को जो २०००-०१ में ११ अरब डॉलर थे बढ़ाकर सन् २०१० में ५० अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य भी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी है।

चौथे, सरकार की नीति बीमार कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों या अनारक्षण एवं राष्ट्रीय टैक्सटाइल निगम के अधीन कारखानों के निजीकरण के कारण विस्थापित श्रमिकों के प्रति केवल शाब्दिक सहानुभूति प्रकट करती है। भारत में निजीकरण एवं अनारक्षण का इतिहास इस बात की पुष्टि नहीं करता कि सरकार ने विस्थापित श्रमिकों की सहायता के लिए कोई ठोस कदम उठाए। रीति के तौर पर नीति-वक्तव्यों में कुछ ऐसे वाक्य जोड़ दिए जाते हैं ताकि श्रमिकों के विरोध को कम किया जा सके। हस्तकरघा श्रमिकों का पावरलूमों द्वारा विस्थापन और उनकी दयनीय अवस्था सरकार के इस पाखण्ड का प्रमाण है।

अंतिम, आरक्षण नीति के आधीन गारमेंट निर्यात जो १९८७-८८ में १.४३ अरब डॉलर था, बढ़ कर १९९८-९९ में ४.४४ अरब डॉलर हो गया। कुल निर्यात के प्रतिशत के रूप में भी गारमेंट निर्यात का भाग इस अवधि के दौरान ११.८ प्रतिशत से बढ़कर १३.२ प्रतिशत हो गया। यह कहीं बेहतर होता यदि सरकार ने उत्पादन एवं निर्यात के उद्देश्यों का रोजगार के उद्देश्य के साथ तालमेल बैठाया होता। परंतु निर्यात उद्देश्य पर अत्यधिक बल देने से यह घोर वास्तविकता साफ प्रकट हो जाती है कि रोजगार उद्देश्य को गौण स्थान दिया गया है। इस संबंध में सरकारी नीति श्रम-प्रधान लघु-क्षेत्र से पूँजी-प्रधान बड़े पैमाने के क्षेत्र द्वारा श्रमिकों के लगातार विस्थापन से रोजगार की दृष्टि से विफल ही मानी जाएगी। प्रधानमंत्री द्वारा प्रत्येक वर्ष १ करोड़ नए रोजगार कायम करने वाली नीति की तो अभी शुरुआत भी नहीं हो पायी। अनारक्षण द्वारा सरकार ने रोजगार उद्देश्य पर एक प्रहार किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार औद्योगिक लाबियों – भारतीय एवं विदेशी दोनों के दबाव के सामने झुक गयी है, भले ही इससे लघु-क्षेत्र को क्षति पहुँचे। सुधार-उपरांत काल के दौरान रोजगार में वृद्धि की समीक्षा से यह बात बिलकुल साफ हो जाती है कि संगठित क्षेत्र में रोजगार सीमित हो रहा है और श्रमिकों को असंगठित क्षेत्र की ओर असुरक्षित रोजगार क्षेत्र में धकेला जा रहा है।

ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार न्याय के साथ विकास के लक्ष्य की अनदेखी कर रही है और सरकारी एजेण्डा में निर्यात को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार अपने घोषणापत्र के विरुद्ध जा रही है जो इसने एक वर्ष पहले जनता के प्रति पेश किया था। ■

Scanned with OKEN Scanner

लेख

क्यों उड़ती जा रही है चीन में भारतीय कंपनियाँ?

■ धीप्रज्ञ द्विवेदी

आज राष्ट्र-भक्ति और स्वार्थ से ऊँचे स्वाभिमान की आवश्यकता बाजार के संदर्भ में भी प्रासंगिक हो गयी है। किसी भी समाज में स्वाभिमान को बेंचकर छोटे स्वार्थों की पूर्ति करने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोगों को आसानी से आर्थिक साम्राज्य बनाने वाली शक्ति अपने चंगुल में ले लेती है।

भारत की कई नामी कंपनियाँ देश छोड़कर चीन क्यों जाना चाहती हैं? विश्व की सबसे बड़ी घड़ी उत्पादक भारतीय कंपनी के रूप में अजंता को जाना जाता है। कहा जाता है कि यूरोप और अफ्रीका के १२८ देशों में अजंता की घड़ियों का निर्यात होता है। अजंता गुजरात प्रांत के मोरवी में अपना उद्योग चलाती रही है अब वह चीन के सेंजेन में अपनी उत्पादन इकाई लगा रही है। इसी प्रकार बजाज इलेक्ट्रिकल्स ब्लो प्लास्ट, उषा आदि कंपनियाँ चीन पहुँच रही हैं। भारत के उद्योगों का चीन की जमीन पर उड़-उड़ कर पहुँचते जाना चिंता का विषय बनता जा रहा है।

आज चीन हर क्षेत्र में भारत को पीछे धकेलता जा रहा है। यदि भारत की उत्पादक इकाईयाँ इसी प्रकार उड़ानें भरती रहीं तो भारत निश्चय ही एक बाजार बनकर रह जाएगा। यह ध्यान देने की बात है कि भारत सरकार विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अनेक उपाय करने में जुटी है, निवेशकों की सुविधा के लिए क्या कुछ नहीं किया जा रहा है लाभकरी उद्यमों तक को उनके पल्ले में फेंकने की उदारता दिखाई जा रही है। फिर भी विदेशी निवेशक ज्यादा संख्या में उत्साहित होकर दौड़ नहीं लगा रहे। जबकि भारत के निवेशक भी चीन में निवेश करने में उत्साहित दिखते है। चीन में भारतीय निवेश के अतिरिक्त विदेशी निवेशक भी अधिक उत्साह दिखा रहे हैं।

चीन, कोरिया, जापान आदि पूर्वी एशियाई देश वर्तमान आर्थिक युद्ध में दूसरे देशों को निशाना बनाने में कुशल है। यह भी उल्लेख मिलता है कि किसी देश के बाजार को कब्जा करने के लिए चीन नैतिक-अनैतिक कोई भी रास्ता अपनाने में संकोच नहीं करता। भारत की दशा यह है कि यहाँ के नीति-नियंता और नेतृत्व विकास के नाम पर अपने ही देश को शिकार करते हैं। यहाँ उलटी पड़ी तलवार अपनी गर्दन पर क्यों चला करती है? यह विचार करने की आवश्यकता है। इसमें खोट कहाँ है? कहीं भ्रष्ट व्यवस्था, व्यक्तिवादी मानसिकता और राष्ट्रभावना के अभाव के कारण भारत आर्थिक पराजय की ओर तो नहीं बढ़ रहा?

चीन-जापान-कोरिया आदि देशों के विकास की नीतियाँ निर्यात पर आधारित हैं। शायद भारत के नीतिकारों को इस प्रकार की
नीतियाँ बनने नहीं आता। यह अच्छा ल
कहा जा सकता। सामने परिणाम यह
है कि भारतीय बाजार चीन के सस्ते
से पटने लगा है। भारत के उद्योगों और
का सफाया होता जा रहा है। भारती
बाजार से गायब होने लगे है। चीन के
खिलौने, केल्कुलेटर, टार्च, लाइटर, स
बैट्री, रेडियो इत्यादि वस्तुओं की तरह अ
मोटर साइकिल भी भारत के बाजार
मोटर साइकिलों का पत्ता साफ क
मानसिकता से बिकने के लिए आ

कम दाम और कम तेल की खप
चीनी मोटर साइकिल की बाजार रणनी
कंपनियों की मोटर साइकिलों के लि
है। चीनी मोटर साइकिलें दूसरी मोटर स
से ३०% सस्ती हैं। इसके वितरण और
के लिए चीन की मानी जानी दुपहिया
कंपनी मोन्टो मोटर चीन के ही पेको
लगभग ८ करोड़ रुपए में खरीदी गई
मोपेड़ नाम की एक बीमार भारतीय कं
माध्यम बनाया है।

७५ सीसी पावर की चीनी

भारतीय हीरा उद्योग को भी निगलना चाहता है ची

विश्व के ८०% हीरे की तराश सूरत, गुजरात में होती है। यहाँ के व्यापारियों को
ने अपने यहाँ उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया है। चीन के इस प्रस्ताव का स
विश्व की सबसे बड़ी हीरा व्यापार से जुड़ी कंपनी डीवियर्स भी कर रही है। डीवियर्स
उद्देश्य हीरे के भारतीय व्यवसाय के एकाधिकार को तोड़ देना है ताकि वह हीरे के ब
भाव को मनमाने ढंग से नियंत्रित कर सके।

लगभग प्रति माह एक चीनी प्रतिनिधि मंडल सूरत का दौर करता है और वहाँ
कार्य पद्धति की जानकारी हासिल करता है, साथ ही भारतीय उद्यमियों को भारत की तु
में सस्ती जमीन और श्रमिक शक्ति प्रदान करने का प्रलोभन देकर चीन ले जाने का प्र
कर रहा है। चीन हीरा के भारतीय विशेषज्ञों को अपने यहाँ ले जाना चाहता है जिससे
के हीरा तराश का स्तर ऊपर उठाया जा सके। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो भ
का हीरा उद्योग भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि चीन में हीरे के एक लाख कारीगर है
भारतीय कारीगरों की कुल संख्या के एक तिहाई हैं इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा र
है। यह प्रगति भारत के हीरा उद्योग पर भारी पड़ सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

साइकिल २७,००० से लेकर २८,००० रुपए तक होगी। यह मोटर साइकिल एक लीटर में ६५ से ७० किलोमीटर चलेगी। इस का नाम कोस्मो होगा। इसके बाद १२५ सीसी और २२५ सीसी मॉडल की चीनी मोटर साइकिलें भी भारत के बाजार में आएँगी। इसके सामने १०० सीसी की हीरो होण्डा, यामहा और बजाज कावासाकी की मोटर साइकिलें दम तोड़ सकती हैं। भारत में बिक रही ५५ हजार तक की मोटर साइकिलें इन चीनी मोटर साइकिलों के सस्ते और पॉवरफुल मॉडलों के आगे टिकेंगी कैसे यह समस्या होगी।

भारत में खुल रहे मोन्टो मोटर्स के प्रबंधक आर. छिब्बर का कहना है कि एक बार ये मोटर साइकिलें भारत के बाजार में जम जाए फिर इनके संपूर्ण निर्माण की व्यवस्था भारत में होगी। फिलहाल इसके पार्ट-पुर्जे चीन से आयात किये जाएँगे और राजस्थान के अलवर में इसे 'असेम्बल' किया जाएगा। शुरु में तीन हजार यूनिट प्रति माह उत्पादन होगा। बाद में माँग के अनुसार बढ़ाया जाएगा। आर छिब्बर का कहना है कि 'भारत मूल्यों क़े प्रति अधिक संवेदनशील देश है हम इसका लाभ लेना चाहते हैं।' बात जो भी हो लेकिन आशा यही की जा सकती है कि चीन भारत में कास्मो मोटर साइकिल का निर्यातक होगा। वह कभी भी इसका निर्माण भारत में नहीं करेगा। वह अपने देश के रोजगार को घटना नहीं चाहेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि चीन आज उत्पादन की आधार इकाईयों की सबसे बड़ी जमीन बनाने जा रहा है और भारत अँग्रेजी बोलने वाले उच्च मानव-श्रमिकों का देश। आने वाले समय में भारत दुनिया के लिए विश्व स्तर की पीछे-पीछे कार्य करने वाली एक ऑफिस की भूमिका में होगा और चीन निर्माताओं की धरती। इस परिस्थिति के निर्माण में भारत के गैरजिम्मेदार नेतृत्व को दोष दिया जाना अस्वाभाविक नहीं है। भारत को निर्माताओं का देश होना चाहिए। अर्थात् भारत की निर्माता कंपनियों और निवेशकों के चीन की ओर उड़ान भरने का कारण यही लगता है कि चीन व्यवस्था, सुरक्षा और सस्ता श्रम दे रहा है और भारत का मानव संसाधन प्रतिभा और श्रम कौशल के बावजूद व्यवस्था संबंधी गड़बडियों के कारण अपने देश के हित में काम नहीं कर

रहा है। आज राष्ट्र-भक्ति और स्वार्थ से ऊँचे स्वाभिमान की आवश्यकता बाजार के संदर्भ में भी प्रासंगिक हो गयी है। किसी भी समाज में स्वाभिमान को बेंचकर छोटे स्वार्थों की पूर्ति करने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोगों को आसानी से आर्थिक साम्राज्य बनाने वाली शक्ति अपने चंगुल में ले लेती है। भारत के संदर्भ में भी ऐसे व्यक्तियों को चीन के मालों की खपत के लिए माध्यम बनाया गया है। चीन ही क्यों विदेशों और देशी कंपनियों के मालिक भी भ्रष्ट पदाधिकारियों को पैसे देकर अपना काम आसानी से कर लेते हैं। ऐसे भ्रष्ट प्रशासन का लाभ इस समय प्रत्येक अर्थ-आक्रांता ले रहा है।

भारत की उत्पादक इकाईयों पर अनेक प्रकार के दबाव हैं। ये दबाव भ्रष्ट प्रशासन और राजनीति के भी है। स्वभाविक रूप से उत्पादकों को इन विपरीत परिस्थितियों में भ्रष्ट होने का मौका मिल जाता है। बताते है कि नोएडा में चलने वाली एक प्रसिद्ध कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों के पुर्जे बनाती है उचित मूल्य से तिगुने अधिक मूल्य में पुर्जे बेंचती है। परिणाम यह हुआ है कि चीन से आने वाले वही पुर्जे बहुत सस्ते दामों में खरीद कर घड़ी बेचने वाले उपयोग करने लगे हैं। देशी कंपनी इस पुर्जे को बारह रुपए में बेचने के बदले चालीस रुपए लिया करती थी। अब चीन इस पुर्जे को आठ रुपए मात्र में बेंच रहा है और देशी कंपनी की कमर टूट चुकी है उत्पादकों के मनमाने मुनाफे के कारण भी चीनी उत्पादों को भारतीय बाजार में स्थान मिल रहा है। इसी प्रकार उद्योग धंधे खड़े करने में प्रशासन के भ्रष्ट आचरण भी कम बाधक नहीं रहे हैं। इस दोष में दुर्दशा यह भी उत्पन्न हुई कि विश्व व्यापार संगठन में भारत को मिली सदस्यता घरेलू उत्पादनों पर मिलने

सरकार ने कहा चीनी डंपिग संबंधित शिकायत तथ्यहीन

भारत सरकार ने देश में चीन निर्मित वस्तुओं की तथाकथित डंपिंग के विरुद्ध विस्तृत जांच और उसके बाद संभावित कार्रवाई का अभियान बंद कर दिया है। सरकार ने कहा है कि संबंधित शिकायत तथ्यहीन है। इस संबंध में वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने विवरण देते हुए बताया कि सरकार के पास विभिन्न स्रोतों से शिकायत मिली थी कि भारतीय बाजार में चीन में निर्मित वस्तुएं भर गयी हैं। इनमें मुख्यतया खिलौने, घड़ियाँ और हलके इलेक्टॉनिक आइटम शामिल हैं। प्रवता के अनुसार ऐसी शिकायतें व्यापारियों की ओर से की गयी थीं। शिकायतों में यह भी कहा गया था कि चीन निर्मित वस्तुएं सस्ते मूल्यों पर बेची जा रही हैं, जिससे भारतीय उत्पादकों को नुकसान हो रहा है।

Scanned with OKEN Scanner

वाली सब्सिडी कम करते जाने की विवशता से ग्रस्त है। लेकिन, चीन इस व्यापार संगठन का ऐसा सदस्य है जिस पर घरेलू उत्पादनों पर मिलने वाली सब्सिडी कम करने की विवशता नहीं है। विश्व व्यापार संगठन की शर्तों से मुक्त रहने वाले देशों को ही आयात निर्यात के संतुलन की आपसी सुविधाएँ हैं फिर भी कुछ कानूनी छूटों को रास्ते भी हैं। इन छूटों को आधार पर चीन ने भारत से एक व्यापारिक समझौता भी कर रखा है। इस समझौते को 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' माना जाता है। इस तरह का समझौता दूसरे देशों के साथ भी चीन के हुए हैं। अन्य देशों सहित भारत को भी आशा है कि जब चीन विश्व व्यापार संगठन की सशर्त सदस्यता के दायरे में आ जाएगा तब उसे भी घरेलू सब्सिडी और अन्य सुविधाओं में कटौतियाँ करनी होगी और वह भी अन्य देशों के उत्पादन के लिए बाजार बनेगा, फिर भारत भी उसका लाभ लेगा। लेकिन जब भारत के उत्पादक और उत्पादन दोनों का अंत हो चुका होगा चीन भारत के लिए बाजार कैसे बनेगा।

भारत में चीनी माल के आने के रास्ते क्या हैं? एक तो अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार मिलने वाला किसी देश की सीमा से लगा समुद्री मार्ग है। चीन के जहाज भारत की जल सीमा से गुजरते हैं। उनका गंतव्य कोई दूसरा देश होता है। पर, उस जहाज में चीनी माल लदे रहते हैं जिन्हें नौकाओं पर उतार लिया जाता है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर जमा कर लिया जाता है। बाद में उन्हें भारत के बाजारों में ले आया जाता है। यह एक ऐसी तस्करी है जिसके लिए बाजार में पाबंदी नहीं है। इस धंधे को भ्रष्ट प्रशासन रोकने में रुचि नहीं दिखाता, बल्कि इससे कुछ कमाई सोंचता है। दूसरा रास्ता सीमा से सीधे तस्करी का है भूटान, तिब्बत, नेपाल, बंगलादेश से होते हुए भू-मार्ग से चीनी माल भारत आते हैं और इसके अतिरिक्त का रास्ता जाली परमिट पर चीनी माल लाना है। रास्तों में शामिल लोग देश की आर्थिक स्थिति की चिंता में नहीं अपनी कमाई में लगे हुए हैं।

भारत सरकार के आँकड़ों के कलाकार यह बताते हैं कि चीन के साथ भारत के व्यापार में भारत ६५% का हिस्सेदार है और चीन ३६% का। आँकड़े के अनुसार चालू वित्तवर्ष में चीन के साथ भारतीय वस्तुओं का निर्यात ५०% और आयात ३४% है। यह आँकड़ा भ्रम उत्पन्न करता है। वास्तविकता सबकी आँखों के सामने है।

सरकार ने चीन की डम्पिंग पर प्रतिबंध लगाने की बात की। लेकिन वह प्रतिबंध आई.बी.बी. रसायनिक पदार्थ के लिए था। इस प्रतिबंध के लिए मुम्बई की दो रसायन कंपनियों हरडिलिया केमिकल्स लिमिटेड और विनास्ती आर्गेनाइक ने सीमा कर अधिनियम और एंटी डम्पिंग ड्यूटी ऑन डम्प्ड एण्ड फॉर डेटरमिनेशन और ऑफ इन्यूरी रूल्स-९५ के तहत आई.बी.बी. की डम्पिंग के खिलाफ याचिका दे रखी थी। चीन और पूर्वी देशों से आने वाले १३१ वस्तुओं पर एंटी डम्पिंग शुल्क लगाने की बात उठी थी। चीनी माल की बिक्री पर भी शुल्क बढ़ाने की सूचना थी। इनकी बिक्री पर भी शुल्क बढ़ाने की सूचना थी। इनकी बिक्री में राजस्व की हानि भी होती रही है। सरक इस प्रकार की १०५ वस्तुओं को रेख किया। लघु उद्योगों को बचाने के संकेत लिए गए। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को इ इकोनॉमिक जोन में बदल देने के फैसले में आए। यह जानकारी मिली कि केंद्र स नई औद्योगिक सरलीकृत नीति की घ करेगी। देश के नॉर्थ-ईस्ट, वेस्ट-साउथ चारों महानगरों के लिए ६६,००० करोड़ की योजना पर कार्य प्रारंभ हो रहा है। ले निराशा के बादल अब और घने होते ज है। १ अप्रैल, २००१ से मात्रात्मक प्रतिबं दरवाजा पूरी तरह उठने वाला है। इसके के दृश्य डरावने होंगे। सरकार की भूमिक कैसी होगी? यह देखने का अवसर मिल अधिक देर होने वाली नहीं है।

डाबर बेंचेगा चीन की गंध से गंधाया दूध

चीन के तियान जीन नामक क्षेत्र बैट्री, खिलौने और इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने के लि जाना जाता है। लेकिन अभी डबल टोण्ड स्टरलाइज्ड दूध को सुगंधित कर बेंचने के लि यह स्थान चर्चा में आ गया है। यह दूध नौ महीने तक साबूत रह सकता है। यह फटेगा नहीं सड़ेगा भी नहीं इसके अलावा इसमें कोई गड़बड़ी पैदा होगी इससे कोई रोग फैलेगा, स्वास्थ पर कोई असर आएगा – इसके विषय में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। कहाँ तो भा के गाँव के लोग गाय-भैंस के दूहे जाने के साथ-साथ दूध पीने के महत्व से परिचत रहे और कहाँ नौ महीने पुराने चीन की गंध से गंधाए दूध को पीने के लिए भारतवासियों विवश किए जा रहे हैं। खान-पीन की शुद्धता बनाए रखने की कठोरता के लिए जाने जानेवा भारतीय जनजीवन को न जाने क्या हो गया है कि वह किसी प्रकार के कचड़े को विदे लेबल में स्वीकार करने लेने का विश्वास आज दुनिया के व्यवसायियों को बँट रहा है। म अभी भी हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो बाहर की खाने-पीने वाली चीजों शुद्धता पर विश्वास नहीं करते।

चींटे, साँप, मेढ़क इत्यादि तक को भी बड़े चाव से खाने वाले सर्व आहारी चीनि को पता है कि भारत के लोग खानपान में शुद्धता बरतते हैं। इसलिए शायद उन्होंने अपने की बिक्री के लिए भारत की एक आयुर्वेदिक उत्पादनों की डाबर नामक कंपनी को अ व्यवसाय का माध्यम बना लिया है। डाबर इण्डिया लिमिटेड और फ्रांसिसी कंपनी बोन इंटरनेशनल ने आधे-आधे की हिस्सेदारी पर डाबोन इंटरनेशनल नाम से एक उपक्रम बना है। डाबर और बोनग्रेन का संयुक्त उपक्रम डा+बोन = डाबोन चीन का डबल टोण्ड यानी लग पूरी तरह मक्खन निकाले गए दूध को पिला-पिलाकर भारत के लोगों को स्वस्थ-तनदुरु गबरु जवान बनाने के लिए बाजार में उतरी हैं। बड़ी मेहरबान हैं ये कंपनियाँ, इनके आ तालमेल – समझौते और गठबंधन का गणित राजनीतिक पार्टियों के समीकरण से कहीं अ संश्लिष्ट है। चीन के तियानजीन में चल रहे फ्रीज लैंड तियानजीन डेयरी-फूड्स कंपनी काम की देखरेख हॉलैंड की फ्रीज लैंड कंपनी करती है। फ्रीजलैंड और तियानजीन डे के संयुक्त प्रयासों से किए जा रहे दूध और दूध आधारित चॉकलेट, स्ट्राबेरी और बनाना ना उत्पादन बेंचने में कितनी-कितनी कंपनियाँ हाथ मिलाए बैठी हैं। डाबर और बोनग्रेन का ताल तो भारतवासियों के सिर पर आ धमका है। मामला बड़ा पेंचीदा है। लेकिन, परिणाम व आसान है। परिणाम यह होगा कि भारत के आम आदमी और बड़ी कंपनी सभी दूध के रोज में पिटने लगेंगी यदि यहाँ के ग्राहकों ने इन उत्पादनों को अस्वीकार नहीं किया तो।

भारतीय रेल को अमरीकी कंपनी के हाथों में देखना चाहता है विश्व बैंक

■ सुमित मित्तल

विश्व बैंक यह भी चाह रहा है कि रेलवे संबंधित उत्पादनों की इकाईयों को एशियाई विकास बैंक, स्विट्जरलैंड की एशिया ब्राउन ब्रेवरेज (एबीबी) और जी एम इलेक्ट्रिक नाम की अमरीकी कंपनी को भारत सरकार दे डाले। भारतीय रेलवे के सभी अंग अलग-अलग हो जाए और विदेशी कंपनियों के हाथ में चली जाए।

मुफ्त के नहीं होते विश्व बैंक के पैसे। इन पैसों को लेने के गंभीर परिणाम भी देशों को भुगतने पड़ते हैं। कर्ज के पैसे चुकाने के लिए कर्जखोर देशों के अस्तित्व से जुड़े संसाधन भी कई बार विश्व बैंक के हथकंडे से विदेशी कंपनियाँ हथिया लेती हैं। कर्ज के भुगतान के लिए देश की पवित्र नदियाँ अमूल्य खादान या अन्य उद्यम भी नीलामी हो सकती है। इसके लिए जरूरी है कि कोई देश विश्व बैंक का पैसा किस मात्रा में बतौर कर्ज खा रहा है। भारत भी विश्व बैंक का अच्छा कर्जखोर देश बनता जा रहा है। इस रास्ते पर ले जाने में भ्रष्ट प्रशासन कम सहायक नहीं है।

विश्व बैंक के हथकंडे से अमरीका की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी भारतीय रेल को हथियाने की दिशा में लगी हुई है। विस कौंसिल सेंट्रल नामक यह कंपनी ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया में रेलवे के कारोबार से जुड़ी हुई है। यह कंपनी भारतीय रेल को भी कब्जा करना चाहती है। विश्व बैंक भी चाहता है कि भारत का रेल मंत्रालय रेलवे लाइन सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन की व्यवस्था का कार्य करें और आर्थिक लाभ हानि की चिंता से मुक्त रहे। विश्व बैंक यह भी चाह रहा है कि रेलवे संबंधित उत्पादनों की इकाईयों को एशियाई विकास बैंक, स्विट्जरलैंड की एशिया ब्राउन ब्रेवरेज (एबीबी) और जी एम इलेक्ट्रिक नाम की अमरीकी कंपनी को भारत सरकार दे डाले। भारतीय रेलवे के सभी अंग अलग-अलग हो जाए और विदेशी कंपनियों के हाथ में चली जाए। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्क्स फेडरेशन के अध्यक्ष उमरावमल पुरोहित का कहना है कि आज रेलवे संकट से गुजर रहा है उस पर विश्व बैंक भारी दबाव बनाता जा रहा है।

ध्यान रखने की बात है कि ब्रिटेन में रेलवे को अमरीका की विस कौंसिल सेंट्रल कंपनी हाथ में लेकर उसकी सभी इकाईयों को तोड़ चुकी है आज ब्रिटिश रेलवे सौ कंपनियों के हाथों में फँसी हुई है उनमें तालमेल के अभाव में सारी व्यवस्था दुखद बन गई है। यही काम भारतीय रेलवे के साथ विश्व बैंक करना चाहती है। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्क्स फेडरेशन के साथ हुई बैठक में विश्व बैंक के अधिकारियों की यही मानसिकता व्यक्त होती पाई गई है।

फेडरेशन के अध्यक्ष श्री पुरोहित ने आशंका व्यक्त की है कि भारतीय रेल के प्रति राकेश मोहन कमेटी का दृष्टिकोण विश्व बैंक की इच्छा के अनुरूप भी हो सकती है। यह रिपोर्ट भारतीय रेल जैसे विशाल संस्था में हंगामा खड़ा कर सकता है। राकेश मोहन एक ऐसे अर्थशास्त्री गिने जाते रहे हैं जो भारतीय रेल की अर्थव्यवस्था की सुधार के लिए कार्यरत रहे हैं। इनकी अध्यक्षता में गठित समिति को रेलवे के उद्धार के लिए रिपोर्ट देना है। इस समिति की रिपोर्ट रेल व्यवस्था की अर्थी निकालने वाली भी हो सकती है अर्थात् यह समिति भारतीय रेल का विदेशी कपंनियों के हाथों बेचने की संस्तुति कर सकती है।

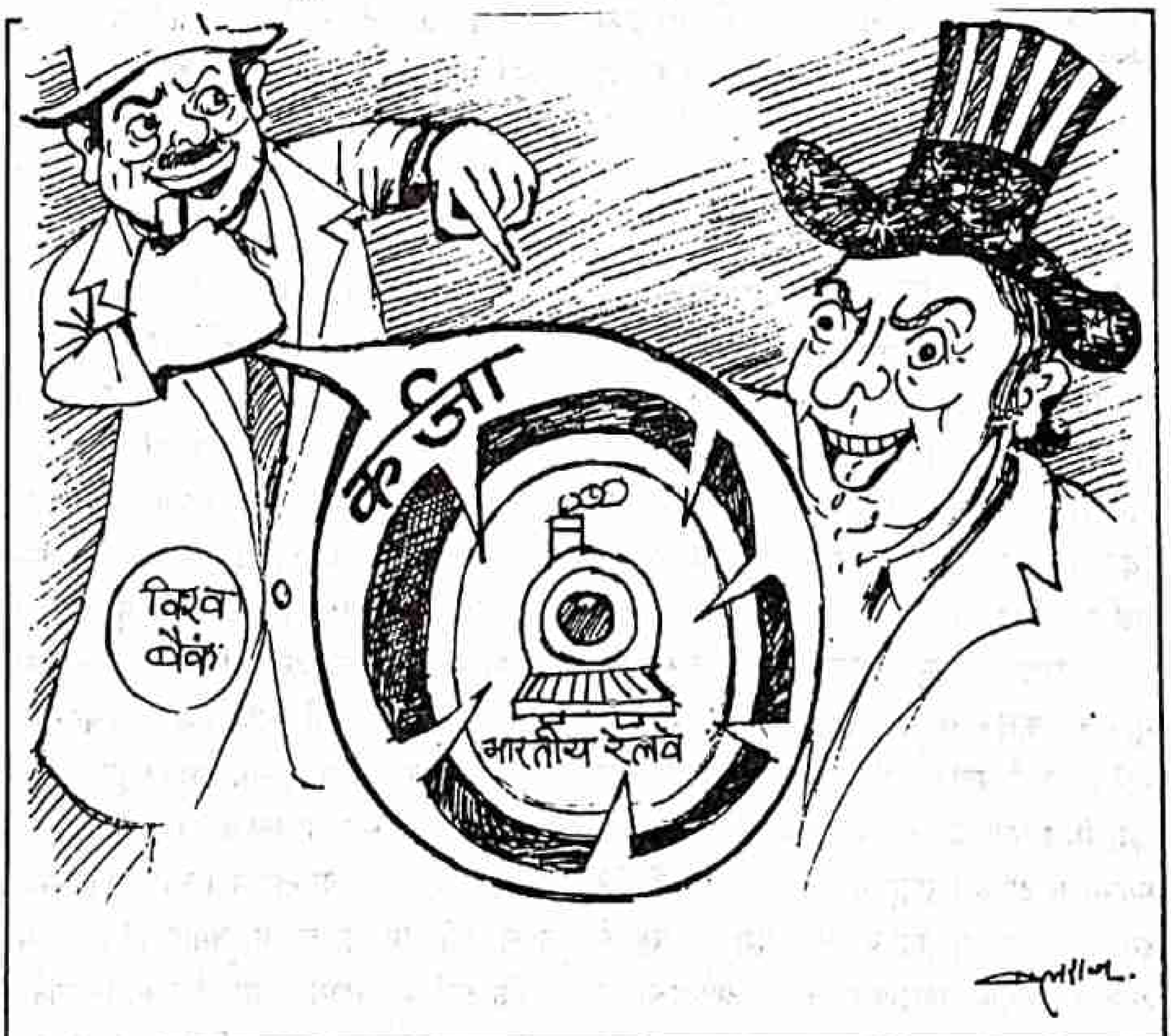

Scanned with OKEN Scanner

विश्व बैंक भारतीय रेल की स्थिति सुधारने के लिए पैसे देने की बात करता है इसमें उसकी मानसिकता यह है कि भारतीय रेल जब पैसा खाना शुरु कर देगी, उसे खरीदना आसान रहेगा। विश्व बैंक विदेशी कंपनियों के हितों को साधने वाली बिचौलिया संस्था रही है। यह पैसे की ओर अधिकारियों को आकर्षित कर उन्हें खरीद लेना है और मनमाना काम करवाता है।

भारतीय रेल व्यवस्था में विदेशी कंपनियों का प्रवेश हो चुका है। विश्व बैंक अमरीकी कंपनी यू.पी.एस. को भारतीय रेल के ब्रेकयान दिला चुका है। अमरीकी कंपनी यू.पी.एस. ने यह व्यवसाय कूरियर कंपनी के बदले हुए नाम से हासिल कर चुकी है। अब भारतीय रेल के ब्रेक यान में वही माल ढोया जाता है जिसे यू.पी.एस. कंपनी चाहती है। ध्यान रहे कि भारतीय रेल में महात्मा गाँधी के कहने पर कभी निःशुल्क नमक की ढुलाई हुआ करती थी। क्या आज भारतीय जनता की सुविधा को ध्यान में रखकर इस प्रकार का कोई कार्य किया जा सकता है। दशहरा, होली, दीवाली या कुम्भ जैसे पर्वों उत्सवों पर रेल मंत्रालय विशेष ट्रेने आयोजित करता है यह काम विदेशी कंपनी क्यों करेगी वह मुनाफे के लिए ही काम करेगी और विदेशी कंपनियों या अन्य पोषक विचारवादों के हित के लिए ही तत्पर होगी। अभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गिद्ध दृष्टि रेलवे प्लेटफार्म के स्टालों पर है। यह बाजार हाथ लगते ही रेलवे प्लेटफार्म से देशी दुकानदारों, देशी वस्तुओं, पुस्तकों, खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों आदि का जड़ से सफाया हो जाएगा। इसके बाद बेरोजगारी के पेट से अपराध का जन्म होगा। सरकार की संसदीय व्यवस्था न्यायपालिका, दण्डपालिका तब भी रहेगी, मगर वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बाजार व्यापार की रक्षा में कार्यरत होगी।

किसी उद्योग या व्यवसाय में लगने वाले घाटे का निदान उस व्यवस्था को दूसरों के हाथों बेच देना नहीं हो सकता, बल्कि उसकी लाभकारी व्यवस्था बनाने से होगा। इसके लिए आज राष्ट्रभक्ति, नैतिकता, स्वातंत्र्य भावना आदि देशवासियों के मूलभूत गुण आवश्यक उपकरण के रूप में सामने आते जा रहे हैं। ■

निवेश की भिक्षा क्यों?

■ डॉ. गणेश लाल मुधड़ा

भारत के एक और प्रधानमंत्री अमरीका गए, साथ ही वहाँ ११ मुख्यमंत्री कतारबद्ध होकर हाजिर हुए – एक पराये अमरीकी के सामने, यह कहते हुए कि 'हमारे देश के लिए निवेश प्रदान करो। हमको उदार शर्तों पर ऋण दो। हमारी सहायता करो। हमें बचाओ' और वे लौट आए स्वदेश, लौट आए अपने-अपने राज्यों में, अपनी-अपनी उपलब्धियों का बखान करने। जनता ने की जय-जयकार। मंत्रियों तथा अधिकारियों ने कतार में खड़े होकर उनकी अगवानी की, फूलों के गुच्छे भेंट किए। उन पर वृत्त चित्र फिल्माया गया। जनता ने उसे देखा, सहारा और बस हो गई इतिश्री।

काश, इन सब घटनाओं का वास्तविक मूल्यांकन कोई करता। क्या मिला? क्या खोया? यदि नहीं मिला तो क्यों? आदि। निवेश माँगने पर जरूर कुछ मिल जाता है। परंतु क्या वह पर्याप्त है? क्या प्रयास के अनुरूप सफलता मानी जा सकती है? इससे आगे सोचिए, क्या यह कार्य देश के गौरव के अनुरूप है? प्रायः दिखता है कि इन अपेक्षाओं पर सारे प्रसंग निराशाजनक हैं। "हमें दो" यानी भिक्षा दो। भिक्षा में मिलना भी क्या है? कोई सूखी-बासी रोटी की टेक्नोलोजी . . . .। धन के रूप में चंद सिक्के और जो सबसे अधिक मिलता है वह है "उपदेश" – "यह करो", "वह करो" और "यह मत करो", "वह मत करो" आदि।

सबसे अधिक जो उपदेश मिलता है वह है मेहनत करो तो धन कमाओगे। अच्छे भले तो हो, क्यों भिक्षा माँगते हो? अच्छी बात है। आ ही गए हो तो यह तो ले ही जाओ। जूठा, उतरा हुआ, फेंका हुआ। और भिक्षा में मिलेगा भी क्या?

दूसरी ओर चीन, कोरिया, इंडोनेशिया जैसे देश हैं जिनको माँगना नहीं पड़ता। निवेशक स्वयं ही कतारबद्ध होकर रुपया लगाने पहुँच रहे हैं। चीन तो स्पष्ट रूप से निवेशकों को अपनी शर्तें लगाकर आमंत्रित करता है। फिर भी वहाँ निवेशकों की भीड़ है तथा भारत उनकी बाट जोह रहा है। स्पष्ट है कि भीख माँगने से कुछ नहीं मिलता। यदि कुछ पाना है तो कुछ शक्ति जुटानी होगी। अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। विशेषकर निवेशक को यह आश्वासन देना होगा कि उसका निवेश अल्पतम समय में उसको पूरा लाभ देगा। उसका निवेश सुरक्षित रहेगा। उसके कार्यकलाप में आवश्यक अड़चने नहीं आवेंगी। इन कसौटियों पर खरा उतरने से ही निवेशक को आकर्षित किया जा सकता है। परंतु दुर्भाग्य से देश इन्हीं कसौटियों पर खरा नहीं उतर रहा है। सबसे पहले जमीन मिलनी चाहिए। जमीन की हालत यह है कि वर्षों का प्रयास केवल एक आधार पाने में खप जाता है। जमीन के विभिन्न कानून तथा स्थान-स्थान पर राजनैतिक अड़चने जमीन ही नहीं मिलने देती। मिल भी जाए तो लम्बी लाल फीताशाही निवेशक को निराशा के गहरे गर्त में ढकेल देती है। कई निवेशक तो इस स्थिति में अपना बोरिया-बिस्तर समेटकर पलायन कर गए। जैसे ही जमीन मिली तथा उद्योग की घोषणा हुई, लाल तिरंगे, भगवा आदि झंडे जमीन के चारों ओर दिखाई देने लगते हैं, यह कहते हुए कि हमारे आदमी लेने होंगे। हमसे सामान खरीदना होगा। हमें यह ठेका दे दो। सरकारी इंस्पेक्टरों की चाय-पानी का सिलसिला अलग। कभी बिक्री कर, कभी उत्पादन कर, कभी फैक्टरी इंस्पेक्टर तो कभी ई.एस.आई., न जाने कितने विभाग तथा कितने अधिकारी सामने होते हैं बस निवेशक दुःखी होकर सोचने लगता है – हम कहाँ आकर फँस गए। इस पर भी यदि निवेशक टिका रहता है तो बिजली-पानी विभाग जो नाच नचाता है, उसे देखकर तो बंदर का नाच भी सम्मानजनक लगता है। जिन राज्यों में बिजली की बहुतायत आपूर्ति है वे भी बिजली देने के समय भारी रकम माँगते हैं – बिजली के कनेक्शन देने का सामान खरीदने में। अब तीसरी तरह की बाधाएँ आती है – आप यह सामान नहीं बना सकते या यही बना सकते हैं। खिलौने नहीं बना सकते। गारमेंट नहीं बना सकते हैं। इस चक्कर में देश में जनता रद्दी गुणवत्ता का माल खरीदने को विवश है या फिर अब वैश्वीकरण के समय परदेशी माल खरीदकर देश की अर्थव्यवस्था पर प्रहार करने पर विवश हैं। अब अंत में इन सब बाधाओं के बावजूद कोई हठी निवेशक किसी प्रकार उद्योग चालू कर भी ले तो समय पर उत्पादन गुणवत्ता का स्तर तथा श्रमिकों का सहयोग कितना मिलेगा आदि? सब कुछ भाग्य के भरोसे ही रहता है। अतः जब तक यह सब वातावरण ठीक नहीं होगा भिक्षा माँगने का कोई अर्थ भी नहीं है और इसका अंत भी नहीं है। कभी-कभी तो यह भी विचार आता है कि यदि यह भिक्षा देने वाले भिक्षा देना बंद कर दें और हर ओर से ठोकर लगा दें, इस ठोकर के बाद देश का आत्मसम्मान जाग पड़े तो इस अपकार से भी भारी उपकार हुआ माना जा सकता है। ■

Scanned with OKEN Scanner

पेटेंट कानून के पेंच

भरत झुनझुनवाला

हमारे देश के कानून को विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप होना होगा। अपने उच्चतम न्यायालय में अपील के निस्तारण के समय अंतरराष्ट्रीय नियमों को ध्यान में रखा जाता है . . . हमारी सरकार को यह अधिकार नहीं होगा कि अमरीका में पेटेंट की गई दवा को दूसरे तरीकों से भारत में उत्पादित करने की स्वीकृति दे दे।

एक संगोष्ठी में वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि पेटेंट अथवा बौद्धिक संपदा कानून मूल रूप से भारत के हित में है। निश्चय ही इन कानूनों का कुछ लाभ अवश्य है। इनसे हमारी रिसर्च कंपनियों को प्रोत्साहन मिलेगा, हमारी फिल्मों को संरक्षण तथा आयुर्वेद एवं यूनानी पद्धतियों में खोज की दिशा में मदद मिलेगा। दूसरी ओर दवाओं एवं अन्य वस्तुओं के दाम बढ़ेगे और हमारी उद्यमी सस्ते विदेशी माल के डुप्लीकेट नहीं बना सकेंगे। अतएव इसके लाभ हानि का आकलन होना चाहिए।

अधिकारियों का कहना था कि यदि हृदय की सर्जरी किसी की आर्थिक क्षमता के बाहर है तो उसे दूसरों को उपलब्ध कराने में बाधक नहीं बनना चाहिए। बात सही है। पेटेंट कानून को स्वीकार करने से अनेक आधुनिक उपचार हमारी जनता को उपलब्ध हो जाएँगे अन्यथा उनसे हम वंचित रह जाएँगे। अपनी गरीबी के चलते अमीर से द्वेष नहीं करना चाहिए। यदि पेटेंट कानून में संशोधन करके देश के समृद्ध वर्ग को हृदय सर्जरी उपलब्ध कराई जा सकती है तो गरीब को विरोध नहीं करना चाहिए। परंतु यहाँ प्रश्न किसी गरीब द्वारा अकारण अथवा द्वेष भावना से विरोध का नहीं है। यहाँ प्रश्न है, हृदय सर्जरी के कारण आम आदमी को होने वाले नुकसान का। सरकार को यह आकलन करना होगा कि हृदय सर्जरी का लाभ कितने व्यक्तियों को होगा और उसके फलस्वरूप दवा के ऊँचे दाम के कारण कितने लोगों का नुकसान होगा। प्रश्न हृदय सर्जरी को उपलब्ध कराने अथवा न कराने का नहीं है। प्रश्न हृदय सर्जरी को उपलब्ध कराने बनाम दवा के ऊँचे दामों से नुकसान का है। इसी प्रश्न का दूसरा पक्ष यह है कि हृदय सर्जरी की जो तकनीक वर्तमान में पेटेंट कानून को स्वीकारने पर ही उपलब्ध हो सकती है उसके विकल्प खोजे जा सकते हैं। कुछ समय पहले अमरीका ने सुपर कंप्यूटर देने से इनकार कर दिया था। हमने अपने बल पर उसे बना डाला। यही स्थिति परमाणु तकनीकों की रही है। अत: देखना यह चाहिए कि उस तकनीक का स्वयं अविष्कार करने में जो समय लगेगा उस अवधि में कितना नुकसान होगा और उसके स्वयं अविष्कार करने के बाद सस्ते दामों में उपलब्ध होने से कितना लाभ होगा।

वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों का दूसरा तर्क यह था कि हमारे देश में कोई भी पेटेंट तब ही लागू होगा जब हमारे देश का पेटेंट दफ्तर उसे स्वीकृति दे दे। अमरीका में किसी दवा का पेटेंट हो जाने से स्वत: उसकी मान्यता भारत में नहीं हो जाती है। इसलिए पेटेंट से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने देश की बागडोर अपने देश की सरकार के हाथ में ही रहेगी। यह बात यही है। लेकिन पेंच यह है कि हमारे देश के कानून को विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप होना होगा। अपने उच्चतम न्यायालय में अपील के निस्तारण के समय अंतराष्ट्रीय नियमों को ध्यान में रखा जाता है। अत: कानून को लागू करने का अधिकार हमारी सरकार के हाथ में अवश्य होगा परंतु वह कानून तो विदेशी ही होगा। जैसे लेखक को हाथ में कलम के स्थान पर तलवार थमा दी जाए और कहा जाए कि अपनी इच्छानुसार इसका उपयोग कर सकते हो वैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हमारी सरकार को यह अधिकार नहीं होगा कि अमरीका में पेटेंट की गई दवा को दूसरे तरीकों से भारत में उत्पादित करने की स्वीकृति दे दे।

इस संदर्भ में अधिकारियों ने यह भी कहा कि अमरीका में नीम पर दिए गए पेटेंट को निरस्त कराने में हमें जो सफलता मिली वह पेटेंट कानून के कारण ही थी। यह सही है, लेकिन इस सफलता का चरित्र जहर की मात्रा कम कराने में सफलता प्राप्त करने जैसी है।

मंत्रालय का तीसरा तर्क था कि विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत एक ही समझौता सभी देशों में लागू हो जाता है। विश्व के सैकड़ों देशों से अलग-अलग समझौता करने की तुलना में एक बहुराष्ट्रीय समझौता उत्तम है, विशेषकर वह जिसमें अपील करने की व्यवस्था हो। यह सही है मगर पेंच यह है कि यह बहुराष्ट्रीय समझौता एक पैकेज है जिसे या तो पूर्णतया अपनाना होगा या पूर्णतया छोड़ना होगा। यह संभव नहीं है कि व्यापार के क्षेत्र में हम बहुराष्ट्रीय समझौता स्वीकार कर लें और पेटेंट के बहुराष्ट्रीय समझौते को नहीं। मात्र बहुराष्ट्रीय हो जाने से कोई समझौता देश हित में नहीं हो जाता। हमें स्वतंत्र आकलन करना होगा कि वह पैकेज हमारे देश के लिए कितना हितकर है।

मंत्रालय का चौथा तर्क था कि हमारे देश में भारी मात्रा में शिक्षित हैं। जैसे हमने साफ्टवेयर के निर्यात में सफलता हासिल की है, वैसे ही अन्य क्षेत्रों में ज्ञान आधारित रिसर्च करके हम भारी लाभ अर्जित कर सकते हैं। जेनेटिक्स आदि क्षेत्रों में अनेक संभावनाएँ है। यह सही है। परंतु इस लाभ की मात्रा का आकलन करना होगा। हमें यह देखना होगा कि हमारे देश की क्षमता कहाँ है? व्यापार अथवा रिसर्च में। ऐतिहासिक दृष्टि से भारत सदा ही व्यापारिक देश रहा है।

नई वस्तुओं की रिसर्च में सफलता का हमारा मजबूत इतिहास नहीं है। विश्व स्तर पर पेटेंट हासिल करने में हमारा रिकार्ड भी कमजोर

Scanned with OKEN Scanner

रहा है। हमें अपना ध्यान सस्ते माल के उत्पात पर केंद्रित करना चाहिए। रिसर्च से १० रुपए के होने वाले लाभ के लिए सस्ते उत्पादन होने वाले १००० रुपए के लाभ को छोड़ना नहीं चाहिए। यदि हम पेटेंट कानून को नहीं बदलते हैं तो हम पश्चिमी उत्पादों के सस्ते डुप्लीकेट बनाकर अपनी जनता को मुहैया करा सकते हैं। हम इन वस्तुओं का निर्यात भी कर सकते हैं।

मंत्रालय का पाँचवाँ तर्क यह था कि फिल्मों तथा संगीत के कापीराइट से हमारे इन उद्योगों में भारी लाभ हो रहा है। यह सही है लेकिन कापीराइट और पेटेंट दो अलग-अलग विषय हैं। फिल्म केवल एक उद्योग है जबकि पेटेंट सभी उद्योगों पर लागू होता है। हमें यह भी देखना होगा कि फिल्मों से होने वाला लाभ समाज के किस वर्ग को मिलता है और पेटेंट से होने वाला नुकसान किसे होता है।

मंत्रालय का छठा तर्क था कि पेटेंट कानून में संशोधन करने से हमें सीधा विदेशी निवेश भारी मात्रा में मिल सकता है। बताया गया कि अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ इंतजार कर रही हैं कि कब भारत का पेटेंट कानून संशोधित हो और भारत में सीधा निवेश करें। अधिकारियों ने यह भी स्वीकार किया कि पेटेंट कानून तथा विदेशी निवेश का आपसी संबंध आंकड़ों से सत्यापित नहीं होता है। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं है कि सीधा विदेशी निवेश हमारे लिए हितकर है, चूँकि वह घर के अंदर घुसकर हमारे उद्योगों को नष्ट करता है।

मंत्रालय का सातवाँ तर्क यह था कि पेटेंट कानून तथा व्यापार एक पैकेज है। हमें पेटेंट से होने वाले अल्प नुकसान पर ध्यान न देकर व्यापार से होने वाले अधिक लाभ पर ध्यान देना चाहिए। हमें मुक्त व्यापार का लाभ उठाते हुए अपने देश की जड़ी-बूटियों का उत्पादन बढ़ाना चाहिए। यह तर्क ठीक है परंतु इस तर्क के अंतर्गत यह स्वीकार किया जाता है कि पेटेंट कानून से हमें नुकसान है। यह वास्तव में आकलन किया ही जाना चाहिए कि विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न नियमों के अंतर्गत कितनी लाभ-हानि है। देश का दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार ऐसे अध्ययन कराना नहीं चाहती।

यह भी संभव है कि यदि हम पेटेंट कानून के कारण विश्व व्यापार संगठन के बाहर आ जाएँ तो भी हमारा व्यापार ज्यादा प्रभावित न हो। आखिर चीन ने विश्वभर में तहलका मचा रखा है यद्यपि वह विश्व व्यापार संगठन के बाहर है। चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनने को उत्सुक है लेकिन इसका कारण व्यापार संगठन की सदस्यता से होने वाला लाभ नहीं; बल्कि उससे अप्रत्यक्ष रूप में मिलने वाला विदेशी निवेश है। चीन इस बात को नजरअंदाज कर रहा है कि जिस सीधे विदेशी निवेश को वह अमृत समझ रहा है दीर्घकाल में वह विष सरीखा सिद्ध हो रहा है। यदि चीन इस घातक नीति को अपना रहा है तो हमें उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए।

मंत्रालय का आठवाँ तर्क यह है कि आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति की खस्ता हालत का कारण पेटेंट कानूनों का न होना है। आयुर्वेदिक अनुसंधान में हमारे देश में निवेश नहीं हुआ है। आयुर्वेद अनुभव आधारित पद्धति है। आधुनिक आयुर्वेद ने अनुभव के इस मूल सिद्धांत को त्याग दिया है। देखना यह चाहिए कि अन्य विकासशील देशों में पेटेंट कानून सख्त होने के बाद भी ऐलोपैथी अनुसंधान कितने हु हैं। यदि हमारे देशों में ऐलोपैथी में अनुसंधा नहीं हुए हैं तो हमारे देश में आयुर्वेद में अनुसंधा की कमी को पेटेंट कानूनों के कारण नहीं बताय जा सकता है।

मंत्रालय का अंतिम तर्क यह था वि बौद्धिक संपदा को संरक्षण देने की हमारी परंप रही है। संभवतः वे घराना पद्धति की ओर संके कर रहे थे। घराना तथा पेटेंट अलग-अल व्यवस्थाएँ हैं। घराना पद्धति में ज्ञान को स्व संयम करके सुरक्षित रखा जाता था जबकि पेटें में सरकारी व्यवस्था के दबाव से सुरक्षित रह जाता है।

घराना-पद्धति का एक और सिद्धां दिखता है। ज्ञान व संरक्षण पर ध्यान क और उसके सदुपयो पर ध्यान अधिक थ यदि उपयुक्त उत्तराधिकारी उपलब न हो तो विद्या को न हो जाने देना ही श्रेयस्क माना गया। पेटेंट कानू में ऐसी कोई सोच नहं है कि पेटेंट धारक उस विद्या का प्रयोग कि प्रकार करता है। पेटें व्यवस्था हमारी परंपर के पूर्णतया विपरीत है

निष्कर्ष यह निकलता है कि पेटेंट कानून में पेंच है मंत्रालय का कोई भी तर्क खरा नहीं उतरता है। मूलरूप से सभी बौद्धिक संपदा कानून हमारे हित में नहीं दिखते हैं। फिर भी यदि मुक्त विदेशी व्यापार से होने वाला लाभ अधिक हो तो इस नुकसान को स्वीकार किया जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि पेटेंट से होने वाले नुकसान तथा व्यापार से होने वाले लाभ का निष्पक्ष आकलन किया जाए और उसके आधार पर हम तय करें कि हमें विश्व व्यापार संगठन में रहना चाहिए अथवा बाहर आ जाना चाहिए। इस विषय का अध्ययन न करना और पेटेंट से होने वाले लाभ की गुहार लगाते रहना इस बात का द्योतक है कि दाल में काला है। ■

स्वदेशी इतिहास दृष्टि की आवश्यकता

आज का समाज इतिहास से नवीन प्रश्न कर रहा है। वह नवीन विषयों को इतिहास जानना चाहता है। वह भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का और सैन्य परम्परा का सच्चा इतिहास जानना चाहता है। वह विश्व सभ्यता को भारत की क्या देन रही है वह जानना चाहता है। उसे जिज्ञासा है कि विश्व के व्यापार वाणिज्य में भारत का क्या स्थान था? क्यों पश्चिमी विद्वानों ने भारत को स्वर्ण का अमित घड़ा बताया? भारत की कला और संस्कृति का इतिहास नवीन समाज जानना चाहता है और ये सभी जिज्ञासाएँ इतिहास की स्वदेशी दृष्टि ही पूर्ण कर सकती हैं। अब समय आ गया है कि भारत के इतिहास की स्वदेशी परम्परा को पुनर्जीवित किया जाए।

■ अतुल रावत

किसी राष्ट्र के अतीत का सार ही वहाँ का इतिहास होता है। उस राष्ट्र में परम्परा और परिवर्तन, समाज में आए उतार-चढ़ाव और वहाँ की हर महत्त्वपूर्ण घटना इतिहास के दर्पण में देखी जा सकती है। किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं लिया जाना चाहिए कि इतिहास या उसका कोई भी आयाम अपरिवर्तनीय होता है। परिवर्तन स्वयं में इतिहास का सबसे बड़ा सत्य है। परिवर्तन से ही परम्परा बनती और विकसित होती है। और परम्परा स्वयं में इतिहास का सबसे बड़ा स्रोत भी है और उसकी आत्मा भी। इसी सत्य को भगवान श्रीकृष्ण ने भवद्गीता में उद्घाटित किया है। जब अर्जुन ने उनसे उस समस्त ज्ञान का स्रोत पूछा जो उन्होंने उसे दिया था तो श्रीकृष्ण ने उसे बताया कि उन्हें यह ज्ञान परम्परा से प्राप्त हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य उसका इतिहास, परिवर्तन, परम्परा तथ्य और उनका चयन ये सभी कारक आपस में बड़े जटिल सम्बन्धों में गुंथे हुए हैं। ये न केवल परस्पर आश्रित हैं अपितु एक दूसरे पर क्रिया और प्रतिक्रिया भी करते रहते हैं। इसी लिए मनुष्यों की हर पीढ़ी अपने राष्ट्र का इतिहास अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नवीन प्रकार से लिखती है। इस प्रकार लिखा गया इतिहास अगली पीढ़ी के लिए स्वयं इतिहास का हिस्सा बन जाता है और इतिहास के इतिहास या अंग्रेजी में कहें तो हिस्टोरियोग्राफी में एक नया अध्याय जुड़ जाता है।

इसका एक अत्यन्त रोचक आयाम है कि हर पीढ़ी को यह इतिहास केवल लिखना ही नहीं पड़ता अपितु स्वयं जीना पड़ता है। कभी यह बिना तनाव या कष्ट के जिया जा सकता है तो कभी इसमें बड़े राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और अन्य तनाव झेलने पड़ जाते हैं। कभी राजकीय प्रश्रय इसे अपने दिशा में मोड़ने का प्रयास करता है कभी कोई राजनीतिक विचारधारा इसका दोहन करने का प्रयास करती है। ये सभी कारक जिस विचार मंथन को जन्म देते हैं, वे इतिहास नवनीत को शेष छाछ से अलग करने में बड़ी महती भूमिका निभाता है।

इन सभी तनावों के मध्य इतिहासकार ही नायक होता है और वही खलनायक भी। नाम व खलनायक का भेद तथ्यों के चयन और उनकी व्याख्या पर निर्भर करता है। **भारतीय इतिहास की पिछली दो शताब्दियों की सबसे बड़ी विडम्बना यह रही है कि तथ्यों के चयन और उनकी व्याख्या जानबूझकर इस राष्ट्र की पहचान और उसकी अस्मिता को धूमिल और यहाँ तक कि नष्ट करने के उद्देश्य से की गई है।**

इस निकृष्ट कर्म में विदेशी ही सम्मिलित नहीं रहे अपितु बहुत से भारतीय भी शामिल हुए जिनकी निष्ठाएं भारत से बाहर के राष्ट्रों या आन्दोलनों के प्रति रही हैं। विकृत इतिहास के पठन पाठन के माध्यम को औजार बनाकर किस प्रकार एक पूरे राष्ट्र को दिग्भ्रमित किया जा सकता है इसका विश्व में सबसे बड़ा उदाहरण भारत में ही प्रस्तुत किया गया हैं **सदा से विदेशी आक्रमणकारियों ने यह समझ लिया था कि जब तक भारत के लोगों के मन में स्वदेश प्रेम तथा स्वाभिमान की भावना को समाप्त नहीं कर दिया जाएगा जब तक उनके आर्थिक स्वावलम्बन को नहीं तोड़ दिया जाएगा तब तक भारतीय मनोबल को तोड़ना तथा भारत पर राज्य करना असम्भव रहेगा। जहाँ एक ओर इस्लाम ने मनोबल तोड़ने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया वहीं अँग्रेजों ने इसके लिए झूठे इतिहास का सहारा लिया।** उन्होंने सम्भवतः यह मान लिया था कि जब तक भारत के लोगों के समक्ष उनके इतिहास को झूठा और अतीत को कलंकित सिद्ध नहीं कर दिया जाएगा तब तक इस राष्ट्र का मनोबल तोड़कर इस पर राज्य करना असम्भव कार्य है। इसीलिए अँग्रजों ने जो भारतीय इतिहास लिखवाया उसमें भारत के उत्तर पश्चिम में हुए युद्धों में से मात्र पराजयों का संकलन कर श्रंखलाबद्ध कर दिया गया।

वास्तव में इतिहास विकृत करने का सबसे पहला प्रयास तभी आरम्भ हो गया था जबकि भारत पर पहले विदेशी मुस्लिम आक्रमण आरंम्भ हुए थे। चूँकि इस्लाम भारत में तलवार के जोर से आया और फैला इसलिए भारत की एकमेव राष्ट्रीयता हिन्दुत्व पर उसका आक्रमण बौद्धिक नहीं था और इसीलिए हिन्दुओं और मुसलमानों में किसी

Scanned with OKEN Scanner

महान शास्त्रार्थ के प्रमाण नहीं मिलते। दूसरी ओर सारे मध्यकाल का इतिहास इस प्रकार लिखा गया कि उसने मुसलमानों द्वारा भारत पर युद्धों द्वारा विजय और पाश्विक शक्ति द्वारा हिन्दुओं को मुसलमान बनाए ज़ाने के तथ्यों को प्राथमिकता दी गई है। ऐसा भी नहीं है कि शस्त्र की अपेक्षा शास्त्र से विजय प्राप्त करने की युक्ति उस काल में ज्ञात नहीं थी। उससे पूर्व पहले भगवान बुद्ध और बाद में भगवान शंकराचार्य ने शास्त्र द्वारा दिग्विजय के अनुपम उदाहरण ही नहीं प्रस्तुत किए थे अपितु भारत के बौद्धिक इतिहास की धारा का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया था। किन्तु इस्लाम के साथ इस प्रकार के बौद्धिक शास्त्रार्थों के अभाव से यही सिद्ध होता है कि भारत में इस्लाम तलवार के बल से आया और इसी के बल पर उसका प्रचार व प्रसार किया गया। यद्यपि हाल में कुछ विदेशज विचारधाराओं से सम्बद्ध लोगों ने इस विषय में कुछ कुतर्क देकर भ्रम फैलाने का प्रयास किया है कि इस्लाम भारत में शान्ति से आया। किन्तु, वे कोई भी ऐसे प्रमाण जुटाने में अक्षम रहे हैं। जिनसे निस्सन्देह किन्हीं इस्लामी बौद्धिक धाराओं द्वारा शास्त्रार्थ के माध्यम से अपने प्रचार-प्रसार की पुष्टि हो पाती हो। यदि ऐसे कोई भी प्रमाण इस धारा के इतिहासकारों को मिल जाते तो सारी राजकीय पाठ्य पुस्तकें उनसे भरी पड़ी होतीं।

इतिहास लेखन की प्राचीन भारतीय धारा को राजकीय प्रश्रय प्राप्त मुस्लिम इतिहासकारों ने नहीं माना। भारत में आए मुसलमान तथा बाद में आए अँग्रेजों को भारत की इतिहास परम्परा का ज्ञान नहीं था। इन दोनों समुदायों में इतिहास उस समय तक केवल राजवंशों तथा घटनाओं का इतिवृत्तात्मक वर्णन मात्र ही था। दूसरी और इतिहास की भारतीय परम्परा, उससे कहीं अधिक आयामों को समाहित करने वाली थी। इतिहास की स्वदेशी धारा उन्हें उपरिलिखित राजनीतिक कारणों से त्यागनी पड़ी। उन्होंने उसे जानबूझकर जाहिलिया वताकर दवाने का प्रयास किया।

आधुनिक शोध से जो सामग्री सामने आई है उसके अनुसार भारतीय चिन्तन परम्परा में इतिहास के शास्त्र की संज्ञा दी गई है। यह मात्र राजवंशों का ही नहीं अपितु मानव से भी बढ़कर समस्त सृष्टि का इतिहास है। इसीलिए पुराण को पंचम वेद भी कहा गया है :

इतिहास पुराणं पंचमो वेदः।

मानव द्वारा समाज निर्माण और विस्तार और राजनैतिक अवधारणाओं के जन्म आदि से स्वदेशी इतिहास लेखन की परम्परा में राजवंशों का इतिहास भी जुड़ा। किन्तु, वह समस्त परम्परा का मात्र एक आयाम भर है। यह परम्परा मानव जीवन तथा संस्कृति व सृष्टि के हर आयाम को समाहित करके चलती है। स्वदेशी इतिहास परम्परा अपने जीवन काल में अनेक प्रकारों में विकसित हुई है। इसमें बाईस प्रकार की लेखन परम्पराओं का उल्लेख मिलता है। संक्षेप में इनमें से कुछ के नाम इस प्रकार गिना जा सकते हैं:

स्वदेशी इतिहास परम्परा अपने जीवन काल में अनेक प्रकारों में विकसित हुई है। इसमें बाईस प्रकार की लेखन परम्पराओं का उल्लेख मिलता है।

पुराकल्प, पुरावृत्त, आख्यान, उपाख्यान, ऐतिह्य, परक्रिया (अर्थवाद इसी का एक रूप मात्र है), परकृति, इतिवृत्त, अनुचरित, अनुवंश, कथा, परिकथा, गाथा, अन्वाख्यान, चरित, नाराशंसी, कालविद्, गोत्र परवरकार, राजशासन, पुराण और आख्यान्रिका आदि। इसके अलावा भी इतिहास लिखने की अन्य परम्पराएं हो सकती है। जिनके विषय में आगे शोध की असीम सम्भावनाएँ हैं।

मध्यकाल के दरबारी इतिहासकारों ने अपनी साम्प्रदायिक श्रेष्ठता की भावना थोपते हुए इस इतिहास परम्परा को अपना नहीं माना। अपने मान बिन्दुओं के लिए वे सदा अरब या फारस की ओर से ही देखते रहे। मुसलमान इतिहासकारों में यह भावना कि इस्लाम के भारत में आने से पूर्व यहाँ केवल 'जाहिलिया' अर्थात् अज्ञान था उसके कारण उन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास की ओर सम्मान रखना दूर, केवल अपमान की ही भावना रखी। य मानसिकता भारत के मुसलमानों में आज त चली आ रही है। विडम्बना यह है कि स्व को अति सेकूलर घोषित करनेवाले कम्युनि इतिहासकारों में भी आज तक कोई मुस्लिम इतिहासकार नहीं निकला जि प्राचीन भारत पर कार्य किया हो। कम्यु मुस्लिम इतिहासकार भी उसी साम्प्रदायि श्रेष्ठता की भावना से ग्रसित हैं जि मध्यमकाल के दरबारी मुसलमान इतिहास थे। लगभग सभी कम्युनिस्ट मुसल इतिहासकार भी भले ही इसे स्वीकार न तो भी अपनी मानसिकता के किसी छिपे में भारत के मुस्लिम आक्रमण से पूर्व इतिहास को जाहिलिया कौम का इतिहास मानकार चलते हैं और उसमें या उसके प्राप्त की गई उपलब्धियों के प्रति उन्हें रूचि तक नहीं है, किसी गौरव की भा की तो अपेक्षा तक करना व्यर्थ है।

विदेशी प्रकार के इतिहास या इति लेखन की परम्परा भारत में ब्रिटिशों के से आरम्भ हुई। उन्हें भारत के इतिहास समझने की आवश्यकता यहाँ शासन च के लिए पड़ी। इसीलिए उनमें उत्पन्न पहले इतिहासकार इतिहास के शोधकर्ता विद्वान नहीं अपितु प्रशासनिक अधिकारी इन्हें आज भी इतिहास लेखन में प्रशास इतिहासकार या एडमिनिस्ट्रेटर हिस्टोरि कहा जाता है। अब चूँकि ये भारत शासन करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने मुस्लिम इतिहासकारों की साम्प्रदायिक श्रे की भावना की ही तरह जातीय श्रेष्ठता भावना का विकास किया। इन्होंने बताया भारत तो एक शापित उपमहाद्वीप है। तो सदा से विदेशी आक्रमणकारी आते हैं। भारतीय सदा उनसे हारते रहे आक्रमणकारी जब यहाँ की जनता में मिल जाते हैं और बाद में आक्रमणकारियों से हार जाते हैं। लगा इसी क्रम से भारत चलता रहा है और यह भारत का इतिहास है। अब चूँकि ब्रि यहाँ सबसे बाद में आए हैं इसलिए स श्रेष्ठ हैं। अतः उन्हें ही भारत पर राज क

Scanned with OKEN Scanner

है। यह न केवल उनका अधिकार है अपितु उनका कर्तव्य भी है। इसी कर्तव्य को उन्होंने श्वेत मानव का बोझ बताया। वास्तव में उन्होंने उत्तर-पश्चिम से हुए उन आक्रमणों को श्रृंखलाबद्ध करके महत्त्वपूर्ण बताया और उन्हें ही इस इतिहास का हिस्सा बनाया जिसमें भारतीय हार गए थे। भारत की विजयगाथाओं के लिए इसमें स्थान न था।

इसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई और पहली बार इस देश की राष्ट्रीयता का बोध रखने वाले राष्ट्रवादी इतिहासकारों का उदय बीसवीं शताब्दी में हुआ। बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ होने के बाद भी इस धारा को कभी राजकीय प्रश्रय तो मिला ही नहीं, उल्टे राजकीय दमन (बौद्धिक स्तर पर) का भी सामना करना पड़ा। जहाँ एक ओर ब्रिटिश धारा साम्राज्यवादी धारा में परिवर्तित हो गई और उसने भारत के स्वतन्त्र हो जाने के बाद भी स्वतन्त्रता आन्दोलन के विरुद्ध विषवमन जारी रखा, राष्ट्रवादी इतिहासकारों को नेहरूवादी सेकुलरिज्म की बलि चढ़ा दिया गया। डायर और चर्चिल जैसे अँग्रेजों को अपवाद कहा गया और मैकाले तथा माउन्टबेटन को अंग्रेज उदारवादी और भारत मित्र जैसा प्रचारित करने वाले साम्राज्यवादी इतिहास को ग्राह्य बनाया गया। परसीवल स्पीचर ने आक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इण्डिया के १९५८ के प्रकाशन में लिखा कि 'भारत ने अपनी गुलामी की बेड़ियां पश्चिमी हथोड़ों से ही तोड़ी थी।'

दूसरी ओर मुस्लिम इतिहास की धारा कम्यूनिस्टों के प्रश्रय में नेहरूवादी भारत में तथा इस्लामी तानाशाहों के प्रश्रय में पाकिस्तान में फलने-फूलने लगी। राजनीतिक स्तर पर इसका विरोध केवल डा. राममनोहर लोहिया ने किया। वे भारत का इतिहास भारतीय दृष्टि से लिखने के पक्षधर थे। उनकी असमय मृत्यु से भारतीय इतिहास के पक्ष को करारा झटका लगा। कम्यूनिस्टों को राजकीय प्रश्रय दिया गया और उन्होंने इतिहास लेखन में बड़े-बड़े घोटाले किए। "टुवार्डस फ्रीडम" नाम प्रकल्प जिसमें चार करोड़ रुपयों के खर्च पर मात्र दो खण्ड प्रकाशित किए गए हैं, इस प्रकार के घोटालों में से एक उदाहरण मात्र है। राजकीय कोश से धन लेकर राष्ट्रविरोधी इतिहास लेखन में लगाना यदि अनैतिक नहीं तो कुछ भी अनैतिक नहीं है।

स्वयं को एक राष्ट्रवादी दल कहने वाली भाजपा की सरकार आने के समय यह लगा था कि देश अब मौलिक बदलावों की ओर बढ़ेगा। इतिहास लेखन के क्षेत्र में भी यह आशा जागी थी कि घोटाले करने वाले छद्म इतिहासकारों को पकड़ा जाएगा। उसी समय इन घोटालों के मुख्य मठ भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् ने भी टुवार्ड्स फ्रीडम पर रोक लगाकर एक आशा बंधाई थी। किन्तु अब पुन: सब कुछ पुराने ढर्रे पर आ गया लगता है।

भारतीय इतिहास लेखन की आज सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि चाहे वे लिबरल कहलाने वाले पश्चिमी मानसिकता वाले यूरण्डियन इतिहासकार हों या कम्यूनिष्ठ इतिहासकार। वे सभी भारत को पश्चिमी चश्मों से देखने के आदि हो गए हैं। इसके यूँ तो सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं। किन्तु स्थानाभाव के कारण यहाँ मात्र एक उदाहरण के माध्यम से विषय स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। कक्षा छह में पढ़ाई जाने वाली राजकीय पाठ्यपुस्तक प्राचीन भारत की लेखिक प्रो. रोमिला थापर ने लिखती हैं कि "आम तौर पर शहरी जीवन के आरम्भ को सभ्यता की शुरुआत माना जाता है।' यह वाक्य यदि पश्चिम के इतिहास के लिए सत्य हो तब भी भारत के इतिहास के लिए सत्य नहीं है। इसका एक अर्थ यह भी निकलता है कि ग्रामों में रहने वाले तो असभ्य हैं। क्या यह एक झटके में आज के भारत के अस्सी प्रतिशत लोगों को असभ्य नहीं बना देता। वास्तव में भूल इस बात की है कि पश्चिमी विचारों को सीधे-सीधे थोप दिया गया है।

यदि विद्वान लेखिका ने सभ्य शब्द का ही मूल स्पष्ट समझ लिया होता तो यह समस्या खड़ी न होती। सभ्य अर्थात् सभा में बैठने योग्य। इसका अर्थ केवल लोकाचार में शिष्टता से लगाना भी गलत होगा। यहाँ अभी होगा कि जब मनुष्य ने सभा बनाना आरम्भ किया अर्थात् वह व्यक्ति से समाज और समाज रचना और उसके चलाने के लिए सभा जैसी संस्थाओं के गठन में लगा तो उसने सभ्यता की ओर कदम बढ़ाए। यदि इस स्वदेशी दृष्टि से देखा जाए तो वन, ग्राम, नगर आदि सभी स्थानों पर रहने वाले लोग सभ्यता के दायरे में आ जाते हैं, जबकि पश्चिमी दृष्टि से देखने पर वे विद्वान ऋषि जिन्होंने वनों में रहकर आरण्यक जैसे महान ग्रन्थों की रचना की (अरण्य में रचे जाने के कारण ये ग्रन्थ आरण्यक कहलाए) वे सभी "असभ्य" हो जाएंगे जो न तो युक्ति संगत है न सत्य। इसी बिन्दु पर ग्यारहवीं कक्षा में राजकीय पाठ्यपुस्तक प्राचीन भारत के लेखन विद्वान आचार्य रामशरण शर्मा लिखते हैं कि जो समाज लिखना नहीं जानते सभ्य कहलाने योग्य नहीं हैं। यह भी बड़ी भ्रान्त धारणा है। स्वयं वेद सहस्त्रों वर्षों तक बिना लिखे श्रुति परम्परा के माध्यम से एक से दूसरी पीढ़ी तक आते रहे। क्या वे सभ्यता के दायरे के बाहर रखे जाने चाहिए। इतिहास की ये विकृत व्याख्याएँ न केवल भ्रामक हैं अपितु स्वदेशी स्वाभिमान को ठेस भी पहुँचाती हैं।

इस प्रकार की इतिहास लेखन परम्परा को तुरन्त बन्द कर देना चाहिए। जैसा कि पहले भी लिखा गया है, हर पीढ़ी को इतिहास केवल पढ़ना पड़ता है अपितु पुन: लिखना भी पड़ता है। जो इस कार्य को ठीक से नहीं करते वे समाज प्रगति से भटक जाते हैं। आज का समाज इतिहास से नवीन प्रश्न कर रहा है। वह नवीन विषयों को इतिहास जानना चाहता है। वह भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का और सैन्य परम्परा का सच्चा इतिहास जानना चाहता है। वह विश्व सभ्यता को भारत की क्या देन रही है वह जानना चाहता है। उसे जिज्ञासा है कि विश्व के व्यापार वाणिज्य में भारत का क्या स्थान था? क्यों पश्चिमी विद्वानों ने भारत को स्वर्ण का अमित घड़ा बताया? भारत की कला और संस्कृति का इतिहास नवीन समाज जानना चाहता है और ये सभी जिज्ञासाएँ इतिहास की स्वदेशी दृष्टि ही पूर्ण कर सकती हैं। अब समय आ गया है कि भारत के इतिहास की स्वदेशी परम्परा को पुनर्जीवित किया जाए। ■

Scanned with OKEN Scanner

क्यों होनी चाहिए - उद्देश्य और व्यवस्था की अनुरूपता?

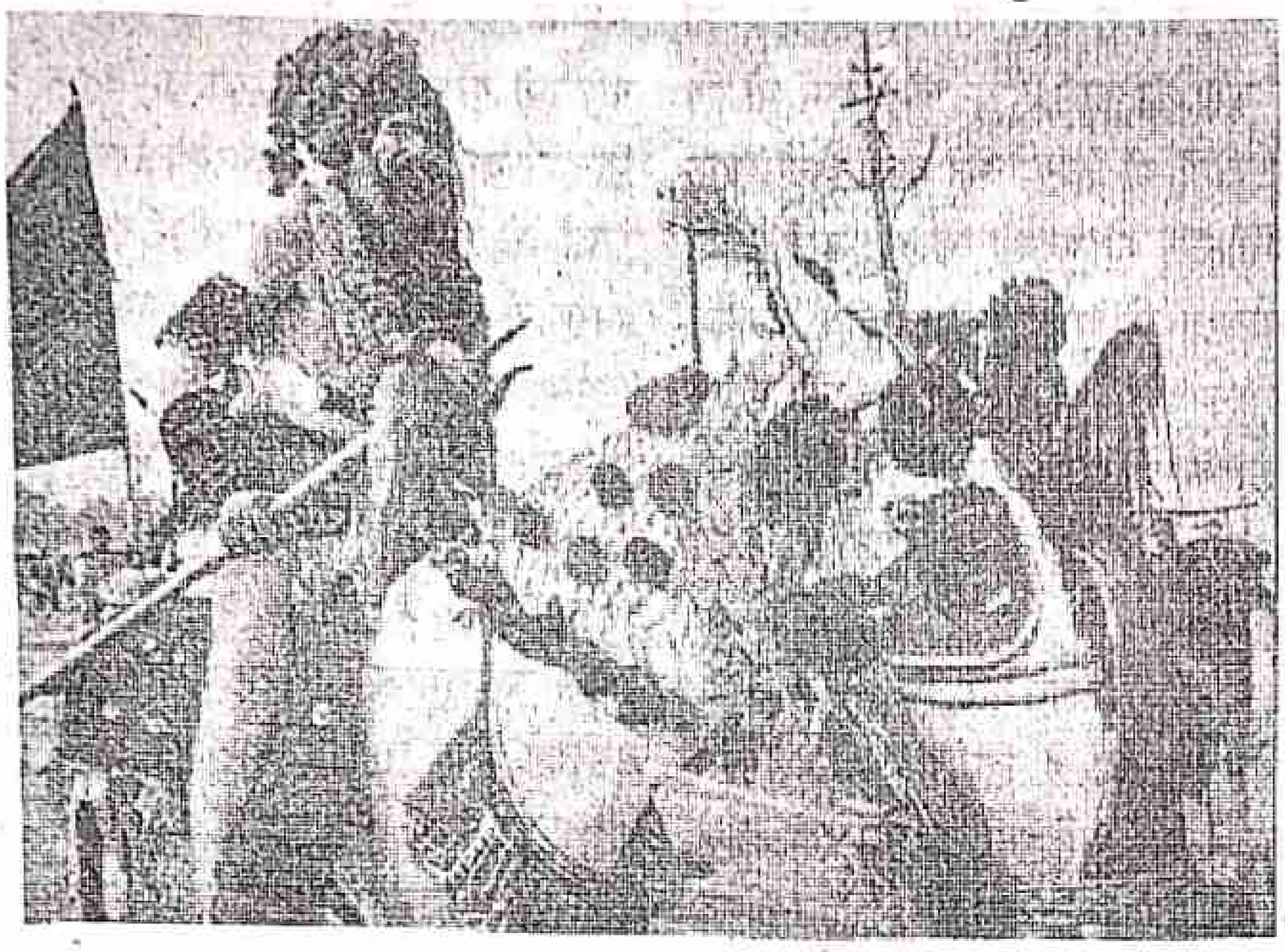

■ डॉ. प्रमोदकुमार दुबे

स्वामी विवेकानंद कुछ दिनों गाजीपुर उत्तर प्रदेश में महान आध्यामिक विभूति पवहारी बाबा के पास रहे। उन दिनों स्वामी जी के मन में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने के विचार उठा करते थे। स्वामी जी ने जब अपनी इच्छा बताकर पवहारी बावा का मत जानना चाहा। बाबा ने संप्रदाय चलने का विरोध किया। संप्रदाय बनाने में किस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं? इससे क्या-क्या हानियाँ होती हैं? इस विषय का पर्याप्त उल्लेख मिलता है। परंतु जब संप्रदाय, संघ, संगठन अथवा कोई संस्थान बनाने की अपरिहार्य आवश्यकता आ जाती है, इस कार्य को करना पड़ता है और ऐसा करते हुए संस्थापक को निश्चय ही यह ध्यान रहता है कि क्या-क्या दोष उत्पन्न होंगे। संस्थापक उन दोषों से रक्षा के लिए नियम बनाता है – पद्धति निर्मित करता है। फिर भी दोप उत्पन्न होते हैं। गुण और दोष की स्पर्धा में जब तक गुण का पक्ष सवल होता है स्थापित व्यवस्था उद्देश्य की ओर बढ़ने में सहयोग देती रहती है। पर, जैसे ही दोप रूप बदलकर खेल शुरु करता है, अर्थात् अपने वास्तविक चेहरे पर गुण की कलई चढ़ा लेता है और वास्तविक गुण को घटाते हुए अपना बहुमत बना लेता है, स्थिति उलटी होने लगती है, व्यवस्था विपरीत कार्य करने लगती है और संस्थापक व्यक्ति का उद्देश्य समाप्त हो जाता है।

मैंने बहुत पहले किसी ज्ञानी के मुँह से एक कथा सुनी थी। किसी वन में एक तपस्वी तप कर रहे थे। उनके बैठने के उपयोग में आने वाले कम्बल को चूहे ने काट दिया। चूहे का काम प्रतिदिन चालू रहा। तपस्वी विचार मग्न हुए, कैसे बचाऊँ अपने प्यारे कम्बल की जान चूहे से? उनके मन में द्वंद्व चल रहा था – चूहे का वध करना तो अहिंसा परमोधर्म को छोड़ने का महापातक होगा और यदि चूहा जीवित रहा तो कम्बल का सर्वनाश सुनिश्चित है। उनके मानसिक द्वंद्व से एक हल सामने आया – क्यों न एक बिल्ली पाली जाए। बिल्ली चूहा को खाकर तृप्त होगी। कम्बल बचा रहेगा, ध्यान-धारणा-समाधि चलती रहेगी। तपस्वी ने बिल्ली पाल तो ली पर उपलब्ध चूहों को एक-दो दिन में खाने बाद वह भूख से बिलबिला उठी। बिल्ली की भूख कैसे मिटे इस आवश्यकता से पीड़ित हो तपस्वी ने निदान यह निकाला कि एक गाय रखनी चाहिए, बिल्ली दूध पियेगी और चूहे से कम्बल की रक्षा करेगी। कम्बल पर ध्यान धारणा समाधि चलेगी। गाय की सेवा भी श्रेष्ठ है। उसका दूध भी सेवन के लि मिलेगा इत्यादि बातों से प्रेरित हो तपस्वी गाय रखी। गाय की सेवा में लगने के का उनकी तपस्या का समय घट गया। दूध करना, उसे छीके पर सुरक्षित रखना, व साफ करना, दूध दूहना, गोबर साफ क इत्यादि कार्यों से तपस्वी बड़े व्यथित हु फिर निराकरण की चिंता लगी। सोचते-विचा तपस्वी के मन हुआ वह एक सहाय रखेंगे, जो इन कार्यों को सम्हाल ले सहायक कैसा हो? इस विचार में निम तपस्वी ने पुरुष सहयोगी की तुलना में स्र सहयोगी को उचित समझा। क्योंकि उन कुटिया सुविधाओं की ओर अग्रसर हो र थी, उन सुविधाओं की प्रकृति स्त्री-प्रकृ से मेल खा रही थी। एक स्त्री कार्यभ सम्हालने के लिए उपलब्ध हो गई। व व्यतीत हुए। एक दिन जब उनके गोद एक शिशु बैठा बार-बार धूनी की आग क ओर लपक रहा था और वह प्रसन्न चित्त उ रोक रहे थे, अचानक वर्षों पहले की ए घटना उनके मन में कौंध गयी। जब व गृहस्थ थे, उनकी पत्नी ने कहा, 'बच्चे क थामिए, मैं भोजन बनाती हूँ।' बस इतनी-सी बात को बोझ मानकर वह बैराग (बैर+आग) धारण कर वन में तपने चले गए थे। उनका बोध जाग उठा वह वन में प्राप्त हुई गृहस्थी उठाकर गाँव-घर की गृहस्थी की ओर निकल पड़े।

यह कथा निश्चित रूप से मैंने लक्ष्य के लिए साधन, साधन के लिए व्यवस्था, व्यवस्था के प्रपंच और प्रपंच में लक्ष्य के भ्रष्ट हो जाने के संदर्भ में उधृत किया है। संप्रदाय, संगठन और संस्थान व्यवस्था मात्र है, जिसका लक्ष्य सुनिश्चित होता है। यदि व्यवस्था हाथी से डायनासोर होती चली जाए और उद्देश्य का लोप हो जाए तब अनेक विकृतियाँ सामने आने लगती हैं।

Scanned with OKEN Scanner

उस दिन एक मित्र ने मुझसे मिलने का समय निश्चित किया था मैं उनकी प्रतीक्षा के समय को सामने पड़े अखबारों-पत्रिकाओं के पन्ने देख कटने लगा। जिस अखबार पर मेरी नजर गई उस एक तस्वीर दिखी। यह तस्वीर थी – महाकुंभ के अवसर पर आए घोड़े पर सवार फूलों और भवभूति से सजे-सँवारे जटा-जूटवाले एक त्रिशूलधारी साधु की तस्वीर की पाद-टिप्पणी पढ़ने पर ज्ञात हुआ वह कोई जूना अखाड़े के साधु थे। दूसरे अखबार को देखते हुए जो छपी तस्वीर दिखी उसमें बहुत से नागा साधु नंगी तलवार लिए रौद्र मुद्रा मेंसगम के जल में दौड़ रहे थे। मैं अखबार छोड़ पत्रिका उलटनेलगा उस अँग्रेजी पत्रिका की एक तस्वीर देख मैं कुछ सोंच में पड़ गया। तस्वीर में कुछ सिख युवक एक पोस्टर को जलारहे थे। पोस्टर का आधा हिस्सा जल चुका था। शेष भाग में दिख रहा था भारत माता का वह चित्र जो राष्ट्रीयस्वयं सेवक संघ में प्रचलित है। पोस्टर की आग बुझी नहीं थी तस्वीर में वह आग आगे बढ़ती हुई जान पड़ रही थी। उस पोस्टर का जलना हिन्दू धर्म के भीतर सिखी को माने के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करने का माध्यम था।

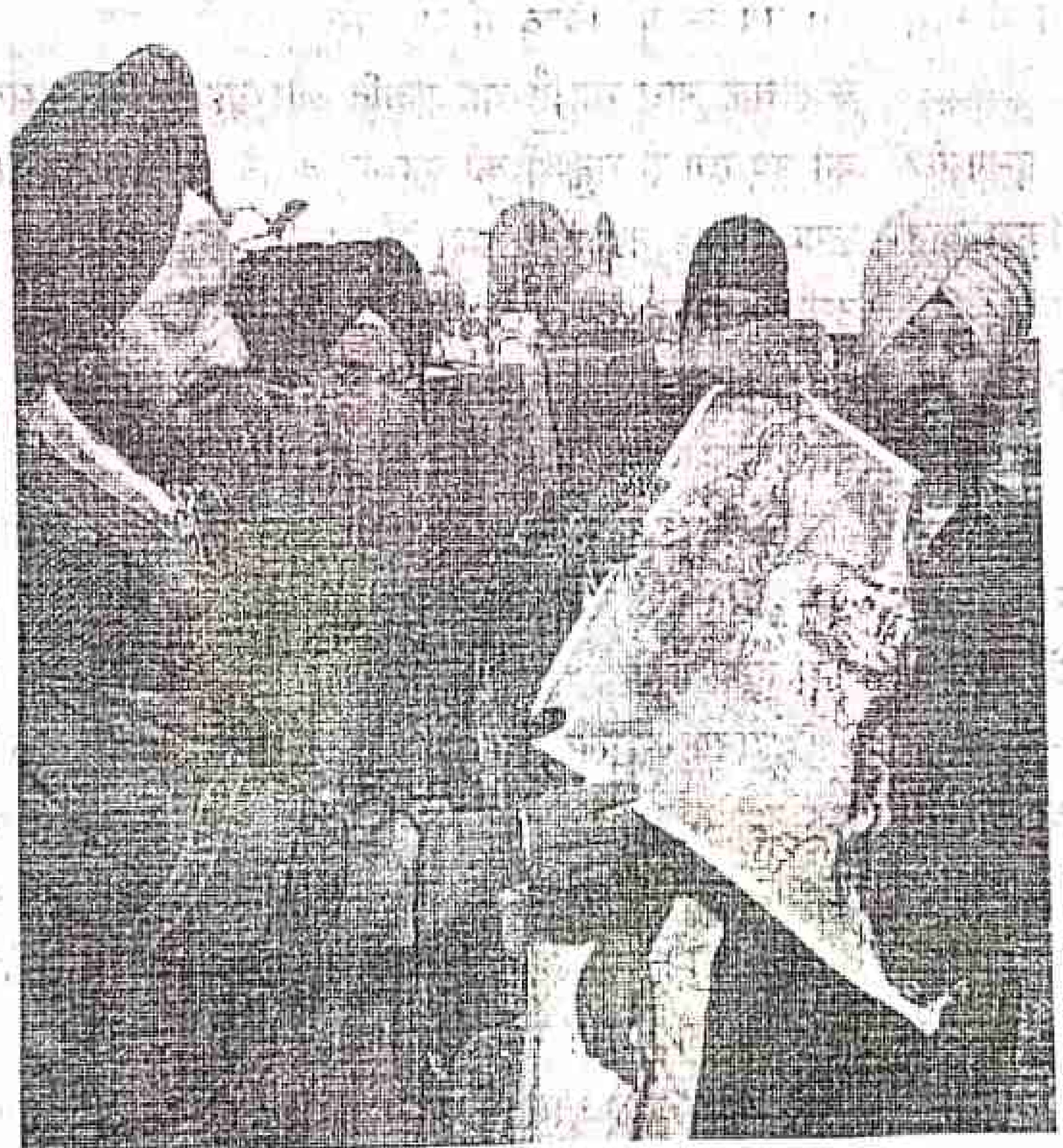

मेरे प्रतीक्षित मित्र आ गए। कमरे में पधारते ही उन्होंने कहा, 'इतनी ठंढ में रूम हीटर भी नहीं, क्या काम करेंगे आप'। मैंने कहा आप वातानुकूलित कार में आए हैं, थोड़ी ठंड आपको जरूर अनुभूत हो रही होगी, रूम हटीर अपने पास है। मैं अभी माँगता हूँ। मैंने एक छोटे सहयोगी को आवाज लगाई। वह रूम हीटर ले आया। रूम हीटर चलाने का प्रयास होने लगा। अभी रूम हीटर चल भी नहीं पाया था तब तक मित्र थोड़ी-सी बात करके निकल गए। मुझे मन ही मन हँसी आ रही थी, मित्र को सुव्यवस्थित रहने की अधिक चिंता है और मुझे लक्ष्य निष्ठा अधिक प्रिय है। हम दोनों की प्रवृत्ति में अंतर है। संभव है, यह अंतर मित्रता में दरार बन जाए। मित्र मेरे जैसों को हीन-दीन मलीन समझकर दूर हटें और मैं उन्हें धन-पद लोभी, अलक्ष्य, विलासी समझकर कतारने लगूँ। मैं सोचूँ कि ऐसे लोग आंतरिक रूप से खोखले होते हैं, प्रलोभन में ईमान छोड़ देना इनके लिए मामूली बात होती है। इनमें राष्ट्रभावना, धर्मनिष्ठा, स्वाभिमान इतना ऊँचाई नहीं होता कि धर्म के ताप के आगे टिक सके। लेकिन नहीं, मैं इस बढ़ते अंतर को समायोजित करना चाहूँगा – यह विचार करते हुए कि जिस प्रकार का उद्देश्य हो, उसके अनुरूप व्यवस्था होनी चाहिए। जिस प्रकार की प्रवृति हो, स्वभाव हो अथवा जो इच्छा मनुष्य जन्म का प्रबल कारण बना हो, पारिवारिक-सामाजिक परिस्थितियों की जैसी माँग बनी हो, व्यक्ति को उस संरचना को समझकर उसके अनुरूप व्यवस्था करनी चाहिए।

मेरे मित्र राजनीति के क्षेत्र में प्रवृत है। उन्हें राजनीति करने की सुविधाएँ होनी चाहिए। मैं सृजन कर्म को श्रेष्ठ मानता हूँ। मुझे इसके अनुरूप व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। कोई आर्थिक उपार्जन को ही श्रेष्ठ मानता है वह इसी कार्य के लिए साधन की तलाश में लगा रहता है। ये तीनों ही कार्य अपने-अपने शक्ति-तंत्रों में महत्वपूर्ण है। इन्हीं प्रवृतियों से कर्म की वृतियाँ बनती हैं। इनकी अपनी अपनी मर्यादाएँ हैं। इनकी मर्यादा तोड़ने पर अनिष्टकारी परिणाम निकलते हैं। मान लीजिए, एक पहलवान, एक धनवान और एक विद्वान एक तिराहे की ओर आगे बढ़ते हुए आपस में टकरा गए। तीनों अपनी-अपनी श्रेष्ठ के गर्व में एक-दूसरे को रास्ता देने को तैयार नहीं है। परिणाम क्या होगा? पहलवान उन दोनों को धक्का मार आगे बढ़ जाएगा। धनवान पुलिस को धन देकर पहलवान को पिटवा देगा और विद्वान अपनी प्रतिष्ठा का फतवा जारी कर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर देगा। इन तीनों का मर्यादित समायोजन हो जाए तो कोई बड़ा काम हो सकता है।

राष्ट्र के शक्ति-घटकों को कैसे समायोजित किया जाता है – यह सूत्र हमारी संस्कृति में दिखाई पड़ती है। इसके लिए एक सुनिश्चित मर्यादा और वैकासिक प्रक्रिया है। आज के वैचारिक अंधकार में ये मर्यादा और प्रक्रिया लोक व्यवहार से उठ गयी है। इस वैचारिक अंधकार का सबसे बड़ा कारण है – पश्चात्य देशों के साथ बढ़ा हुआ संसर्ग और भारत की आंतरिक व्यवस्था का बना हुआ खण्डहर। वैचारिक अंधकार की जड़े पराधीनताकाल में जमीन में गड़ी, लेकिन इसके जमने की जमीन हमने जोत रखी थी। आज यह फल-फूल रही हैं। राष्ट्र विरोधी ताकतें इसका लाभ लेने के पूरे प्रयास में हैं। भारत के धर्म-कर्म सोंच-विचार सबको उपभोक्ता बना देने का प्रयास हो रहा है। यह राष्ट्रव्यापी संकट है और हम आज भी फूट के शिकार हैं। आज भी हम आपस में एक दूसरे की जड़े काट रहे हैं अपनी सामूहिकता का बोध सबल नहीं बना रहे।

कुम्भ के पावन पर्व पर विदेशी फोटोग्राफर स्नान करते लोगों की काया की

Scanned with OKEN Scanner

तस्वीरें खींच विचित्र और अद्भुत चौंकने वाले दृश्यों की फोटो उतार दूसरे देशों में बेचकर पैसे कमाने के लिए आए। भारत के आधुनिकतवादी भी इन्हीं दृश्यों के लिए पहुँचे और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भी दुकान लगाने पहुँची। उन्हें कुम्भ के पुण्य लाभ से क्या लेना देना। क्यों न मेला क्षेत्र में ऐसे लोगों को जाने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए जो इन पावन पर्वों के साथ खिलवाड़ करते हैं और यह भी क्या जरूरी नहीं है कि पर्वो की अवधारणाओं की व्याख्या करने वाले साहित्य हो। इस विषय में प्रचूर जानकारी होने पर निश्चय ही मर्यादा का पालन हो सकता है। ये दोनों कार्य जरूरी है। इसके लिए परंपरा बोध को इतिहास के साथ जनमानस के सामने लाना होगा।

कौन हैं ये नागा, वैरागी-संन्यासी? इनका राष्ट्रीय अवदान क्या है? किस बात के हैं ये आखाड़े-छावनियाँ और गढ़ी? क्यों हैं ये तलवार, त्रिशूल आदि अस्त्र? क्यों चढ़ते है ये घोड़े पर? आज यह सब जानना जरूरी है, दुनिया को बताना भी जरूरी है कि धर्म की रक्षा के लिए – भारत माता की जयकार के लिए ये सेनाएँ विधर्मी मलेच्छ आक्रांताओं के आक्रमण-काल में बनी थी। यह धर्म-योद्धाओं की वह परंपरा है जिसके ऐतिहासिक प्रवाह पर आधारित बंकिमचन्द्र के सुप्रसिद्ध उपन्यास 'आनंद मठ' से 'वंदेमातरम्' का जय घोष गूँज उठा था और स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के रक्त की झंकृति बन गया था।

इन धर्म योद्धाओं ने दुनिया के दूसरे ईश्वरीय मत के प्रचार में लगे लड़ाकूओं की तरह लूट-हत्या से स्वर्ग और राज्य की कामना में नहीं लगे थे। इन्होंने धर्म की साधना से आत्मलाभ और युद्ध से धर्म की रक्षा तक अपने को मर्यादित रखा। इन्होंने राज्य नहीं वनाए – शासन नहीं किया। इसलिए इन्होंने इतिहास लेखक नहीं पाले, इनके पास न बाबर नामा रहा, न अकबर नामा। ये ईश्वर के शाश्वत साम्राज्य में प्रकृति के सहारे विचरते रहे। इन्हें जानना हो तो इनकी संरचना में इन्हें जानना होगा। आप अपने चश्में से झाँक कर इन्हें समझने का प्रयास करेंगे तो सही-सही नहीं देख पाएँगे। आप चतुर हैं तो इन्हें आप सीधे-सादे देखेंगे। आप धनी और शौकिन है तो इन्हें आप दुर्दशा में देखेंगे। आप फोटोकर्मी है तो इन्हें आप अजीबो गरीब दृश्य के रूप में देखेंगे। लेकिन वास्तविक देखना तो तब होगा जब आप इन्हें भारत के ऐतिहासिक प्रवाह में देखेंगे।

चंद संसदी-चेहरे राम जन्म भूमि से बाबरी ढाँचे के हटने के दिन (६ दिसंबर) को 'सेम-सेम' कहते हुए अफसोस व्यक्त करने का एक विदेशी नाटक दिखाते हैं। संभव है, इस नाटक का भी कभी इतिहास बने और नाटक में 'सेम-सेम' कहने वाले चेहरे खलनायक के अपमानित चरित्र खड़े हों। क्योंकि पूरे विश्व में जो परिवर्त्तनकारी कालचक्र नाच रहा है वह प्रकृति और ब्रह्म को नए ढंग से मनुष्यों को पहचान कराने में लगा है। यह नया बोध ब्रह्म और प्रकृति के उसी परिचय तक जा ठहरता है जहाँ भारतीय दर्शन के लिए मनुष्य के लिए एक सुनियोजित जीवन पद्धति का आधार देता है और यही पद्धति है – श्रीरामकथा, जिसका उत्स धरती के उस विशेष पुण्य-भाग से जुड़ा हुआ है।

दुनिया में लिख गए राज्यों के इतिहास चाहे वह तथाकथित धर्मों के नाम पर लड़े गए युद्धों से बने राज्यों के हो अथवा बर्बर जातियों की हिंसा और आतंक से निर्मित राज्यों के हों, आज संकट में पड़े हुए है। उनके चरित्र एक दूसरे में इतना गड़मड़ हो गए हैं कि इनकी स्पष्ट कोई पहचान नहीं बन पा रही। आज उनके इतिहास की मौत की मुनादियाँ फिर रहीं हैं। यह भी एक bfrgkl gS ysdu **जिन्होंने अपना राज्य नहीं बनाया, इतिहास नहीं लिखवाया युगीन काल से मुक्त हो, शाश्वत काल में बने रहे, उनकी पहचान भी धूमिल है। लोग उन्हें नहीं जानते, लोगों को वे नहीं जानते। वह दिगंबर बने प्रकृति के आँगन में विचरण कर रहे हैं और बाजार लगाने वाले लोग उनकी फोटो उतार रहे हैं।** पता नहीं, उन्हें 'ट्राइबल' समझ रहे हैं या और कुछ? उनके विषय में इन विदेशी खोपड़ियों से क्या टिप्पणी निकल रही होगी, यह सोच का विषय है।

आज का विश्व एक ऐसे स्थान खड़ा है जहाँ बहुत कुछ तय होना है। विभि उद्देश्य और विविध व्यवस्थाएँ इनके बी का क्रम और इनके अंतर्संबंध तय होना काल देवता दिन रात इस कार्य में ल हुए हैं।

इतिहासबद्ध और इतिहास मुक्त सम् के मध्य खड़े चरित्रों की पहचान भारत जनमानस के लिए आवश्यक प्रतीत होता मैं अपनी छोटी जानकारी से एक चरित्र उल्लेख आवश्यक समझता हूँ वह चरित्र बंदा वैरागी का। जो चरित्र गुरुगोविन्द सि के साथ है और बाहर भी। **सिखी औ सनातन के मध्य की इस कड़ी को या रखना इस इतिहास के लिए जरूरी कि इससे नागाओं और वैरागियों संगठन का इतिहास भी स्पष्ट होगा औ इससे यह भी समझ में आएगा कि 'श्रीराम जन्म भूमि पर मंदिर बनें' इ प्रसंग में इन वीर साधु संगठनों के उद्दे कैसे हल होते हैं। इससे यह भी तय हो कि सिखी का वीरत्व किस बात निहित है? उन्हें क्यों भारत माता पोस्टर को तत्कालीन स्वार्थ में जला नहीं चाहिए। उनकी एकात्मकता याचना क्यों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चा रहा है। इन प्रसंगों के अंतर्संबंध औ काल-कोटि में व्यवस्थित करके इतिहा लिखा जाना चाहिए।** इस सम इतिहास-प्रवाह से भ्राँतियाँ दूर होंगी। स्पष्ट हो जाएगा कि नागाओं, वैरागि संन्यासियों के सैन्य संगठन की भांति सि की सेना भी धर्म के रक्षार्थ भारत माता सनातन अस्मिता के लिए बनी थी।

भाषा, राज्य और बाजार व्यवस्थ हैं, जिनसे आत्मरक्षा होती है। बाजार है और भाषा मस्तिष्क। इन दोनों संतुलन की भूमि में राज काम करता ये व्यवस्थाएँ समाज की देह के लि जरूरी है। फिर भी इतनी-सी व्यवस पर्याप्त नहीं है। राष्ट्र की काया बनानी तो इससे बड़ी व्यवस्थाएँ बनानी होंगी उनमें भी भाषाएँ होंगी, बाजार (उद्य व्यवसाय, मुद्रा बैंक) होंगे। और इन दो के बीच संतुलन बनाएगी राज्य व्यवस्थ

छोटी व्यवस्था से क्षेत्रों की रक्षा होती है, अंगों की रक्षा होती है। अंग के विविध रूप और कार्य हैं और शोभा भी है। सभी क्षेत्र और अंग मिलते हैं तो राष्ट्र की देह बनती है। इतिहास इसकी आवश्यकता समझाता है। वर्तमान इसकी नई व्यवस्था सोचता है कि अंग भी रहे और सब मिलकर देह भी हों, जो जीवन का सक्रिय आधार बने। हिन्दुत्व का यही बोध राष्ट्र के चिरकालीन अस्मिता को रचता है। इतिहास इसका प्रमाण देता है।

दुर्भाग्य देखिए, पंजाब में 'हिन्दू' का एक संकीर्ण बोध लगभग सौ वर्ष से उठ खड़ा हुआ है। इसका विवरण मैंने प्रसिद्ध साहित्यकार विद्वान डॉ. महीप सिंह के लेख में पढ़ा। उन्हीं के शब्दों में इसे देखें –

''पिछली पूरी सदी में पंजाब में हिन्दुओं और सिखों के मध्य निरंतर अलगाव और दुराव के बीज प्रस्फुटित हुए हैं। देश के विभाजन से पहले भी दोनों वर्गों के नेता एक-दूसरे पर बहुत आक्षेप करते थे और अपने-अपने समाचार पत्रों में एक-दूसरे को खूब कोसते थे। किन्तु ये मतभेद विभाजन के बाद बहुत खुलकर सामने आ गए। संयुक्त पंजाब में राजनीतिक वर्चस्व में मुसलमान, बहुमत होने के कारण सबसे आगे थे। विभाजन होते ही पूर्वी पंजाब में यह बात उभर आयी कि अब प्रदेश की राजनीतिक प्रभुसत्ता किसके हाथ में होगी। उस समय हरियाणा प्रदेश और वर्तमान हिमाचल प्रदेश का कुछ भाग पूर्वी पंजाब का भाग थे। इन क्षेत्रों की भाषा पंजाबी नहीं थी। पंजाबी भाषी जालंधर डिवीजन पर आर्य समाजी हिन्दुओं का सभी क्षेत्रों पर प्रभुत्व था। शिक्षा, उद्योग, व्यवसाय, समाचार पत्रों का स्वामित्व सभी कुछ इनके हाथों में था। सिख जनता अधिकांशतः खेतिहर थी और गाँवों में रहती थी। वह शहरों में बसने वाले अधिसंख्या हिन्दुओं की अपेक्षा सभी क्षेत्रों में बहुत पिछड़ी हुई थी। पूरे पंजाब में सिखों का प्रतिशत केवल तैंतीस था, किन्तु पंजाबी भाषी क्षेत्र में उनका बहुमत था। इस क्षेत्र का हिन्दू (आर्य समाजी) नेतृत्व यह जानता था कि यदि भाषा के आधार पर पंजाब का पुनर्गठन हुआ तो पंजाबी भाषी पेप्सु (पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन) और जालंधर प्रभाग को मिलाकर जो राज्य बनेगा उसमें सिख बहुमत में हो जाएंगे और राजनीतिक वर्चस्व उनके हाथों में चला जाएगा। इसे रोकने का एक ही उपाय था कि पंजाब में हरियाणा का हिन्दी प्रदेश शामिल रहे। सारा पूर्वी पंजाब हिन्दी भाषी घोषित कर दिया जाए। कम से कम इतना तो हो कि सारा राज्य द्विभाषी मान लिया जाए।

इसी बिंदु से पंजाब में हिन्दी पंजाबी का विवाद प्रारंभ हो गया। पंजाबी बोलने वाले हिन्दुओं के मन में यह बात डाली गयी कि यद्यपि आप पंजाबी बोलते हैं, किन्तु आपकी मातृभाषा हिन्दी है। आप अपने बच्चों को हिन्दी के माध्यम से पढ़ाइये और जनगणना में अपनी भाषा हिन्दी लिखवाइये। इस बिंदु पर पंजाबी भाषा दोनों वर्गों के लोग लगभग पूरी तरह बंट गए। एक ही परिवार के दो भाई एक सिख और दूसरा मोना अपनी मातृ भाषाओं को पंजाबी और हिन्दी में बाँटने लग गए।

हिन्दी नेतृत्व के भंयकर विरोध के बावजूद पंजाबी भाषा राज्य का गठन हो गया। पंजाब का कुछ भाग हिमाचल प्रदेश में शामिल कर दिया गया और अम्बाला डिवीजन हरियाण के रूप में एक नया राज्य बना दिया गया। १९५१ और १९६१ की जनगणना में पंजाबी भाषी हिन्दुओं के बड़े वर्ग ने विशेष रूप से आर्य समाज के आह्वान पर अपनी मातृभाषा हिन्दी घोषित की थी किन्तु १९७१ की जनमत गणना के समय स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन हो चुका था। पंजाब एक भाषी राज्य बन चुका था।''

आर्य समाज का मतलब हिन्दू और हिन्दी का मतलब आर्य समाजियों की भाषा – 'जिनसे पंजाबी भाषा का द्वंद्व रहा। सिख इसी हिन्दू तत्व से गुस्से में हैं। डॉ. महीप सिंह ने लिखा है कि ''१९६० के आसपास संघ के सरसंघचालक श्री गोलवलकर ने जालंधर में सार्वजनिक रूप से यह बात कही कि पंजाबी भाषा सभी पंजाबियों की मातृभाषा है और उन्हें इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए। किंतु पंजाब के आर्य समाज और आर्य समाजी विचारधारा के सभी समाचार पत्रों ने श्री गोलवलकर की इस बात का कड़ा विरोध किया था।' यह दुर्घटना जिस कमी से उत्पन्न हो रही है उसमें नितांत क्षेत्रीय शंकुलता है। न राष्ट्र है इसमें, न व्यापक इतिहास है इसमें और न हिन्दुत्व की विराट अवधारणा।

यह गाँठ सौ बरस के भीतर की है। पर इसके दुष्परिणाम राष्ट्रव्यापी हो सकते हैं। यह राष्ट्रभाव के प्रहरियों के लिए चिंता का विषय है। जैसे भी बना हो यह दोष, पर यह दोष व्यवस्था जनित ही है। बड़े सत्य का विभाजन इसी दोष से होने लगता है। इतिहास इसी दोष से कटने लगता है। सुविधाओं का द्वंद्व इसी प्रकार बाँटता है। दो संप्रदाय आपस में टक्कर दे गए, और इन दोनों संप्रदायों के संस्थापकों के उद्देश्य कहीं और छिटक गए।

आर्य समाज के संस्थापक स्वामीदयानंद सरस्वती जब कलकत्ता में उद्बोधन के लिए पहुँचे, वह वहाँ संस्कृत में बोल रहे थे। बंगाल के लोगों ने कहा आप हिन्दी में बोलें तो अधिक लोग समझ पाएँगे। स्वामी दयानंद ने हिंदी में प्रचार कार्य प्रारंभ किया। और आगे आर्य समाज ने हिन्दी का व्रत लिया। बात तो जनमानस तक पहुँचकर सद्धर्म की रक्षा, राष्ट्र की स्वतंत्रता, समाज के नवनिर्माण से शुरु हुई, पर पहुँच कहाँ गई? राज्य व्यवस्था, सुख सुविधा के आवंटन तक। और इसमें क्या उत्पन्न हुआ? आत्मरक्षा का प्रश्न। सच कहीं और हो रहा है, व्यवस्थावाद की खींचातान कहीं और मची है।

शायद इसी दृश्य के निषेध के लिए पवहारी बाबा ने स्वामी विवेकानंद से संप्रदाय नहीं बनाने की बात समझाई थी। पर, यह भी पूरी बात नहीं है। यह विरक्ति पूर्ण हैं। व्यवस्था रहे किंतु इसकी संरचना आरपार दिखे और वह उद्देश्य निष्ठ हो। तभी उसे सार्थक कहा जा सकता है। इसके लिए एक स्थिति प्रज्ञ सत्ता और उसके नियामक तंत्र का बोध भी हमेशा चर्चा में बने रहने चाहिए – त्याग और विराट निष्ठा के साथ। ■

Scanned with OKEN Scanner

मानसिकता बदलेगी तो रास्ता जरूर मिलेगा

■ डॉ. विजय सोनकर शास्त्री

हम न केवल अपने अर्थव्यवस्था को ही संतुलित कर सकते है बल्कि स्थानादि का वर्गीकरण करते हुए हम भोज्य पदार्थ व मौसमोनुकूल वस्त्र व जलवायु आधारित आवासीय व्यवस्था भी सुनिश्चित कर सकते है।

देश में व्यापक उदारीकरण की नीतियों के कारण महँगाई, बेरोजगारी, कृषि उपज के मूल्यों में गिरावट व भारतीय अर्थव्यवस्था पर भयानक खतरे की परछाई पड़ रही है। किसानों को उनके लागत का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसके बावजूद सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव से खाद्यान्न चीनी, तेल, दूध व घी का आयात कर रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के षड्यंत्र में यह देश फँसता चला जा रहा है। सैकड़ों साल पहले भारतीय कच्चे मालों के उपयोग के बुनियाद पर औद्योगिक क्रांति का दम भरने वाले पश्चिम देश अपने देश को अपना बाजार मानकर अपने को जीवित रखे हुए थे किंतु अब भारत के विशाल जनसंख्या को ललचाई आँखों से देख रहे हैं। यह कटु सत्य है कि भारतीय कच्चे मालों पर आधारित पश्चिमी देशों की औद्योगिक क्रांति अब विराट रूप धारण करके संसार के एक चौथाई जनसंख्या के रूप में भारतीय समाज को अपने खूनी जबड़े में जकड़ लेना चाहती है। आधुनिक बहुराष्ट्रीय उद्योगवाद इसी अमानवीय व कुत्सित मानसिकता का प्रत्यक्ष रूप है।

नव उपनिवेशवादी शक्तियों के जाल में विकासशील देश फँस कर फड़फड़ा रहे है। कौन जाल में फँसे उन फड़फड़ाते पक्षियों को चित्रगुप्त नामक मूसक के बील तक पहुँचाए। वहाँ पहुँचने के बाद तो क्रूर व्याघ्र से न केवल वे बेचारे पक्षी दूर होंगे बल्कि जाल से भी मुक्त होकर प्रकृति के दामन में चैन की साँस लेंगे। इस बात को दावे से कहा जा सकता है कि भारतीय स्वदेशी अर्थव्यवस्था के महामंत्र की शक्ति द्वारा तथाकथित बहुराष्ट्रीय उद्योगों के जाल से मुक्त हुआ जा सकता है। वास्तव में आत्मनिर्भर गाँव समृद्ध भारत के मूल ईकाई थे। खाद्यान्न उत्पादन, कृषितर कुटीर उद्योग व व्यापार-विनिमय का स्वतंत्र व स्वावलंबी ढ़ांचा उपलब्ध था किन्तु तकनीकि व विज्ञान के दौड़ में जनसंख्या विस्फोट को संभावित खतरा मानकर हम अपने संस्कृति व परंपरा (प्रकृति संरक्षण) को त्याग विदेशी चिंतकों के अज्ञानतायुक्त निर्णायों के मोह में फँस गए। प्रकृति के दोहन की सलाह कोई ज्ञानी पुरुष नहीं दे सकता है। बौद्धिक संपदा संरक्षण व पेटेंट कानून न केवल असमाजिक है बल्कि अमानवीय है। हजारों वर्ष हमारे ऋषियों ने लगभग वह सब कुछ जो आज मानव अपने जीवन के लिए उपयोगी व कल्याणकारी मानता है, उन्हें खोज लिया था। सूत्रवत श्लोकों व मंत्रों के रूप में मनुष्य के उपयोग के लिए मानव को उपलब्ध करा दिया। संरक्षण, पेटेंट व कापी राईट कौन कहे उन मंत्र द्रष्टा ऋषियों ने उन्हें अपने नाम से भी जोड़ना अमानवीय समझा।

बड़े-बड़े भूमि जोतक यंत्रों से हम दो-दो व तीन-तीन फिट मिट्टी उलट-पलट दें रहे है। रासायनिक उर्वरक डालकर हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर खाद्यान्न का भंडार खड़ा कर दे रहे है। फिर भी अर्थव्यवस्था का शिकार है मानव। विश्व में व्यापक असमानता है। केन्या, सोमालिया, बांग्लादेश में अभी भी भूखमरी है। स्वयं अपने भी देश में हजारों टन खाद्यान्न सड़ जा रहे है। चूहे बर्बाद कर रहे है। और लाखों लोग भूख से पीड़ित है। फिर भी भारतीय संस्कृति के उस आयाम को नहीं मान रहे है कि समाज के सब व्यक्तियों का उत्पादन का अंश मिले व समाज में समरस समाजिक भाव का प्रादुर्भाव हो।

आधुनिक भारत को गैट समझौता व विश्व व्यापार संगठन के मकड़जाल में फँसाने का प्रयास जितना विदेशी अथवा पश्चिमी के षड़यंत्रकारी कर रहे हैं उनसे ज्यादा स्वयं भारतीय इस कार्य में लगे हुए है। रूप में संसद व प्रशासनीय कार्यालयों में निजी लाभ के लिए देश को गहरे खतरे में रहे हैं। ज्ञातव्य हो कि प्राचीन राजे-महराजे नवाब अपने निजी लाभ जैसे – बहुमूल्य उप राजकुमारों नवाबजादों की विदेश यात्राएं इंग्लैण्ड या अन्य पश्चिमी देशों में पढ़ने-लि व विलासिता इत्यादि में इस देश को अंग्रेजों दे डाले और उन कपटी विदेशियों ने भारत सैकड़ों साल तक लूटा। अंत में सोने की चिड़ि को प्लेग, तपेदिक व क्षय रोगों जैसी महामा के हवाले कर उन विदेशियों ने यह देश छ दिया।

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खे बागवानी आदि अन्य कृषि उत्पादन, रे उत्पादन, मछली उत्पादन, मुर्गी पालन, पशुपाल मधुमक्खी पालन, वनौषधि उत्पादन त कृषितर उद्योग-धंधे, कारीगरी व बुनकरी मुख्य है। इन मुख्य कार्यों के आधार पर न केवल अपने अर्थव्यवस्था को ही संतुलि कर सकते है बल्कि स्थानादि का वर्गीक करते हुए हम भोज्य पदार्थ व मौसमोनुकूल व व जलवायु आधारित आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित कर सकते है। देश की अस्सी प्रति जनसंख्या आज भी ग्राम आधारित है। तथाक विकास व पश्चिमीकारण भारत के कुल ब प्रतिशत भाग अथवा बड़े-बड़े शहरों में ही प्र देखा जा सकता है।

सैकड़ों वर्ष के अंग्रेजों द्वारा शोषण शिकार आज के आजाद भारत का किसान अ भी अपने दुर्दशा पर आँसू बहा रहा है। आज के तत्काल बाद सन् १९४७ से १९७५ के बी एकाएक दो गुना से ज्यादा बढ़ी जनसंख्या कुपरिणाम देश ने झेला है। बिहार, उड़ी बंगाल व गुजरात ने बड़ी संख्या में भूख से म हुए लोगों को देखा है। किंतु वही देसी किस व कृषि वैज्ञानिक सन् १९७१ में देश को खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर कर दिया। हरित क्रांति

(शेष पृष्ठ ४६ प

Scanned with OKEN Scanner

कृषि नीति : राजनेताओं द्वारा किसानों के मात्र वोट प्राप्त करने की नीति

■ मूंगालाल सुरेका

अगर इन विकासशील देशों ने एक संगठन बनाकर विश्व व्यापार संगठन पर बहुमत प्राप्त कर लिया तो यह बिल्कुल संभव है कि ऐसा बहुमत विश्व व्यापार संगठन के उन नियमों को तत्काल प्रभाव से बदल सकता है जिन नियमों के अंतर्गत विकसित देशों के साथ घोर असमानताओं की व्यवस्था में विकासशील देशों की समानता का प्रावधान किया गया है जो इस असमानता को स्थाई बनाने का एक माध्यम है।

संसद में किसानों की समस्याएँ स्थगन के प्रस्ताव के रूप में श्रीमती सोनिया गाँधी ने काँग्रेस की ओर से और श्री मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी की ओर से उठाने में एक-दूसरे को इस आधार पर रोकने का प्रयास किया कि पहले इस समस्या को कौन रखे। उनके इस व्यवहार से यह स्पष्ट है कि किसानों की समस्याओं को अधिकांश राजनेताओं की रुचि किसानों के हित में इतनी नहीं होकर राजनीति में उस आधार पर वर्चस्व प्राप्त करने की अधिक रहती है। समस्याओं के रूप में मुख्य ३ समस्याएँ संसद के सामने आयी – कृषि उत्पादन के भाव नीचे गिर रहे हैं और यह मंदी के दौर में दम तोड़ रहा है। कृषि उत्पादन के आदान यानी खेती के लिए आवश्यक वस्तुएँ, खाद, विजली, पानी व मजदूरी पर खर्च में तेजी से वृद्धि हो रही है और इस प्रकार कृषि एक अलाभदायक पेशा वनता जा रहा है।

विश्व व्यापार संगठन के तत्वाधान में लिए गए निर्णयों के अनुसार, भारत को, भारत की सीमाओं को विदेशों से आयात के लिए पूर्णरूप से खोल दिया गया है जिसके कारण बाजरे का आयात भी ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है। खाद्य तेल का आयात जिन भावों पर मलेशिया या थाईलैण्ड से हो रहा है उन भावों पर खाद्य तिलहन का भाव भारत के औंधे मुँह गिर रहे है और खाद्य तेल के उद्योग एक साथ बंद हो रहे हैं।

किसानों की इन समस्याओं को काँग्रेस जब सत्ता में थी और गैट वार्ता के आधार पर विश्व व्यापार संगठन का अनुबंध कर रही थी उस समय वर्तमान केंद्रीय सरकार में शामिल तमाम दलों के नेताओं ने घोर विरोध किया था और इस विरोध का नेतृत्व आज वर्तमान प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। गैट वार्ता के साथ अनुबंध का विरोध श्री इंद्र कुमार गुजराल व देवेगौडा ने भी प्रभावशाली तर्कों के साथ किया था। तत्कालीन काँग्रेस सरकार ने श्री नरसिम्हा राव, प्रधानमंत्री के तत्वाधान में इन तमाम तर्कों की अनदेखी करके विश्व व्यापार संगठन के अनुबंध पर दस्तखत कर दिए। यहाँ तक कि संसद में इस विषय पर चर्चा करने के लिए सांसद चिल्लाते रहे। लेकिन,उन्हें नहीं सुना गया। श्री नरसिम्हा राव की सरकार को अब एक ज्यूडिशियल अदालत ने गैर कानूनी करार देकर श्री नरसिम्हा राव को रिश्वत देकर बहुमत प्राप्त करने के आरोप में ३ वर्ष की सजा का दण्ड सुना दिया।

विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हक में किए हुए वैश्वीकरण के अनुबंध अगर काँग्रेस सरकार के सोचे-समझे हुए भारत के १०० करोड़ जनता के हक में होते तो जल्दी-जल्दी में किए हुए उन निर्णयों पर आज फुर्सत में पश्चाताप करने का अवसर काँग्रेस के नेतृत्व को नहीं मिलता। काँग्रेस की ही अगर यह नीति रही होती तो भी देश के किसानों में इतना रोष नहीं होता। लेकिन, श्री इंद्रकुमार गुजराल व देवेगौड़ा की सरकारों ने भी इन निर्णयों की न केवल पुष्टि की अपितु इनके क्रियान्वयन को आगे बढ़ाया। उस सरकार में श्री मुलायम सिंह जी स्वयं श्री रक्षामंत्री के प्रतिष्ठापूर्ण पद पर आरूढ़ थे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी आज के प्रधानमंत्री यह कहने में अत्यंत गौरव का अनुभव करते हैं कि उन्होंने ४० वर्ष तक काँग्रेस की सरकारों का विरोध करने में संसद में विरोधी दल का नेतृत्व किया था। लेकिन, आज काँग्रेस की सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को बदलने में उन्हें कठिनाई महसूस हो रही है। जिन नीतियों का विरोध उन्होंने संसद में किया था और जिस विरोध के आधार पर वे आज सत्ता में आए हैं, उन नीतियों का खुला विरोध आज सत्ता में आकर क्यों नहीं कर सकते, यह प्रश्न भारत के १० करोड़ किसान पूछना चाहते हैं। **किसानों की समस्याओं को केवल राजनीति का शस्त्र बनाकर सत्ता में आने के बाद उन्हें भूल जाने का अपराध भारत के तमाम प्रमुख राजनीतिक दलों ने किया है।** और अधिक खेद यह है कि लोकसभा में जब यह प्रश्न विरोधी दल बनाकर राजनेता उठाते हैं तो उनके विचारों को व सरकार के विचारों को पूरे रूप से सुनकर, उन पर समीक्षा करने का अवसर भी किसानों को उपलब्ध नहीं होता है। वर्तमान लोकतंत्र का तथ्य यह है कि सामान्य जनता के वोट प्राप्त करके सत्ता में आ जाने के बाद शासकों पर कोई बंधन नहीं है कि वे किसानों को

Scanned with OKEN Scanner

संगठित करें और उनकी समस्याओं में गहराई से बैठकर उनके साथ आमने सामने होकर विचार करे, अपनी कहे तो उनकी भी सुने।

भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी के अधिकांश नीतिगत भाषण राष्ट्रीय औद्योगिक परिसंघों की समितियों में, देश के उच्चतम उद्योगपतियों के साथ वार्ता के समय होते हैं और इन वार्ताओं में केवल विकास दर की वृद्धि के कार्यक्रम पर जोर दिया जाता है। **देश का अधिकांश धन व उत्पादन १०० करोड़ की जनसंख्या में से ढ़ाई करोड़ की जनसंख्या के हाथ में है और अब इस क्षेत्र में केंद्रीय सरकार ने विश्व की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए लाभ कमाकर अपने-अपने देशों में ले जाने की भी पूरी छूट दे दी है।** क्या यह भारतीय अर्थशास्त्र के लिए विकास दर की कल्पना १०० करोड़ की जनसंख्या की क्रयशक्ति से भी कोई संबंध रखती है, इस पर संसद में खुला विचार होना चाहिए। विरोधी दलों को अपने विचार पूरे रूप में रखने चाहिए कि किसानों की समस्याओं के संबंध में उनकी जब सरकारें सत्ता में थी तो उन्होंने क्या सुधार किए थे और आज भविष्य के लिए किसानों के संबंध में उनका क्या आर्थिक चित्र है जिसके अनुसार उन नीतियों की समीक्षा की जाए जिनको वे अपनाएंगे जबकि वे सत्ता में आएंगे। **देश के किसान यह सुनने के लिए लालायित हैं कि वर्तमान विश्व व्यापार संगठन के अनुबंध से क्या भारत सदा बँधा रहेगा। एशिया, लेटिन अमरीका, मध्यपूर्व के तमाम देश क्या भारत की तरह से इस अनुबंध से पश्चिमी विकसित देशों के शोषण से पीड़ित नहीं है? क्या इस विषय पर कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन इन विकासशील व गरीब देशों का बनाया जा सकता है जो इस संगठन के शिकार बने है।** प्रासंगिक यह भी है कि अमरीका व यूरोप के किसी भी देश के पास इस विश्व व्यापार संगठन के निर्णयों के संबंध में ऐसा कोई विटो अधिकार नहीं है जैसा कि संयुक्त राष्ट्र परिषद् के सुरक्षा परिषद् के पास है। अगर इन विकासशील देशों ने एक संगठन बनाकर विश्व व्यापार संगठन पर बहुमत प्राप्त कर लिया तो यह बिल्कुल संभव है कि ऐसा बहुमत विश्व व्यापार संगठन के उन नियमों को तत्काल प्रभाव से बदल सकता है जिन नियमों के अंतर्गत विकसित देशों के साथ घोर असमानताओं की व्यवस्था में विकासशील देशों की समानता का प्रावधान किया गया है जो इस असमानता को स्थाई बनाने का एक माध्यम है।

कृषि उत्पादन में सहायता देना व कृषि निर्यात में सहायता देने का कार्यक्रम विकसित देशों का जिनमें अमरीका, यूरोप के देश प्रमुख रहे हैं ने बड़े जोर शोर से अपने हाथों में लिया था और इस सहायता के आधार पर कृषि उत्पादन के बड़े पहाड़ खड़े कर दिए। जब उनके कृषि उत्पादन में वृद्धि हो गयी तो बाजार प्राप्त करने के लिए एशिया, अफ्रीका व लेटिन अमरीका के देशों पर इस विश्व व्यापार संगठन में यह दबाव डाला कि अपने किसानों को सहायता नहीं देने के लिए पाबंद हैं और इस पाबंदी को चाहे काँग्रेस सरकार ने स्वीकार किया हो, गुजराल व देवेगौड़ा सरकार ने बहाल रखा था और आज की श्री अटल बिहारी वाजपेयी व यशवंत सिन्हा की सरकार इन नीतियों को जारी रखने के पक्ष में निरंतर खुली व बाजार की व्यवस्था के नाम से गीत गा रही है। केवल निर्यात के लिए अमरीका ने फलों व सब्जियों के लिए २४१ मिलियन डॉलर, चाय, काफी व चीनी के लिए १२०३ मिलियन डॉलर, अनाज के निर्यात के लिए ७१... मिलियन डॉलर, पशुओं से उत्पादित वस्तुओं के लिए ४४७३ मिलियन डॉलर, डेयरी उत्पादों के लिए ५८... मिलियन डॉलर, इस प्रकार कुल २०,१... मिलियन डॉलर की सहायता केवल एक देश अमरीका निर्यात के लिए दे रहा है। भारत को अब कहा जा रहा है कि वह अपनी तमाम निर्यात सहायता बंद करे। भारत व अन्य विकासशील गरीब देशों के बाजारों में निम्न कृषि वस्तुओं का आयात केवल अमरीका से स्वीकार करना पड़ेगा, यह विश्व व्यापार संगठन के कृषि अनुबंध का एक भाग है। मोटे अनाम १७ लाख टन, चावल ११ लाख टन, गेहूँ ८ लाख टन, दूध व दूध से बनी वस्तुएँ ८ लाख टन, मांस ५ लाख टन, चाय ३ लाख टन, फल २ लाख टन आदि आदि। प्रश्न यह उठता है कि बाजरा ऑस्ट्रेलिया व मक्का जैसा मोटा अनाज अमरीका से क्यों आयात करना पड़ेगा। बाजरा व किसान को ९ रुपए प्रति किलो का बीज बोकर अपने उत्पादन में ३ रुपए किलो का भाव भी प्राप्त नहीं हो रहा है। भारत की २/३ भूमि असिंचित

Scanned with OKEN Scanner

है और सिंचाई के साधनों के अभाव में मोटे अनाज व कुछ तिलहन की फसलें ली जा सकती है जिनके आयात से देश के अनाज की मंडियों भर चुकी हैं। संसद में किसानों की समस्याओं के संबंध में चर्चा करते समय बहस को रोकने की बजाए अपनी पूरी बात हर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को कहने का अवसर दिया जाए ताकि देश के १० करोड़ किसान परिवार यह जानकारी ले सके कि किसी दल की सरकार सत्ता में आने के बाद उनके लिए क्या व्यवस्था करेगी। किसानों की चिंता व रोष मुख्य रूप से यह होनी चाहिए कि भारत में १० करोड़ किसानों के साथ अमरीका में किसानों की कुल जनसंख्या ९ लाख होते हुए उनके बीच में साधनों की समानता व उत्पादन के समान अवसरों की अवधारणा को किस प्रकार स्वीकार किया गया है। भारतीय किसान की औसत जोत एक हैक्टेयर से कम की है जबकि अमरीकन किसान की औसत जोत ८०० हैक्टेयर की है। उनके वहाँ प्रति पाँच किसान परिवारों के पास जितने ट्रेक्टर हैं उतने ट्रेक्टर भारत के एक लाख किसानों के पास भी नहीं है। समानता व प्रतियोगिता की यह बाजार की व्यवस्था किन तर्कों पर आधारित है, इसका निर्णय सत्ता में बैठे केवल मंत्री हीनहीं करेंगे अपितु १० करोड़ किसानों द्वारा खेत और खलिहानों पर खुली बहस के जरिए होना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय खुले बाजार में भारत आज भी डेयरी उत्पादन, पशुओं व उनके उत्पादन, फल व सब्जी के निर्यात में अपना शीर्ष स्थान रखता है। चाय, काफी, मसाले, तम्बाकू, चमड़ा, जूट मछलियाँ निर्यात करने में किसी भी देश के साथ प्रतियोगिता कर सकता है। इन निर्यातों को सवर्द्धन सहायता देने में भारत सरकार को अपना पूरा सहयोग करना चाहिए। आज भी पशुओं का निर्यात तो बंद है ही लेकिन भैसों का चमड़ा, दूध व दूध से निर्मित वस्तुओं का उत्पादन, बासमती चावल के अलावा अन्य चावल, दाल आदि के निर्यात के लिए प्रतिबंध लगे हुए हैं। चीनी के निर्यात पर भी प्रतिबंध है। निम्न कानून आज भी देश में कृषि के उत्पादन व व्यापार को कठोर बंधनों से बाँधे हुए है। जैसे आवश्यक वस्तुओं का अधिनियम १९५५ कृषि के परिष्कृत खाद्य उत्पादनों के निर्यात पर रोक आदि पर पहले से प्रतिबंध है जिनको भारत सरकार उठा सकती है। कहने को तो कृषि भारत जिनमें एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी प्रतिबंध के ले जायी जा सकती है लेकिन वास्तविकता को आधार पर किसान को कोई ट्रक गेहूँ या धान की बोरियों के साथ राजस्थान से निकलता हुआ पाया जाएगा तो बाहर निकलते हुए सेल्स टैक्स की चौकी के कर्मचारी उसे यह कहकर के राकेंगे कि यह ट्रक किस व्यापारी का है और उस व्यापारी की तरफ से बिक्रीकर चुकाने के दस्तावेज कहाँ है। अतः कोई किसान यह कल्पना नहीं कर सकता कि वह अपने स्तर पर अपना उत्पादन स्वयं बिक्री के लिए किसी अन्य राज्य की मंडी में ले जा सकता है। वास्तविकता तो यह है कि किसान खेत से भी वह अपने उत्पादन को खुली मंडी में लाकर नहीं बेच सकता क्योंकि उसके किसी आढ़तियों से उधार लेकर खेती की है और वह माल उसे आढ़तिये की दुकान पर जिस भाव से बिके, बेचने के लिए वह प्रतिबंधित है। ■

दिल्ली विद्युत बोर्ड का भी निजीकरण होगा

■ स्वदेशी सम्वाद

दिल्ली विद्युत बोर्ड के वितरण व्यवस्था के निजीकरण के लिए २८ निजी कंपनियों व १२ वित्तीय संस्थाओं की संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें निजी संस्थाओं को बिजली की वितरण व्यवस्था को संभालने के फायदे गिनाये गये। संगोष्ठी के बाद आयोजित एक प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा कि अगले माह में ६६ केवी से नीचे वाले वितरण नेटवर्क को निजी कंपनियों को देने के लिए टेंडर जारी कर दिया जायेगा। निजीकरण की दिशा में रिलायंस समेत कई अन्य निजी कंपनियों से दिल्ली सरकार ने बात शुरू की है।

दिल्ली के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की संभवनाओं विषय पर आज अशोक होटल में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली विद्युत बोर्ड के वितरण व्यवस्था को लेकर निजी कंपनियों की राय जानना था। इसमें ऊर्जा क्षेत्र में पहले से काम कर रही निजी कंपनियों व निवेशकों ने सबसे अधिक सवाल विद्युत दरों को लेकर उठाये। निजी कंपनियों का कहना था कि बिजली की मौजूदा दर पर उनके लिए मुनाफा कमाना मुश्किल है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार दिल्ली विद्युत बोर्ड का निजीकरण कर रही है। बोर्ड को छह कंपनियों में बांटा जायेगा। इसमें से होल्डिंग कंपनी, उत्पादन कंपनी (जेनेका), संप्रेषण कंपनी (ट्रांसको) को प्रदेश सरकार ने अपने अधिकार में रखने का फैसला किया है। शेष तीन कंपनियां वितरण का काम देखेंगी। दिल्ली सरकार ने बोर्ड के निजीकरण के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स का नेतृत्व दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव पीएस भटनागर कर रहे हैं।

संगोष्ठी के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में श्रीमती दीक्षित के अलावा ऊर्जा मंत्री, डा. नरेन्द्र नाथ, ऊर्जा सचिव अशोक प्रधान, बोर्ड अध्यक्ष जगदीश सागर व दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के अध्यक्ष वीके सूद ने पत्रकारों को निजीकरण के विषय में बताया। श्रीमति दीक्षित ने कहा कि दिल्ली को बिजली की सुचारु आपूर्ति के लिए निजीकरण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अधिक संभावना है कि इस वर्ष के अंत तक तीनों वितरण कंपनियां निजी हाथों में सौंप दी जायेंगी। बिजली के उत्पादन का कार्यभार दिल्ली सरकार के ही हाथों में रहेगा। बिजली की सुचारु आपूर्ति भी बिजली की उपलब्धता पर निर्भर करती है। दिल्ली सरकार बिजली उपलब्ध करा पाने में सक्षम हो पायेगी या नहीं। इस सवाल के जवाब में रीमती दीक्षित ने कहा कि अगले कुछ वर्षों में दिल्ली के बिजली की उत्पादन क्षमता बढ़ने वाली है। उन्होंने कहा कि प्रगति पावर प्रोजेक्ट के तैयार होने के बाद ३३० मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरु हो जायेगा। इसके अलावा बवाना में ११००-१२०० मेगावाट क्षमता के एक बिजलीघर हो स्थापित करने की योजना है। इन बिजलीघरों के बनने के बाद दिल्ली की अपनी उत्पादन क्षमता करीब १८०० मेगावाट हो जायेगी। ■

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य सुरक्षा : सामाजिक विषमताएँ और समाधा

■ नरेश सिरोही

वे आत्मनिर्भर और खाद्य-सुरक्षा से भरपूर गाँव कहाँ काफूर हो गए? क्या वे फिर से लौट सकते हैं? क्या हम फिर से गाँवों में अंतर्निहित खाद्य सुरक्षा कायम कर सकते हैं? ये वे सवाल हैं जो मेरी समझ से भारत जैसे ग्राम-आधारित अर्थव्यवस्था से संचालित विकासशील देशों में खाद्य-सुरक्षा से गहरा संबंध रखते हैं।

भारत के अतीत पर दृषिपात करें तो हम देखते हैं कि भारत के गाँवों में एक अंतर्निहित खाद्य-सुरक्षा विद्यमान थी। इस खाद्य-सुरक्षा का मूल तत्व था गाँवों की आत्मनिर्भरता। हर गाँव में कम से कम इतना अनाज, सब्जी, फल, दूध लकड़ी, चारा, कपड़ा, तेल पैदा होता था कि पूरे गाँव का काम चल जाए। जिनके पास जमीन नहीं थी, वे नाई, धोबी, सफाई, खेत-मजदूर, बढ़ई, लुहार आदि का काम करके काम के बदले अनाज और धन अर्जित करके अपना जीवन-यापन करते थे। उन दिनों कोई भूखा नहीं रहता था। अगर गाँव में किसी परिवार में कोई कमी पाई गई, तो उसकी भरपायी पूरा गाँव करता था। गाँव की लड़की की शादी है, तो वह पूरे गाँव की जिम्मेदारी होती थी और गरीब से गरीब परिवार भी इस तरह की चिंताओं से मुक्त रहता था।

यह सब ग्राम-समाज में व्याप्त परिश्रम, आत्म-सन्तोष और परोपकार की भावना के कारण संभव हुआ। गाँव के सभी परिवार एक-दूसरे से रिश्ते-नाते बनाकर चलते थे। सुख-दुःख में एक-दूसरे का साथ निभाना सबका फर्ज था। इसीलिए खाद्य-सुरक्षा भी कायम थी। खेती में न रसायनों का इस्तेमाल होता था, न मशीनों का। यानी खेती में बाजार की घुसपैठ नहीं हुई थी। फसल की बिजाई से लेकर कटाई तक सारे कामहर खेत पर गाँव वाले मिलजुलकर करते थे। अगर किसी का बैल मर गया तो यह नहीं हो सकता था कि उसका खेत अनजुता रह जाए। उसका पड़ौसी उसे बैल दे देगा। रोपाई हो रही है तो गाँव की सभी महिलाएँ रोपाई में जुट जाएंगी। गीत-गाते रोपाई का श्रम-साध्य काम भी आनंदोत्सव में बदल जाता था। इसी तरह कटाई के समय और गहाई के समय भी गीत गाए जाते, नाच-गाने चलते और काम कर रहे स्त्री-पुरुषों को पता भी नहीं चलता था कि घर में उनके बच्चों को कौन संभाल रहा है, जानवरों का दाना-पानी कौन दे रहा है और खेत पर उनके लिए भोजन कहाँ से आ रहा है।

वे आत्मनिर्भर और खाद्य-सुरक्षा से भरपूर गाँव कहाँ काफूर हो गए? क्या वे फिर से लौट सकते हैं? क्या हम फिर से गाँवों में अंतर्निहित खाद्य सुरक्षा कायम कर सकते हैं? ये वे सवाल हैं जो मेरी समझ से भारत जैसे ग्राम-आधारित अर्थव्यवस्था से संचालित विकासशील देशों में खाद्य-सुरक्षा से गहरा संबंध रखते हैं।

इसका मतलब यह नहीं है कि हम बढ़ती आबादी से या बढ़ते प्रदूषण से और भूमण्डलीकरण से पैदा हुए सवालों पर कतई ध्यान न दें। सभी जानते हैं कि आज भारत की आबादी १०१ अरब के आंकड़े के पास पहुँच रही हैं। सन् १९५२ में प्रतिव्यक्ति भूमि की उपलब्धता ०.४८ हैक्टर थी। आबादी बढ़ने के कारण अब ०.१५ हैक्टर रह गई है। लगभग डेढ़ करोड़ हैक्टर कृषि-भूमि तो बढ़ता शहरीकरण ही लील गया। विशेषज्ञ मानते हैं कि एक आदमी की खाद्य-सुरक्षा के लिए उसके पास कम से कम आधा हैक्टर जमीन होनी चाहिए। अब जमीन कोई रबड़ तो है नहीं कि खींच कर बड़ा कर दो। जंगलों से ! ही इतनी जमीन छीनी जा चुकी है वन-विनाश पर्यावरण की सबसे बड़ी सम बन चुका है। अतः सीमित भूमि से ही अधिकाधिक पैदावार बढ़ानी होगी और वह इस तरह कि पानी, मिट्टी और जंगल जैवविविधता पर बुरा असर न पड़े।

लेकिन यहाँ मैं एक और विडम्ब की ओर सभी विशेषज्ञों का ध्यान खीं चाहूँगा कि क्या केवल पैदावार बढ़ाने खाद्य-सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती बढ़ती आबादी के साथ ही भारत में अन का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। फिर भी भु और गरीबी क्यों बढ़ रही है? किस आत्महत्या करने पर क्यों विवश हैं? लूट और आतंकवाद क्यों बढ़ रहा है?

खाद्य-सुरक्षा सहित हमारी तमा समस्याओं की जड़ है उपभोक्तावाद, जिस चलते दुनिया के ८० प्रतिशत संसाधन दुनि की २० प्रतिशत अमीर आबादी उड़ा रही है अब तो पूरा विश्व ही जन-संचार साधनों एक गांव में बदल दिया। इस विश्व-ग्राम प्रत्येक जन में जब तक 'वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना का संचार नहीं होगा, तब तक ह हथियारों पर हो रहे साढ़े नौ सौ अरब डाल के सालाना खर्च में कटौती नहीं कर सकते पूरा विश्व-ग्राम अविश्वास और असंतोष प जी रहा है। उपभ्सोक्तावाद ने सबकी आं चौधिया दी हैं। इसका पता इस बात से चल है कि जब पैसा बढ़ता है, तो वह कहाँ ख होता है? वह खर्च होता है, शराब माँस, जुअ और तमाम तरह की चीजें बटोरने पर। जिसके पास पैसा नहीं है, वह पैसा लूटता है, चो लूटता है। यह कारण है कि बढ़ते शहरीकरण ने जिनकी जमीनें छीन लीं, वे हल छिनने के बाद लाठी, तमंचों और बंदूकों से असभ्यता के बीज बो रहे हैं और अशांति और असुरक्षा की फसल काट रहे हैं।

Scanned with OKEN Scanner

इस अंधेरे घटाटोप में आशा की किरणों कहीं-कहीं दमकती नजर आती हैं। इन किरणों को हम बटोरकर इकट्ठा करें और इन्हें बढ़ाते चले जाएँ तो ऐसे विशाल प्रकाशपुँज में बदल सकते हैं, जो विश्व के कोने-कोने से अँधकार मिटा दे। अलवर जिले के भाँवता कोलयाला गाँव में गाँव वालों ने अपने आप छोटा बाँध बनाकर अपनी ही नहीं अपने आस-पास के तमाम गाँवों की खाद्य-सुरक्षा सुनिश्चित कर दी। पांडिचेरी के पास के दर्जनभर गाँवों में किसान और मछुआरे कम्प्यूटरों पर अपने काम की जानकारी ले रहे हैं। परखनली में पौध उगा रहे हैं।

परस्पर प्रेम और सहकार पर आधारित ग्राम-समाज वहाँ लौट रहा है। महिलाएँ इस तरह के निर्माण-कार्यों में बढ़-चढ़कर भाग ले रही हैं। उन्होंने गाँवों से शराबखोरी, जुआखोरी और निकम्मेपन को मार भगाया है। इस तरह के उदाहरण जितने ज्यादा दुहराये जाएँगे, हमारी खाद्य-सुरक्षा उतनी ही अधिक मजबूत और टिकाऊ होगी।

इस समय किसान भारी संकट में है। स्वतंत्रता के ५२ वर्ष बाद भी जिस देश के किसान जो अन्नदाता है उसे ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़े कि आत्महत्या के सिवा कोई रास्ता न सूझे तो ऐसी दुनिया का भविष्य क्या होगा? पिछले दिनों भारत में इतना अनाज पैदा हो गया कि सरकार के सामने समस्या खड़ी हो गई कि कहाँ रखे? समस्या हल करने के बजाय किसान के सिर पर पटक दी कि तुम्हारा धान खराब है, हम समर्थन मूल्य देकर नहीं खरीदेंगे। लिहाजा किसान ने व्यापारियों को औने-पौने भाव पर बेच दिया। फिर व्यापारियों से सरकार ने पूरे दाम देकर खरीदा। बिचौले व्यापारी और भ्रष्टाचारी अधिकारी इनका गठजोड़ खाद्य-सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भारत के कुछ क्षेत्रों में डेरी-सहकारिता ने बिचौलियों को हटाकर जिस तरह दूध ही नहीं उससे बनायी जा रही आइस्क्रीम की बिक्री में भी किसानों का मुनाफा शामिल रखा है, वैसा ही सभी कृषि-उत्पादों में करने से खाद्य सुरक्षा की बुनियाद पक्की होगी। इसके लिए वर्तमान कृषि व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन करना जरूरी है। जहाँ आलू अधिक पैदा होता है, वहाँ आलू के चिप्स और दूसरे उत्पाद बनाने के कारखाने लगें, लेकिन सहकारी क्षेत्र में। आलू का भी मुनाफा किसान को मिले और चिप्स या ग्रीज या सिरका या ईथेनोल बनाने का मुनाफा भी किसान को मिले।

इसी तरह गेहूँ-धान-चना-मटर से भी जो तमाम व्यंजन, मनकीन वगैरह बनाते हैं, उसमें भी सहकारी फैक्टरियाँ हों और किसान का हिस्सा सुरक्षित रहे, तब तो किसान अन्नदाता की अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता रहेगा। नहीं तो खेती-बाड़ी छोड़कर लूटमार के धंधे में लग जाएगा और जो आज किसान की अनदेखी करके गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, उनकी भी नींद हराम हो जाएगी। इसलिए थोड़े में कहें तो खाद्य-सुरक्षा का मतलब है किसान-सुरक्षा और किसान-सुरक्षा का मतलब है ग्राम सुरक्षा और ग्राम-सुरक्षा का अर्थ है खाद्य-सुरक्षा।

परस्पर प्रेम और सहकार पर आधारित ग्राम-समाज वहाँ लौट रहा है। महिलाएँ इस तरह के निर्माण-कार्यों में बढ़-चढ़कर भाग ले रही हैं। उन्होंने गाँवों से शराबखोरी, जुआखोरी और निकम्मेपन को मार भगाया है। इस तरह के उदाहरण जितने ज्यादा दुहराये जाएँगे, हमारी खाद्य-सुरक्षा उतनी ही अधिक मजबूत और टिकाऊ होगी।

इसलिए उपभोक्तावाद और भोगवाद की बाढ़ रोकना बहुत जरूरी है। कृषि-सहकारिता को सभी क्षेत्रों में अपनाना जरूरी है। संचार माध्यमों के दुरूपयोग से हो रहे सांस्कृतिक हमलों को रोकना जरूरी है। चाहे राष्ट्रीय अर्थ-नीति हो या राष्ट्रीय कृषि-नीति सबके केन्द्र में किसान को रखना होगा, गाँव को रखना होगा। जब तक हम गाँव को कच्चा माल पैदा करने और शहर को उस कच्चे माल को पक्के में बदलकर मालामाल करने की नीति पर चलते रहेंगे अमीर और अमीर होते जाएँगे और गरीब और गरीब।

किसानों के हितों की रक्षा के लिए हम कटिबद्ध हैं। गाँव-गाँव घूमकर हमारे कार्यकर्ता गाँवों में परस्पर सहकार और सहयोग की भावना का प्रसार करने में जुटे हुए है। किसान-पंचायत की परंपरा को पुनर्जीवित किया गया है। मिलजुलकर, एकजुट होकर अपनी समस्याओं से खुद ही निपटने और सरकार का मुँह ताकने की मनोवृत्ति को त्यागने पर भी बल दिया जा रहा है। किसानों के परंपरागत ज्ञान और नई सूझबूझ से अपनी समस्याएं हल करने को प्राथमिकता देना भी किसान पंचायत के अभियान का प्रमुख अंग है। हमने यह विचार फैलाने की भी कोशिश की है कि तकनीक वही अच्छी है जो रोजगार को बढ़ावा दे और रोजगार को छीनने वाली तकनीकें घातक हैं। उदाहरण के लिए गाँव से २० किलोमीटर तक की दूरी तक माल ढोने के लिए बैलगाड़िया इस्तेमाल की जाएँ और ट्रैक्टर भी माल सही समय में पहुँचा सकती है, इसलिए अर्थव्यवस्था पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। बैलगाड़ियाँ अब किसानों की सूझबूझ से ही काफी सुधर गई हैं। टायरों के सहारे वे सरपट दौड़ती हैं, धुआँ नहीं पैदा करती और पशु शक्ति का सदुपयोग करती हैं और रोजगार बढ़ाती है। अब तो उनमें भरा माल आसानी से एक ही झटके में उतारा भी जा सकता है। इसी तरह जमीनी स्तर की सूझबूझ को भी किसान पंचायत बढ़ावा दे रही है। उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले के भैलोनी लोध कलाँ गाँव के किसान मंगल सिंह ने एक मंगल टर्बाइन बनाई है जो पानी में मामूली लहर पैदा करके सिंचाई के पम्प और कुटर उद्योगों से जुड़ी मशीनें आराम से चलाती है। इसमें खर्चा सिर्फ एक बार का है। लेकिन इस उपयोगी उपकरण को प्रचलित करने में हमारी व्यवस्था आड़े आ रही है। किसान प्रचायत के प्रयासों से मंगल सिंह के काम को मान्यता भी मिल रही है और उसे बढ़ाने के लिए सहायता भी मिल रही है। ऐसे मंगल सिंह हर गाँव में मिल जाएँगे और ये ही खाद्य-सुरक्षा के परेदार हैं और यही 'सर्वमंगलम् अस्तु' - सबका मंगल हो, ऐसी भारतीय भावना से ओतप्रोत हैं। इन्हें और इस भावना को बचाना ही खाद्य-सुरक्षा का मूल है। ■

Scanned with OKEN Scanner

नवें धर्म संसद में स्वदेशी और गंगा-रक्षा पर प्रस्ताव पारित

■ स्वदेशी सम्वाद

विश्व हिंदू परिषद द्वारा महाकुंभ के अवसर पर प्रयाग में १९-२० एवं २१ जनवरी २००१ को आयोजित नवें धर्म संसद में स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में सर्वसम्मति से एक सशक्त प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के प्रमुख अंश निम्नलिखित हैं –

- हम सभी भारतवासियों का परम कर्तव्य है कि हम भारत की संपदा एवं परंपराओं की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो जाएं। संपूर्ण राष्ट्र को इस दिशा में प्रयत्न करना होगा।
- संत सम्मेलन का यह नवम अधिवेशन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि वह राष्ट्रहित एवं जनहित में स्वदेशी आंदोलन को प्रश्रय दे तथा सभी उपक्रमों में स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन दे, जिससे लाखों युवक स्वयं रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़कर स्वावलंबी बन सकें।
- यह संत सम्मेलन भारत की जनता का आह्वान करती है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की वस्तुओं का उपभोग पूर्णतः बंद करके भारत को आर्थिक स्वावलंबी बनाने के काम में काम लग जाए।
- विश्व हिंदू परिषद् के नवें धर्म संसद का तीसरा प्रस्ताव 'गंगा रक्षा' पर्यावरण और भारत की सांस्कृतिक अस्मिता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे सर्वमति से, धर्म संसद ने अपनी मंजूरी दी।

प्रस्ताव इस प्रकार है–

- प्रयाग महाकुम्भ संवत् २०५७ के धर्मसंसद की इस बैठक की स्पष्ट और सर्वसम्मत राय है कि भारत सरकार टिहरी में भागीरथी पर टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेन्ट कारपोरेशन द्वारा निर्माणाधीन बांध पर अविलम्ब रोक लगाए और जब तक यह न सुनिश्चिम हो जाए कि बांध से गंगा जल की पवित्रता (शुद्धता) और प्रवाह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब तक निर्माण का कार्य किसी कीमत पर न किया जाए।
- गंगा में प्रवाहमान भागीरथी का जल न तो ग्लेशियर से आता है और न किसी हिमनद से, हम हिंदू धर्माचार्यों का दृढ़ मत है कि यह ब्रह्म-द्रव है और परम पितामह ब्रह्मा के कमंडल, भगवान विष्णु के चरण तथा भगवान शंकर के शीश से उतरकर धरती को निष्कलुष और निष्पाप करने के लिए हिमालय के शिखर गोमुख पर इसका अवतरण होता है। गंगा (भागीरथी) कोई सामान्य सरिता नहीं अपितु एक दिव्य आस्था है, इसलिए न तो इसे बाँधा जा सकता है और न इसके प्रवाह को प्रदूषित किया जा सकता है। इसके प्रवाह और पवित्रता के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ जघन्य पाप है और धर्मशास्त्र इसकी घोर निंदा करता है।
- खेतों की सिंचाई और नगरों को पे[illegible] की उपलब्धता के लिए नदिय[illegible] बांध बनाना हमारी संस्कृति का [illegible] पुरुषार्थ है। महाराज भृगु ने सृ[illegible] सबसे पहले नदियों पर बांध ब[illegible] सिंचाई और पेयजल की उपल[illegible] की व्यवस्था की परंतु गंगा को [illegible] अवस्था से बाहर रखा। भगवान [illegible] ने सागर पर सेतु बनाया लेकिन [illegible] को केवट की नैया पर बैठक[illegible] किया, वह भी उसके पूजन अर्च[illegible] बाद।

देश को भौतिक ऊर्जा की आवश[illegible] है। जिस किसी स्रोत से प्राप्त हो, उ[illegible] दोहन होना चाहिए और देश की भौ[illegible] प्रगति में उर्जा के महत्व को देखते [illegible] उसके लिए हर संभव प्रयास किए [illegible] चाहिए लेकिन जिससे देश की अ[illegible] संस्कृति और समाज को सदियों से प[illegible] प्रेम, सद्भाव, भक्ति और पावनता के [illegible] से ऊर्जा मिलती रही हो उसे मात्र [illegible] मेगावाट की ऊर्जा के लिए अति[illegible] और वह भी मात्र तीस वर्षों तक, स[illegible] कर दिया जाना एक ऐसी भूल होगी जि[illegible] कोई प्रायश्चित नहीं है। यह ८०० [illegible] ऊँचा दैत्याकार बांध गंगा के शील पर [illegible] संकट है।

भूकम्पीय क्षेत्र और कच्ची मिट्टी [illegible] टिकी पर्वतमाला के बीच भगवती भागी[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

को रोककर ४२.१/२ वर्ग कि.मी. की, जिस झील का निर्माण हो रहा है, भागीरथी उसमें सदैव के लिए सिमटकर रह जाएगी। जिस गंगा के सम्मुख महाकालेश्वर भगवान शिव ने भी अपना शीश झुका उसके प्रवाह का सम्मान किया था और उसे सागर तक अविरल बहने जाने दिया था, आज उसका गला उसके उद्‌गम पर ही घोंटने का षड्‌यंत्र हो रहा है। यह उस नवजात कन्या की हत्या है जो अभी अपनी आँख भी नहीं खोल सकी है। टिहरी के आगे गंगा में विभिन्न हिमनदों, झरनों तथा पर्वतीय नालों का ही जल होगा। गोमुख, गंगोत्री से होकर धरातल पर आने वाला पवित्र जल १५ फरवरी, २००१ से हमें आचमन के लिए भी नहीं मिलेगा।

भूकंप का एक झटका यदि वह ८ रेक्टर स्केल से अधिक का हुआ तो बांध को तोड़ देता और उसके बाद प्रयाग तक की आबादी एक जल प्रलय में लीन हो जाएगी। केवल ९० मिनट में हर की पौड़ी पर ३०० फुट ऊँचा पानी बहेगा। इस बांध को क्या हम आतंकवादी गतिविधियों से बचा लेंगे। यदि लाल किले के हमारे सैनिक छावनियाँ उनसे सुरक्षित नहीं हैं तो चीन की सीमा पर बनने वाले बांध की रक्षा कौन करेगा। इस देश को बरबाद करने के लिए पड़ोसी देशों को केवल इस बांध को लक्ष्य बनाना होगा। शेष काम तो बांध टूटने से अपने आप हो जाएगा। बांध के बाद का जल प्लावन गंगा की एक रेखा भी नहीं छोड़ेगा, बचेगा केवल रेत, पहाड़ तथा खंडित तीर्थ, शहर और गाँव।

आज जब बांध नहीं बना है तब गंगा में मूल जल की मात्रा हम बरकरार नहीं रख पा रहे हैं और औद्योगिक प्रदूषण तथा शहरी प्रदूषण उसे अपने प्रदूषण के पाश में जकड़ता जा रहा है और तब गंगा की स्वतः शुद्धि की शक्ति संचलित धारा ही नहीं होगी तब क्या होगा।

भारत सरकार की गंगा कार्य योजना विफल रही। वर्ष १९८९ में गंगा में गिरने वाले औद्योगिक प्रदूषण की मात्रा जहाँ ९० करोड़ लीटर थी, वहाँ अब उसकी मात्रा पहले से बढ़कर २०० करोड़ लीटर हो गई है। जल-मग्न शोधन की केवल १२ प्रतिशत इकाईयाँ कार्यरत है शेष सब तकनीकी और यांत्रिक कारणों से बंद पड़ी है।

गंगा तट के २० महानगर सैकड़ों नगर और गाँव जहाँ मात्र उत्सर्जन को अबाध गति से गंगा में डाल रहे है वहीं खेतों में डाला जाने वाला लाखों टन उर्वरक और कीटनाशक बरसाती पानी के साथ बहकर गंगा में आ रहा है, सरकार उसको रोकने में बुरी तरफ विफल है।

अब तक हमसे फलगु, क्षिप्रा, साबरमती और सरस्वती छिन चुकी है। अब गया में पितरों के तर्पण के लिए फलगु नहीं है, महाकालेश्वर के पाद प्रक्षालन हेतु क्षिप्रा नहीं है। विचार और संस्कार की सरस्वती लुप्त हो चुकी है, अब गंगा की बारी है। धरती पर स्वर्ग की धरोहर क्या हमसे छिन जाएगी? क्या हम अपनी अविरल, निर्मल माँ को इसी तरह मिटने देंगे? क्या हम भागीरथ के पुरुषार्थ को अपने प्रमाद के बोझ से दबा देंगे। क्या हम अपने स्वार्थ के लिए परमार्थ के पवित्र प्रवाह को नष्ट होने देंगे।

यदि नहीं तो इस अमृत पर्व पर प्रयाग की पवित्रता संगम की शुद्धता तथा भगवती गंगा के पुण्य प्रवाह को साक्षी कर यह संकल्प लें कि जब तक हम और हमारा विश्वास अक्षुण्ण है तब तक गंगा की पवित्रता और प्रवाह पर कोई आँच नहीं आने देंगे। गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर रहेंगे। ■

रोगी बना रही है बच्चों को आधुनिक जीवन शैली

■ **स्वदेशी सम्वाद**

देश की राजधानी के स्कूली बच्चों में स्लिप डिक्स जैसी रीढ़ की हड्डी की बीमारी बढ़ती जा रही है। खासकर उन बच्चों को रीढ़ की बीमारी पकड़ रही है जो खेलने कूदने से दूर रहते है और टेलीविजन देखने में गढ़ रहते हैं ऐसे टेलीविजन के सामने से उठने का नाम नहीं लेनेवालों बच्चों 'काउच पोटैटो' का नाम दिया जाता है।

अस्थि रोग के विशेषज्ञों का मानना है कि तेजी से बदलती जीवन शैली के इस दौर में स्कूली बच्चों में रीढ़ की सुरक्षा के प्रति जागरूकता आवश्यक है। रीढ़ शरीर को गतिशील रखनेवाला सबसे महत्त्वपूर्ण अंग है। अस्थिरोग विशेषज्ञ एवं जयपुर गोल्डन अस्पताल के स्पाईन सर्जन डॉ रवि गुप्त मानते है कि बदलती जीवन शैली ने राजधानी दिल्ली के कई युवकों को भी अधेड़ या बूढे जैसी हालत बना रखी है। बड़ी संख्या में रीढ़ हड्डी के रोग, कमर दर्द, पीठ दर्द और स्लिप डिस्क के रोगी अस्पतालों में में आ रहे हैं।

अमेरिका की जीवन शैली के कारण इस प्रकार के कारण वहाँ भी रीढ़ रोग के शिकार हुए बड़ी संस्था में रोगी हैं इस का कुप्रभाव आर्थिक उत्पादकता परभी पड़ रही है इस रोग से मुक्ति के लिए अमेरिका प्रति वर्ष अरबों डालर खर्च करता है। वहाँ एंडोस्कोपी की नयी तकनीक इसका इलाज होता है। वह भारत में भी प्रचलित हो रहा है लेकिन भारत के लोग अपनी आधुनिक जीवन शैली को पारंपरिक ज्ञान के आधार पर बदल लें तो वह इन रोगों से बच सकते हैं पारंपरिक जीवन शैली भारतीयों के लिए वरदान है। ■

Scanned with OKEN Scanner

राष्ट्रीय विचार वर्ग संपन्न

■ स्वदेशी सम्वाद

स्वदेशी जागरण मंच द्वारा कार्यकर्त्ता निर्माण एवं उनके योग्यता विस्तार हेतु वर्ष में दो बार राष्ट्रीय विचार वर्ग का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष दूसरी बार यह विचार वर्ग २४-२८ दिसंबर, २००० को पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार स्थित शिक्षक सदन में आयोजित किया गया।

इस विचार वर्ग में पूरे देश से स्वदेशी के प्रांतीय एवं जिला स्तरीय नए-पुराने कार्यकर्त्ता एवं आनुषांगिक संगठन से अनेक सहभागी आए थे। इन कार्यकर्ताओं में विभिन्न आयु, अनुभवों, योग्यताओं, भाषाओं का सम्मिश्रण था। सभी कार्यकर्त्ताओं ने पाँच दिन के इस विचार वर्ग में सक्रिय उपस्थिति दर्ज किया एवं आपने जिज्ञासा से विचार वर्ग में अभिरूचि बनाए रखा।

विचार वर्ग में कुल १७ सत्र हुए जिसमें समकालीन घटना एवं संदर्भों से सहभागियों को अवगत कराने हेतु विभिन्न विषयों से संबंधित सत्र रखे गए थे। आर्थिक, वैश्वीकरण, कृषि के अलावा संस्कृति, सामाजिक-आर्थिक, हिंदू अर्थशास्त्र आदि सत्रों के प्रमुख के विषय थे। विषय प्रर्वत्त को द्वारा विषय गहन प्रस्तुति के बाद प्रश्नोत्तर का काल होता था जिसमें विषय से जुड़े सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाता था।

विचार वर्ग के प्रथम दिन गठित कार्यदल जिसमें तीन विषय थे, लगातार तीन दिन गटश: चर्चा के बाद अंतिम दिन प्रस्ताव के रूप में अपने रिपोर्ट को विचारार्थ रखा। श्री सुनील पांडेय जी, समन्वयक, स्वदेशी विचार केंद्र की उपस्थिति में कार्यदल रिपोर्ट पर चर्चा हुई। कई बिंदुओं पर सुझाव भी आए। कार्यदल ने जो अपने प्रस्ताव में भविष्य में अपनाए जाने वाले कार्ययोजना का स्वरूप तय किया था वह निम्न है –

कार्य योजना-१

आर्थिक

- अर्थव्यवस्था का मूलाधार स्वदेशी है।
- लघु उद्योगों को उचित संरक्षण एवं प्रोत्साहन मिले।
- घरेलु वचत के महत्व को आम आदमी में जागरण के द्वारा वताया जाए।
- स्थानीय उत्पादों के वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करके बिना वजह लागत मूल्य बढ़ाने से रोका जाए। हालाँकि इस बिंदु पर बहुत लोगों के आपत्ति दर्ज की।
- विश्व व्यापार संगठन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अहितकार है तो उससे बाहर आया जाए।
- बैठक, चर्चा, सेमिनार के द्वारा आर्थिक विषयक आँकड़ों, तथ्यों से कार्यकर्त्ताओं, आम नागरिकों को परिचित कराया जा
- स्वदेशी उत्पाद के विपणन एवं लोगों तक उनकी जानक हेतु अभियान चलाया जाए।

कार्य योजना-2

कृषि, पर्यावरण एवं ग्रामोद्योग

अ. कृषि

१. **कृषि में हरी खाद का प्रयोग** – रासायनिक खादों से की उर्वरक शक्ति बचाने के लिए खेतों में हरीखाद का कर खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाई जा सकती है। जिससे उत्पादन तो निश्चित रूप से बढ़ेगा। लेकिन रासायनिक नुकसान से बचा जा सकता है। कृषकों को हरी खाद का करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

२. **गौ-वर्धन कार्यक्रम** – ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक, कृषि आश्रित परिवारों को गौ-पालन के लिए प्रेरित एवं प्रोत्स किया जाए, गौपालन के लाभ से जनजागृति लाई जाए। प से गोबर, मूत्र, दही, घी लाभ तो प्राप्त होते ही है साथ-बैल भी प्राप्त होते ही जो खेती कार्य के लिए उपयोगी

३. **गौशालाओं का निर्माण** – ग्रामीण क्षेत्रों में बृद्ध एवं अनुप पशुओं के लिए ग्रामीणों में जनजागृति के माध्यम से गौशा का निर्माण कराया जाए।

४. स्वदेशी जागरण मंच ग्रामीण क्षेत्रों की शाखाओं से संपर्क स्थापित कर ग्रामीणों में कृषि के साथ-साथ गौ पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करें।

५. कृषि कार्य यांत्रिक पद्धति के बजाए बैल चलित यंत्रों से के लिए कृषिको को लाभो से अवगत कराए। प्रयोग के तौ कृषकों को यांत्रिक खेती में लगने वाला खर्च एवं बैल च यंत्र (हल, बरवर) का तुलनात्मक लाभ-हानि की जानकारी

ब. जल प्रबंधन

१. पुरानी बावड़ी, कुओं, तालाबों का जीणोद्धार की योजना ब एवं जनसहयोग से इस कार्य को करना।

२. गाँव में जल स्तर संरक्षण हेतु 'सोख्ता' गड्डा का नि करना।

३. वर्षा-संकरण को बढ़ावा देना एवं उसके हेतु तकनीकी जान का प्रचार प्रसार करना।

४. जल प्रबंधन हेतु डॉ. अनुपम मिश्र एवं श्री राजेंद्र सिंह जी कार्यक्रम आयोजित करना।

Scanned with OKEN Scanner

ग्रामीण गरीबों के बचत समूह तैयार करना

१. स्वयं सहायता समूह एनजीओ का गठन करना उनमें बचत को बढ़ावा के लिए प्रोत्साहित करना।

२. समूह को उनके परंपरागत व्यवसाय को बढ़ावा देकर गृह उद्योग स्थापित करना।

पारिवारिक संस्कार योजना ग्रामीण उद्योग (कुटीर)

१. ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुओं की उपलब्धता के आधार पर छोटे-छोटे गृह उद्योगों की जानकारी देकर हाथ निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता एवं लाभ के आधार कार्य करने के लिए जनजागृति जैसे – आलू चिप्स बनाने का व्यवसाय, बड़ी, पापड़, आचार, मुरब्बा, सरबत, शिकंजी आदि व्यवसाय अपना कर आर्थिक विकास में सहभागी बनाने कार्य कराना।

२. गृह उद्योग की तकनीकी जानकारी के सहयोग प्रदान करना एवं शासकीय, अर्द्धशासकीय, सामाजिक संस्थाओं से तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना। उपरोक्त कार्य महिलाए सहजता एवं सरलता से कर सकती है इसलिए महिला कार्यकर्त्ताओं के माध्यम से महिला समूहों का गठन का कार्य कराना।

३. घरों में किचन, गार्डन योजना तैयार कराना? जिन घरों में आगन या पीछे खुले स्थान पर सब्जी, फल एवं फूलों के पौधों का रोपन कराने का प्रयास करना।

४. घर की साज-सज्जा, आदि की सामग्री तैयार करने की योजना की जानकारी देना।

५. तुलसी, नीम, बेल आदि स्वदेशी पेड़ों को लगाने के लिए प्रोत्साहित/एवं प्रेरित करना।

६. स्वदेशी औषधीय पौधों को लगाने के लिए प्रेरित करना।

पर्यावरण एवं वैवाहिक दृष्टिकोण

१. पोलीथीन उपयोग का बहिष्कार – लोगों में पर्यावरण की जानकारी देकर दुकानदारों को पोलीथीन से पर्यावरण होने वाले नुकसान की जानकारी देकर पोलीथीन का बहिष्कार करना।

२. घर-घर में तुलसी पौधा लगाने एवं मंदिर प्रागन में तुलसी पौधो के वगीचे बनाने पर जोर देकर उनके लाभ की जानकारी देना एवं कार्य करना।

३. वृक्षारोपण कार्यक्रम में फलदार पौधे आम, नींबू, पीपल पौधो का रोपन एवं नर्सरी बनवाना तथा तालाब किनारे एवं खाली पेड़ स्थान पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के महत्त्व को समझाना के कार्य करना।

४. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित कारखानों के प्रदूषण से रोकथाम के उपाय करना।

५. मेले एवं सार्वजनिक स्थलों पर ग्रामोद्योग, जल संग्रहण, जल संरक्षण, स्वदेशी वस्तु अपनाओ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार के पंपलेट, प्रशिक्षणशालाओं का आयोजन कर जन-जागृति लाना आदि कार्य करना एवं प्रेरित करने कार्य करना।

स्वदेशी जागरण मंच : संस्कृति विषयक कार्ययोजना

शिक्षा

१. मैकाले शिक्षा पद्धति के विरुद्ध स्वतंत्रता पूर्व स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं द्वारा जिस शैक्षिक विचार का अभियान चलाया गया था उन विचारों के प्रति जागरुकता और मूलतः इसाई केंद्र द्वारा जो परोसा जा रहा है इसका विरोध।

२. समाज के बौद्धिक संपन्न लोगों एवं परिवारों को इस बात के लिए प्रेरित करना की वे अपने बच्चों को स्वदेशी शिक्षण संस्थानों में दाखिल करा कर संस्कारित करें।

३. भारतीय संस्कारों जिनसे पूरी विश्व मानवता आज अपना आत्मकल्याण करने में लगी है के प्रभार हेतु समाज के बौद्धिक संपन्न एवं शिक्षित वर्ग को स्वदेशी की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास।

साहित्य

१. धार्मिक एवं राष्ट्रीय प्रेम पर आधारित साहित्यों के अध्ययन को प्रोत्साहित करना।

२. क्षेत्रीय से प्रांतीय स्तर एवं प्रांतीय से राष्ट्रीय स्तर तक आयोजित प्रतियोगिताओं द्वारा नवोदीत साहित्यकारों एवं कविओं को स्वदेशी विचारों के लिए मंच एवं प्रोत्साहन दिया जाए।

३. स्कूलों/कालेजों में स्वदेशी विषयक निबंध भाषण एवं कविता पाठ प्रतियोगिता एवं छात्रों से संवाद पैदा करना।

कला

१. समाज को जागृत करने के लिए नाटक, गायन, चित्रकला इत्यादि कलाओं में स्वदेशी विषयों विचारों का स्थानीय प्रतियोगिता कराई जाए एवं प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया जाए।

२. दूरदर्शन प्रचार एवं अर्मयादित धारावाहिकों, अपरिवारिक फिल्में एवं उनके द्वारा संस्कृति का आक्रमण का विरोध करना।

३. लोक कलाओं में जैसे कठपुतली, रामकथा, नौंटकी इत्यादि में स्वदेशी विषय रखें।

४. स्वदेशी मेला के अंतर्गत स्वदेशी झाँकी, स्वदेशी खाद्य, स्वदेशी वस्त्रों एवं स्वदेशी रीति-रिवाजों को प्रदर्शित करना।

अन्य

१. स्वदेशी जागरण मंच में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करना।

२. प्रत्येक उत्सव/त्योहार परंपरागत रीति से मनाने पर बल दिया जाए एवं इसकी सुरक्षा बाहरी व्यवसायिक शक्तियों से इनकी सुरक्षा की जाए।

३. जन्म दिन पर केक काटना, 'वेलेन्टाइन दिवस' हनीमून सौंदर्य स्पर्द्धा इत्यादि में परिवार भाग न ले। उपहार स्वरूप महापुरुषों

Scanned with OKEN Scanner

के चित्र मूर्ति प्रदान करें।

४. शादी-ब्याह या अन्य समारोह इत्यादि में विदेशी पेय खाद्यान्न इत्यादि प्रयोग न करें।

५. आयुर्वेद औषधियों, वनस्पतियों (नीम, तुलसी, बेल) इत्यादि का महत्व समाज को बताएँ और जीवन में उसका प्रयोग करें।

६. मिट्टी के बर्तन, ताँबे के बर्तन छोटे कारीगरों से उत्पादित जूते-चप्पल इत्यादि वस्तुओं का उपयोग करने के लिए समाज को प्रवृत करें।

७. स्नानघर एवं रसोईघर में दैनिक प्रयोग की वस्तुओं में स्वदेशी वस्तुओं का प्रचलन एवं विदेशी वस्तुओं का विरोध।

८. बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा रेडीमेड आटा के प्रयोग का विरोध एवं स्वदेशी चक्किओं के आटे को प्रोत्साहन देना।

९. स्वदेशी जागरण मंच के प्रत्येक संगठन स्वदेशी विदेशी सूची समय-समय पर छपवाकर समाज में वित्तीय करें।

सलाह

१. जन्मदिन पर पूजन, दीप जलान इत्यादि को प्रोत्साहित करना।

२. शाकाहारी भोजन को समाज में प्रोत्साहित किया जाए।

३. विज्ञापनों में बच्चों/महिलाओं/हिंदू-देवी देवताओं प्रतीकों, आस्थाओं एवं भावनाओं पर हो रहे हमले एवं हमले का विरोध किया जाए।

४. स्वदेशी जागरण मंच सांस्कृतिक कार्यदल का गठन कर विज्ञापनों को चिन्हित कर अर्मयादित विज्ञापनों का विरोध करें।

श्री हेमंत कुमार शाह आर्थिक विषय के, श्री सुनील शुक्ला जी कृषि संबंधी विषय के एवं डॉ. प्रमोद दूबे सांस्कृतिक विषय के कार्यदल के प्रमुख थे।

राष्ट्रीय विचार वर्ग का समारोप मा. श्री मा.गो. वैद्य जी, प्रवक्ता, राष्ट्रीयस्वयं सेवक संघ जी के आशीर्वचनों से हुआ।

हलचल

स्वदेशी मेला अब इंटरनेट पर

www.swadeshimela.com

सूचना एवं तकनीक क्षेत्र के बढ़ते प्रभाव एवं महत्व के अनुरूप एवं भारतीय उद्योगों के बारे में तत्काल विस्तृत जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से स्वदेशी जागरण मंच की इकाई भारतीय विपणन विकास केंद्र 'भावि' ने स्वदेशीमेलाडॉटकाम के नाम से एक नया बेवसाइट शुरु किया है। यह एक बेवसाइट काफी विस्तृत एवं अपने गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकरी देने में सक्षम है। स्वदेशी उद्योग से जुड़े क्रेता एवं विक्रेता, व्यवसायी, उद्यमी या अन्य किसी भी, को यह वाहिका एक साथ एक पर सारी जानकारी प्रदान करता है। इस 'वाहिका' के निर्माण का मुख्य उद्देश्य बाजार एवं उद्योग से जुड़े सारे घटकों के बीच तालमेल बैठाना है।

swadeshi.com के प्रमुख उद्देश्य

भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में स्वदेशी कंपनियों का एक वास्तविक समूह का निर्माण करना ताकि इन उद्योगों के बारे में कम से कम समय में अधिक जानकारी मिल सके। साथ ही इस डॉट काम के बाद ग्राहक एवं विक्रेता के बीच जो दूरी रहती है वह तो खत्म हो ही जाएगी एवं जो संबंध बनेगा वह बिना किसी बिचौलिए के द्वारा होगा। गाँवों, देहातों में जो क्षमतापूर्ण लघु उद्योग बसा हुआ है वह अब स्वदेशी मेला डॉट कॉम के जरिए 'साइबर युग' से जुड़ जाएगा। यह वाहिका इन सारी जानकारियों को प्रदान करने वाला आँकड़ों का आधार के रूप में काम करेगा।

swadeshi.com की प्रमुख विशेषता

इस वाहिका की प्रमुखता विशेषताओं में भारतीय उद्योग के हस्तशिल्प, वस्त्र, चमड़ा, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण एवं उपभोक्ता सामग्रियों पर स्थायी मेला आयोजन करना शामिल है। अन्य मेला की जानकारी भी बेवसाइट पर उपलब्ध रहेगी। जिनमें, टेलीकॉम, सूचना-प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, प्लास्टिक, रबर, रत्न एवं आभूषण, घरेलू साज-सज्जा, कृषि उत्पाद, पुस्तक स्वास्थ्य, खेल से संबंधित मेल प्रमुख है। ये मेला समय-समय पर स्वदेश मेला डॉट कॉम पर स्थायी मेला के अला उपलब्ध रहेंगे।

स्वदेशी मेला डॉट कॉम नाम से जि बेवसाईट का निर्माण किया गया है उ 'क्लिक' करने के साथ ही जो प्रथम पृ कम्प्यूटर के स्क्रीन पर आएगा। उस पर उ प्रमुख क्षेत्रों का नाम रहेगा जिस पर स्वदेश विपणन विकास केंद्र स्थायी मेला आयोज करती है। मेला में भाग लेने वालों का ना इसके साथ जुड़े पृष्ठ पर रहेगा। हर पृष्ठ प खोजने वाला बटन, किसी पृष्ठ से किसी पृ में जाने हेतु बटन, व्यापार पंजीकरण, ती विभिन्न रंगों में पोस्टर आदि रहेगे। भागीदा के नाम वाला मुख्य पृष्ठ पर भागीदार सं संगठनों के बारे में विस्तार से वर्णन होगा जिसमें कंपनी वृत्त, उत्पाद सूची एवं उस हे प्रतीक चिन्ह आदि जानकारी उपलब्ध रहेगी

अन्य जानकारी जो स्वदेशी मेला डॉ कॉम उपलब्ध कराएगा वह है - व्यापा कोना, फोन वार्ता, डायरेक्ट्री, सूचना कें नौकरी, भाग लेने वाला पत्रक, 'भावि' के बा में जानकारी सहायता पटल आदि प्रकरण होंगे

स्वदेशी मेला में जो भी कंपनियाँ भा लेना चाहेंगी वे अब स्वदेशी मेला डॉट का पर उपलब्ध सारी जानकारी को देखने के बा वही उपलबध आवेदन पत्र को भरकर भा ले सकती है। उसको और सुविधाजनक बना हेतु निम्नलिखित तीन विशेष योजना बनाई ग है। इन योजनाओं में होम पेज, कंपनी वृ उत्पादन पृष्ठ, कंपनी द्वारा प्रदत्त सेवा की सूची एवं संपर्क फोन की सुविधा विभिन्न पृष्ठों पर दी जाएगी। होम पेज पर कंपनी का प्रतीक चिन्ह, एनीमेशन, चित्र एवं कंपनी के बैनर एवं कंपनी की विषय सूची रहेगी। कंपनी के वृत हेतु १०,००० शब्दों की क्षमता प्रदान करती है।

चारों योजनाएं एक दूसरे से कुछ ही मायने में भिन्न होगी।

कोका कोला पर कहर

लखनऊ के मुस्लिम मजहब के नेताओं ने अँग्रेजी में लिखे कोकाकोला के हर्फों की लिखावट पर आपत्ति जताई है। इन लोगों ने दो माह के भीतर कोका कोला की लिखावट बदल लेने की अवधि देते हुए कहा है कि यदि ये लिखावट नहीं बदली गई तो 'वार' शुरु हो जाएगा।

दाद देना होगा उस शक्स को जिसने 'कोका कोला' की लिखावट की उलटी छाया (प्रतिविम्ब) को शीशे में पढ़ा। कोका कोला की अँग्रेजी लिखावट हिब्रू लिपि में पढ़ा जाना भी एक करिश्मा है। कोका कोला की अँग्रेजी लिखावट के शीशे में बनने वाले प्रतिबिम्ब को इस प्रकार पढ़ा गया . . . .'ला मोहम्मद - ला मक्का' यानी 'ना मोहम्मद, ना मक्का'। यह वाक्य कोई मुसलमान कैसे बर्दाश्त कर सकता है। कोका कोला और पेप्सी की मिली-कुश्ती का आकर्षण पहले ही फींका होने लगी थी – अब कोका कोला के सिर पर भारी कहर बरबा हुआ है आगे-आगे देखिए होता है क्या? ■

अमरीका भारतीय परम संगणक का नाश चाहता है

अमरीका भारत सहित कई देशों में अपने तीव्रगामी संगणक (कम्प्यूटर) को बेचना चाहता है। ध्यान देने की बात है कि जब भारत के पास यह अतिविकसित संगणक नहीं था, अमरीका ने भारत को इसे देने से मना कर दिया था। भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी मेधा से स्वदेशी तकनीक विकसित कर यह संगणक निर्मित कर लिया। ये संगणक अमरीकी संगणक से किसी मायने में कम नहीं हैं। अब जब भारतीय परम संगणक की माँग पूर्वी एशियाई देशों, रूस और अफ्रीका में होने लगी है तो अमरीका भारतीय परम संगणक की बढ़ती हुई माँग और उत्पादन को नष्ट करने के उद्देश्य से भारत पर अपने संगणक को खरीद का दबाव बना रहा है। यदि भारत सरकार अमरीकी संगणक खरीदेगी तो भारतीय संगणक और इसकी उत्पादन ईकाई का सर्वनाश होगा। यह भूलने की बात नहीं है कि आज पाँच-सात वर्ष पहले जब भारत मौसम संबंधी गणनाओं के लिए अमरीका से परम संगणक को पाना चाहा तो उसने साफ-साफ मना किया था। भारतीय वैज्ञानिकों ने चुनौती के रूप में यह घटना स्वीकार की थी और परम संगणक बना लिया। भारत सरकार ने यदि अमरीकी संगणक को महत्त्व दिया तो यह देशहित की उपेक्षा का उदाहरण कहा जाएगा। ■

:: घर की चिंता छोड़, अब चिंता लगी अमरीका की ::

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री उमर अब्दुला ने इंडिया एब्रोड न्यूज सर्विस को एक साक्षात्कार में बताया कि अमरीकी की अर्थव्यवस्था में चल रही मंदी भारत की चिंता का विषय बन गया है। अमरीका पिछले कई वर्षों से भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसके अलावा भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और साफ्टवेयर निर्यात के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण देश है। अमरीका की अर्थव्यवस्था में छायी मंदी को न्यूनतम स्तर पर लाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अपने निर्यात के लिए दूसरा बाजार तलाश करने का प्रयास तेज करने का फैसला किया है।

इंडोनेशिया में फतवा

विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के मुल्लाओं ने जापान और चीन में भोजन को स्वादिष्ट बनाने में उपयोग होने वाले 'अजिनो मोटो' या 'मोनोसोडियम ग्लुटामेट' कही जाने वाली एक खास चीज पर फतवा जारी करके रोक लगा दिया है वहाँ की सरकार ने पीटी अजिनोमोटो नामक कंपनी के उस उपाध्यक्ष यासुसगी योदो को भी गिरफ्तार कर लिया है जो सूअर के मांस से निकलने वाले एक एंजाइम द्वारा उक्त मसाले को तैयार करता था। जापान और चीन में इस मसाले को स्वाद के लिए महत्त्व प्राप्त है। मुल्लों का कहना है कि अजिनामोटो को तैयार करने में सूअर को विधिवत हलाल करके मांस नहीं तैयार किया जाता, यह हराम है। जबकि सरकार कह रही है कि सूअर के मांस के एंज़ाइम से तैयार हुए इस मसाले में आगे तक उसका अंश नहीं रह पाता है। इसलिए यह मसाला दोषपूर्ण नहीं है। फिर भी मुल्लों के दबाव में सरकार गिरफ्तारी के लिए मजबूर हुई। ■

बासमती चावल के मुद्दे पर भारत को ब्रिटेन का समर्थन

ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ द्वारा भारत से बासमती आयात पर दिए जा रहे शुल्क में कमी का समर्थन किया है। इसके साथ ही इसने भारत सहित विभिन्न विकासशील देशों द्वारा विश्व व्यापार संघ के उरुग्वे दौर की वार्त्ताओं में लिए गए निर्णयों को लागू करने की माँग का भी समर्थन किया है। भारत-ब्रिटेन का व्यापार इस वर्ष ५ बिलियन डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है। यूरोपीय संघ में भारत का सबसे बड़ी व्यापारिक साझीदारी ब्रिटेन से है। ब्रिटेन के व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री स्टेफिन बेयर का कहना है कि वह भारत के साथ अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करना चाहते हैं और इसका सबसे अच्छा ढंग व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देना ही है।

Scanned with OKEN Scanner

यूरोपीय संघ की अमरीका ने खिचाई की

अमरीका ने यूरोपीय संघ पर भारतीय बासमती चावल के प्रति पक्षपात करने का आरोप लगाया है। अमरीका यूरोपीय संघ को सबसे अधिक चावल निर्यात करता रहा है लेकिन पिछले पाँच वर्षों से उसका निर्यात घटता जा रहा है। इसलिए कि यूरोप में भारतीय उपमहाद्वीप के आयात पर शुल्क कम कर दिया गया है जिससे कम मूल्य पर भारतीय उपमहाद्वीप के बढ़िया चावल उपलब्ध हो रहे हैं। अन्य देशों के घटिया चावल भी इसी मूल्य पर बिकते हैं। बराबर मूल्य पर कोई बढ़िया चावल छोड़कर घटिया

चावल क्यों ले।

अपने निर्यातकों की शिकायत पर अमरीका ने विश्व व्यापार संगठन में यूरोपी संघ की खिचाई की है कि वह अन्यायपू व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। अमरीका व शिकायत का आधार यह है कि विश्व व्याप संगठन के नियमों के अनुसार बासमती २६४ डॉलर प्रति टन से काम शुल्क न लगाया जा सकता। भारत की चिंता यह है f केवल अमरीका की नजर ही भारत के चाव निर्यात पर नहीं है, बल्कि, इटली, स्पेन अ पुर्तगाल जैसे देशों की नजर भी है जो अप किसानों को चावल उपजाने के लिए लगात प्रेरित कर रहे हैं।

उ.प्र. सरकार सभी कताई मिलें बेचने पर तुली

राज्य चीनी निगम की मिलों को बेचने की तर्ज पर अब प्रदेश सरकार ने राज्य की सभी कताई मिलों को बेचने का मन बना लिया है और तैयारी शुरु कर दी है। इस दिशा में सरकार ने एक प्रस्ताव बनाकर बी.एफ.आई.आर. के समक्ष प्रस्तुत भी कर दिया है। बी.एफ.आई.आर. की अनुमति मिलने के बाद इस बारे में कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि वस्त्र निगम की मेरठ, संडीला (हरदोई), झांसी, काशीपुर तथा जसपुर की मिले हैं। इनके अलावा राज्य सरकार के अधीन कानपुर, इलाहाबाद, बाराबंकी व जौनपुर की मिलें है। इन सभी मिलों में से जौनपुर की कताई मिल की पाँच यूनिट में से केवल एक यूनिट कार्य कर रही है। शेष सभी मिलें बंद हैं और मिल मजदूर बिना कार्य के वेतन प्राप्त कर रहे है। वस्त्र निगम की कताई मिलों में करीब दस हजार कर्मचारी कार्यरत हैं जबकि राज्य की कताई मिलों में ५५००

मजदूर कार्यरत है। वस्त्र निगम तथा राज्य की कताई मिलों में से जौनपुर को छोड़कर शेष सभी मिलों में कार्य वर्ष १९९७-९८ से कार्य ठप है।

राज्य सरकार ने मिलों में कार्यरत कर्मचारियों को वी.आर.एस. स्कीम के अंतर्गत हटाने तथा बाद में इन मिलों को निजी क्षेत्रों में बेचने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव को प्रदेश सरकार ने बी.एफ.आई.आर. के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किया है। वर्तमा में प्रदेश की कताई मिलों को बंद किए जा का मामला बी.एफ.आई.आर. के सम विचाराधीन है। बताया गया है कि वस्त्र निग कि मेरठ एवं संडीला (हरदोई) की कता मिलों के कर्मचारियों को वी.आर.एस. देने व व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। इस ब में सरकार ने पहले ही फैसला कर लिया किंतु इन मिलों के बाद में बी.एफ.आई.आ में चले जाने के कारण विचाराधीन है। इ प्रकार काशीपुर तथा जसपुर की कताई मि के नवगठित उत्तरांचल राज्य में चले जाने व कारण अब इन दिनों मिलों के बारे में उत्तरांच की सरकार से वार्ता करने के बाद फैसल लिया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि य उत्तरांचल सरकार इन दोनों कताई मिलों क चालू करने का फैसला लेगी तो चलाने के लि दे दिया जाएगा अन्यथा इन मिलों व कर्मचारियों को वी.आर.एस. स्कीम को ला करेगी और जो भी व्यय आएगा राज्य सरका उसे वहन करेगी।

Scanned with OKEN Scanner

अब बंगाल में भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं

पश्चिम बंगाल के किसानों के सामने अब ऐसी समस्याएँ उत्पन्न होने लगी हैं कि उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वर्द्धमान जिला के मंतेश्वर थानांतर्गत कलुआ गांव में २८ वर्षीय किसान सुब्रत पाल ने आत्महत्या कर ली है, क्योंकि उसे धान का वास्तविक मूल्य नहीं मिला। उसने कर्ज लेकर धान खरीदा था, लेकिन मिल में धान की कुटाई के बाद उसे पर्याप्त कीमत नहीं मिली। जब कर्ज नहीं दे पाया तो सुब्रत पाल ने जहर खा लिया। किसानों की परेशानी को देखते हुए प्रदेश कृषक सभा ने जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया।

पश्चिम बंगाल में धान का उत्पादन अच्छा होता है, लेकिन सरकार से उसका समर्थन मूल्य तय नहीं किया है। बाजार में चावल की कीमत गिर गयी है। पुराना धान अभी बिका भी नहीं है कि बाजार में नया धान आना शुरु हो गया है।

किसानों की समस्या के मद्देनजर मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने धान का समर्थन मूल्य ५१० रुपया प्रति क्विंटल करने की घोषणा की थी, लेकिन उसके बारे में सरकार ने अंतिम फैसला नहीं लिया है। इस समय गांवों में चार सौ रुपए प्रति क्विंटल के आसपास धान बिक रहा है।

किसानों की परेशानी यह भी है कि आलू के मौसम में पैदावार अधिक हो गयी है, लेकिन उसका खरीददार नहीं मिल रहा है। कोल्ड स्टोरेज में पुराना आलू पहले से भंडार किया हुआ है। किसानों का आरोप है कि बड़े व्यापारी सस्ते में माल खरीद कर कोल्ड स्टोरेज में भंडारण करते हैं एवं जब खपत बढ़ती है तो ऊँचे दामों में बेचते हैं। जो छोटे बड़े किसान कोल्डस्टोरेज में आलू रखते हैं, उनसे ज्यादा भाड़ा लिया जाता है। किसानों का आरोप है कि सरकारी उदासीनता की वजह से उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

कोल्डस्टोरेज में ४० रुपए प्रति बोरे के हिसाब से किसानों ने आलू रखा था, लेकिन कोल्ड स्टोरेज से आलू निकालने के बाद खर्चा आदि देकर उन्हें ९० रुपए प्रति बोरा खर्चा आ रहा है। जबकि बाजार में उन्हें ५०-६० रुपए प्रति बोरे के हिसाब से आलू बेचना पड़ रहा है। विभिन्न कोल्ड स्टोरेज से १५-१६ लाख बोरी आलू हैं, लेकिन ज्यादा दाम देकर आलू निकालने में किसान हिचकिचा रहे हैं। अब बाजार में नया आलू आ गया है। नतीजतन पुराने आलू की कीमत नीचे आ गयी है।

दूसरी ओर, किसानों के फसल का बीमा सरकार द्वारा नहीं कराए जाने से बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसल की कीमत भी किसानों को नहीं मिली है। पश्चिम बंगाल के किसानों को भले ही आलू का दाम नहीं मिल रहा है लेकिन थोक व्यापारी खुले बाजार में ऊँचे दाम पर आलू बेच रहे हैं। इस समय कोलकाता के बाजार में नया आलू पांच रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है। पश्चिम बंगाल कृषक सभा ने किसानों की परेशानी को देखते हुए हर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। कर्ज में डूबे किसानों को उनके फसल की कीमत तो दूर, उनका खर्चा भी नहीं निकल रहा है। सुब्रत पाल की आत्महत्या के बाद कृषक सभा ने सरकार से अपील की है कि फौरान कोई कदम उठाए अन्यथा कर्ज में डूबे दूसरे किसान सुब्रत पाल का रास्ता न अपना लें। ■

जल-स्रोतों के निजीकरण का मतलब

जल स्रोतों के निजीकरण का सुझाव देकर भारत में दुग्ध क्रांति के प्रणेता एवं ग्रामीण प्रबंध संस्थान (आनंद) के अध्यक्ष वी. कूरियन जल के असमान वितरण को संतुलित बनाना चाहते हैं। लेकिन यह सुझाव यदि भारत के जल स्रोतों के निजीकरण को बढ़ावा देता है तो मिनरल वाटर के व्यापार में लगी देशी-विदेशी कंपनियाँ तीर्थों की नदियों कुण्डों से लेकर गाँव के तालाबों तक दौड़ लगा सकती हैं और तब स्नान-पर्व भी कमाई का जरिया बन सकते हैं। उदाहरणार्थ कुम्भ के अवसर पर करोड़ों संख्या में आकर पुण्य लूटने वाले लोगों को भी डूबकी के हिसाब से पर्ची कटवानी पड़ेगी और यह आर्थिकीकरण भारत के लिए दुर्भाग्य होगा, विद्रोह का कारण भी बन सकता है।

पानी बेचने के काम में लगी देशी-विदेशी कंपनियाँ भारतीय परंपरा की निःशुल्क 'प्याऊ' व्यवस्था की हत्या कर चुकी हैं। सबकुछ बिकाऊ होने के रास्ते पर प्रेरित करने वाले प्रयासों के प्रति सावधानी जरूरी है। उत्तर प्रदेश की सरकार के पर्यटन मंत्रालय से समझौता कर पेप्सी ने महाकुम्भ के पावन पर्व पर अबकी बार एक्वा फिना नाम का बोतल वाला पानी पर्याप्त बेचा। महाकुम्भ पर पेप्सी का यह प्रयास इस काम के लिए उल्लेखित किया गया कि वह इलाहाबाद में कोक के ६०% के बाजार को नीचा दिखा सके। वास्तव में कोक और पेप्सी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं दोनों मिलकर लड़ते हैं और दर्शकों से पैसे वसूलते है। दोनों गैर जरूरी उत्पादों के विक्रेता है। पेप्स के अतिरिक्त महाकुम्भ में फ्रांस की एक कंपनी भी बोतल बंद पानी बेचने में शामिल थी इसका नाम डानोन इंटरनेशनल ब्रांड पेरिस है यह आलप्स पहाड़ के पानी को बेचने की दावेदार है स्पष्ट है कि इस प्रकार के व्यापारी भारतीय जनमानस को गंगोत्री के गंगा जल को व्यवसाय में उपयोग करने की प्रेरणा देंगे। व्यवसाय और धन-लोभ उदारीकरण के युग में निजीकरण तक जा पहुँचेगा। ■

Scanned with OKEN Scanner

वाजपेयी ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रोत्साहन पर बल दिया

प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ३ जनवरी को पूँजीगत वस्तुओं के उत्पाद में आई कमी पर चिंता जतायी। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्रियों को स्वदेशी वस्तुओं को विदेशी वस्तुओं की टक्कर में लाने का सुझाव दिया। इस सिलसिले में वाजपेयी ने वरिष्ठ मंत्रियों की एक बैठक भी बुलायी तथा इस विषय पर गहन मंत्रणा की। समझा जाता है कि अगले बजट में स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन देने के लिए कठोर प्रबंध किए जा सकते है।

सूत्रों के अनुसार पिछले एक माह से स्वदेशी वस्तुओं के प्रोत्साहन के लिए संघ के बढ़े नेताओं ने वाजपेयी पर दबाव डालना शुरु कर दिया था। इसके साथ उन्होंने आगामी बजट के जरिए विदेशी वस्तुओं के भार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री को कठोर कदम उठाने के सुझाव भी दिए है। पीएमओ सूत्रों के अनुसार वाजपेयी ने स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादों में कमी एवं विदेशी वस्तुओं के बढ़ते प्रभाव पर गहरी चिंता जतायी है।

उल्लेखनीय है कि चीन निर्मित वस्तुओं का भारतीय बाजार में बढ़ रहे प्रभाव से केंद्र सरकार पहले से ही चिंतित है। आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में चीन निर्मित वस्तुएं भारत के लिए अफीम साबित हो सकती है।

एनरान के मुद्दे पर वार्ता

भारत में अमरीका के राजदूत रिचर्ड सेलेस्टे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख से भेंट की और राज्य में विवादास्पद एनरान बिजली परियोजना की स्थिति के बारे में विचार किया।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ४५ मिनट की बातचीत के दौरान देशमुख ने सेलेस्टे से कहा कि डाभोल पावर कंपनी से बिजली खरीदने के कारण महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड का वित्तीय बोझ बढ़ गया है। यह कंपनी एनरान की सहायक कंपनी हैजो कोकण में स्थापित है। सेलेस्टे ने परियोजना की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाने के राज्य सरकार के फैसले को सकारात्मक कदम बताया और आशा व्यक्त की कि इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे क्योंकि भारत में विदेशी निवेश का मुद्दा शामिल है।

देशमुख ने अमरीकी राजदूत को बताया कि वित्तीय बोझ कम करने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से अनुरोध कर सकती है। लेकिन यह अनुरोध विशेषज्ञ समिति का प्रस्ताव आने के बाद किया जाएगा। सेलेस्टे ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे जल्दी सुलझा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सेलेस्टे को बताया कि विशेषज्ञों की समिति भी बना दी जाएगी।

वहीं दूसरी ओर एनरान इंडिया के पूर्व अध्यक्ष और मुख्यकार्य अधिकारी संजय भटनागर ने इस्तीफा दे दिया है। भटनागर को एशिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी की ब्राडबैंड सेवा के प्रमुख के रूप में सिंगापुर भेज दिया गया था।

भटनागर २०१४ मैगावाट की डाभोल बिजली परियोजना में शामिल थे और इस समय विवादों के घेरे में थे। उन्होंने पिछले सप्ताह इस्तीफा दिया। भटनागर इस समय अमरीका में है। उन्हें पिछले महीने सिंगापुर में एशिया की एनरान ब्राडबैंड सेवा के मुख्य कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। एनरान ने एक वक्तव्य में कहा कि भटनागर ने अन्य हितों को ध्यान में रखते हुए इस्तीफा दिया है और हम उनके सुखद भविष्य की कामना करते हैं।

(पृष्ठ ३२ का शेष....)

मानसिकता बदलेगी ....

नाम पर १९७० से १९८० के दशक में उन्हीं स्वाभिमानी व कर्मठ किसानों को कृषि विकास के अग्नि में झोंकने के लिए तैयार कर लिया गया। लाखों की संख्या में पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात व पं. उत्तर प्रदेश में किसान हरित क्रांति की अग्नि में जलने के आगे बढ़े। दुष्परिणाम १९९० के बाद सामने आया। हजारों की संख्या में किसानों ने आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र व हरियाणा में आत्महत्या की घटना रजिस्टर्ड हुई। खेत में रिकार्ड तोड़ निवेश करके रिकार्ड तोड़ उत्पादन लिया जा रहा है। किंतु बाजार में रिकार्ड तोड़ उत्पादन का पूरा दाम न मिलने से कृषि कार्य में अत्यधिक खर्च करने के बाद आंकठ ऋण में डूबे हुए उस स्वाभिमानी किसान के पास आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं होता है। अतः अब यह आवश्यक हो गया है कि गाँव-गाँव व खेत खलिहान में स्वदेशी के तहत स्वाभिमान, स्वलम्बन व स्वतंत्रता की बात हो। अब अस्सी प्रतिशत गाँव क्षेत्रफल से बने भारत का विदेशी षडयंत्रों में फँसना आश्चर्य का विषय नहीं होना चाहिए बल्कि षडयंत्रों और कुत्सित मानसिकता को चकनाचूर करके देश को बाहर कैसे निकाला जाए इसकी आवश्यकता है। भयानक बेरोजगारी में देश के नौजवानों के टूट रहे सपनों को कैसे बचाया जा सकता है – यह हमारा प्रयास होना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन का देश पर कोई असर न हो इसे सुनिश्चित करना होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दानवी मुख से देश की अर्थव्यवस्था को कैसे निकाला जाए, इस प्रश्न का उत्तर खोजना है। ■

Scanned with OKEN Scanner

स्वदेशी उत्पादनों की सूची

दि. : ०१, जनवरी, २००१

वस्तु	स्वदेशी उत्पादन -प्रयोग करें	बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादन- बहिष्कार करें
नहाने का साबुन	संतूर, निरमा, स्वस्तिक, मैसूर सैंडल, विप्रो-शिकाकाई, फ्रेश, अफगान, कुटीर, होमाकोल, प्रिमियम, मीरा, मेडिमिक्स, विमल, चंद्रिका, गंगा, सिंथाल, धनश्री, सर्वोदय तथा लघु-कुटीर उद्योग के अन्य स्थानीय उत्पादन	लक्स, लिरील, लाईफबॉय, पियर्स, रेक्सोना, हमाम, जय, मोती, कॅमे, डॉव, पॉण्ड्स, पामऑलिव, जॉन्सन, क्लिएरसिल, डेटॉल, लेसान्सी, जस्मीन, गोल्डमिस्ट, लक्मे, ॲमवे, क्वांटम, मार्गो
कपड़े धोने का साबुन	स्वस्तिक, सेवा, फास, आधुनिक, निरमा, ऑक्टो, विनर, डीपोलीन, टी-सीरीज, होमाकोल, डेट, पीतांबरी, बी.बी., फेना, उजाला, टाटा शुद्ध, हंसी, घड़ी, जेंटिल तथा अन्य कुटीर और लघु उद्योग के निर्मित साबुन	सनलाईट, व्हील, एरियल, चेक, डवल, ट्रीलो, ५०१, ओके, की, रिवेल, ॲमवे, क्वांटम, सर्फ एक्सेल, रिन, विमबार, रॉबिन ब्लू और हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के अन्य उत्पादन
टूथपेस्ट दंतमंजन टूथब्रश	स्वदेशी, बबूल, प्रॉमिस, विको, अमर, औरा, अँकर, डाबर, चॉईस, ट्रू-जेल, मिसवाक, अजय, हर्बोडेंट, अजंता, गरवारे ब्रश, क्लासिक, ईगल, दंतपोला, बंदर छाप, वैद्यनाथ, इमामी, युवराज, और अन्य स्थानीय उत्पादन	कोलगेट, सिबाका, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिग्नल, मॅक्लीन्स, प्रुडंट, ॲमवे, क्वांटम, अक्वा फ्रेश, नीम, ओरल-बी, फोरहॅन्स
दाढ़ी का साबुन ब्लेड्स	गोदरेज, अफगान, इमामी, सुपर, स्वदेशी, सुपरमॅक्स, अशोक, पनामा, वी-जॉन, टोपाज, प्रीमियम, पार्क ॲवेन्यू, लेझर, विद्युत, जे.के. तथा अन्य स्थानीय उत्पादन	पामऑलिव, ओल्ड स्पाईस, निविया, पॉन्ड्स, प्लैटिनम, जिलेट, सेवेन-ओ-क्लाक, विलमैन, विल्टेज, इरॅस्मिक, स्विस, लॅक्मे, डेनिम
सौंदर्य प्रसाधन औषधि	टिप्स एण्ड टोज, श्रृंगार, सिंथॉल, संतूर, इमामी, अफगान, बोरोप्लस, तुलसी, विको टर्मरिक, आर्निका, हेयर एण्ड केयर, हिमानी, पॅराशूट, डॅन्ड्रफ सोल्यूशन, सिल्केशा, हिमताज, फेम, वलसारा, जे.के., डाबर, झंडू, सांडू, वैद्यनाथ, हिमालय, भास्कर, तन्वी, बोरोलीन, केराफेड़, बजाज सेवाश्रम, प्रकाश, कोकोराज, प्रिमियम, मूव, क्रॅक क्रीम, पार्क ॲवेन्यू तथा अन्य स्थानीय उत्पादन	जॉनसन, पॉण्ड्स, ओल्ड स्पाईस, क्लियरसिल, ब्रिलक्रीम, फेयर एण्ड लवली, वेल्वेट, मेडीकेयर, लेवेंडर, नायसिल, शॉवर टू शॉवर, क्यूटीकुरा, लिरिल, लॅक्मे, डेनिम, ऑरगॅनिक्स, पॅन्टीन, रूट्स, हेड एण्ड शोल्डर, ॲमवे, क्वांटम, क्लीनिक, निहार, कोको केयर
बिस्कीट चॉकलेट दुग्ध उत्पादन ब्रेड	न्यूट्रीन, शांग्रीला, चॅम्पियन, ॲम्ब्रो, पारले, साठे, वेकमन, प्रियागोल्ड, मोनॅको, क्रॅकजॅक, गिट्स, शालीमार, पॅरी, रावलगांव, नीलगिरी, क्लासिक, अमूल, न्यूट्रामूल, मॉन्जीनीज, आरे, कॅम्पको, सम्राट, रॉयल, विजया, इंडाना, सफल, एशियन, विब्ज् ब्रेड, वेरका, सागर, सपन तथा अन्य स्थानीय उत्पादन	ब्रिटानिया-गुड डे, टाईगर, मारी, नेसले, कॅडबरी, बोर्नव्हिटा, हॉर्लिक्स, बूस्ट, मिल्कमेड, किसान, मॅगी, फॅरेक्स, अनिकस्प्रे, कॉम्प्लान, किटकॅट, डवल डेकर, चार्ज, एक्लेअर, मॉडर्न ब्रेड, ब्रिटानिया ब्रेड, माल्टोवा, व्हिवा, मिल्कफूड, माइलो
चाय कॉफी	गिरनार, हसमुख, टाटा टी, आसाम टी, सोसायटी, सपट (इंस्टंट), डंकन, ब्रह्मपुत्र, एम.आर., सन टिप्स, इंडिया, अशोक, तेज, टाटा कॅफे, कंसोलिडेटेड कॅफे, टाटा-टेटली और अन्य स्थानीय उत्पादन	ब्रुक बॉंड, ताजमहल, रेड-लेबल, डायमंड, लिप्टन, ग्रीन लेवल, टाईगर, नेसकॅफे, नेसले, डेल्का, ब्रू, सनराईज, थ्री फ्लावर्स
शीतपेय शरबत, चटनी अचार, मुरब्बा	एनर्जी, सोसयो, कॅम्पाकोला, गुरूजी, ओन्जुस, जाम्पिन, नीरो, पिंगो, फ्रूटी, आस्वाद, डाबर, माला, रॉजर्स, बिसलेरी, रसना, हमदर्द, मॅप्रो, रेनबो, कॅल्वर्ट, स्वीटेम्बिका, रूह-आफजा, जय गजानन, हल्दीराम, गोकुल, बीकानेर, बेकफील्ड, नोगा, प्रिया, अशोक, मदर्स रेसेपी, उमा तथा अन्य स्थानीय उत्पादन	लेहर, पेप्सी, सेवन-अप, मिरींडा, टीम, कोका-कोला, मॅकडॉवेल, मॅगोला, गोल्डस्पॉट, लिम्का, सिट्रा, थम्स-अप, स्प्रिंट, ड्यूक्स, फॅन्टा, कॅडबरी, कॅनडा ड्राय, क्रश
आईस्क्रीम	दिनशॉ, जॉय, वाडीलाल, श्रीराम, पेस्तनजी, नेचर वर्ल्ड, गोकुल, अमूल, हिमालय, निरुला, आरे, पेरीना, मदर डेयरी, अशोका, विंडी, हॅव-मोर, वेरका तथा अन्य स्थानीय उत्पादन	कॅडबरी, डॉलॉप, नाईस, ब्रुक ब्रांड के उत्पादन, वॉल्स, क्वालिटी, बास्कीन-रॉबिन्स, यांकी-डूडल्स, कॉरनेट्टो
खाद्यतेल खाद्यपदार्थ	मारुति, पोस्टमॅन, धारा, रॉकेट, गिन्नी, स्वीकार, कॉरनेला, रथ, मोहन, उमंग, विजया, सपन, पॅराशूट, अशोक, सफोला, कोहिनूर, मधुर, इंजन, गगन, अमृत वनस्पति, रामदेव, एमडीएच, एवरेस्ट, बेडेकर, कुवल, सहकार, लिज्जत, गणेश, शक्तिभोग आटा, टाटा नमक, तथा अन्य स्थानीय उत्पादन	डालडा, क्रिस्टल, लिप्टन, अन्नपूर्णा नमक, आटा और चपाती, मॅगी, किसान, तरला, ब्रुक-बॉंड, पिल्सबरी आटा, कॅप्टन कुक नमक और आटा, मॉडर्न चपाती, कारगिल आटा
विद्युत उपकरण गृहोपयोगी वस्तु घड़ियां	विडियोकॉन, बी.पी.एल., ओनिडा, सलोरा, ई टी एण्ड टी, टी-सीरीज, नेल्को, वेस्टन, अपट्रॉन, केल्ट्रान, कॉस्मिक, टीवीएस, गोदरेज, क्राउन, बजाज, उषा, पोलर, ऍंकर, सूर्या, ओरिएन्ट, सिन्नी, टूल्लु, क्रॉम्पटन, रवि, शंकर, कैलाश, जय, श्रीराम, लॉइडस्, ब्लू स्टार, व्होल्टास, कूल होम, खेतान, एव्हरेडी, जीप, नोविनो, निर्लेप, इलाईट, अंजलि, सुमित, जयको, टाइटन, अजन्ता, एचएमटी, मैक्सिमा, आल्विन घड़ी, बंगाल, मैमूर, हॉकिन्स, प्रेस्टीज, राजेश प्रेशर कुकर और अन्य स्थानीय उत्पादन	जीईसी, फिलिप्स, सोनी, टीडीके, निप्पो, नॅशनल-पॅनासोनिक, शार्प, जीई, व्हर्लपूल, सॅमसंग, देवू, तोशीबा, एल जी, हिताची, थॉमसन, इलेक्ट्रोलक्स, अकाई, सानसुई, केनवुड, आइवा, ऑल्विन फ्रिज, कॅरियर, कोंका, टपरवेयर, जापान लाईफ, ओमेगा, टाइमेक्स, राडो
लेखन सामग्री	जीफ्लो, बिल्सन, कॅम्लिन, रेक्सलॉन, रोटोमॅक, सेलो, स्टिक, चंद्रा, मोंटेक्स, कॅमल, बिट्टू, स्टिक, स्लेटो, कोलो, भारत, त्रिवेणी, फ्लोरा, अप्सरा, नटराज, लायन, हिंदुस्तान, ओमेगा, लोटस तथा अन्य स्थानीय उत्पादन	पार्कर, पायलट, विंडसर-न्यूटन, फायवर-कॅसल, लक्झर, बिक, मॉट ब्लॅक, कोरस, ऐस, रोटरिंग
जूते, चप्पल पॉलिश	लखानी, लिबर्टी, स्टॅन्डर्ड, ॲक्शन, पॅरागॉन, फ्लॅश, करोना, वेलकम, रेक्सोना, रिलॅक्सो, लोटस, रेड-टेप, फिनिक्स, वायकिंग, बिल्ली, कार्नोवा, किवी शू पॉलिश, तथा अन्य स्थानीय उत्पादन	बाटा, प्यूमा, पॉवर, चेरी-ब्लॉसम, आदिदास, रिबॉक, नाइक, लीकूपर, गैसोलीन
तैयार कपड़े	मफतलाल, ट्रेंड, केम्ब्रिज, चरागदीन, डबल बुल, झोडिएक, अरविंद डेनिम, डॉन, प्रोलीन, टीटी, लक्स, अमूल, वीआईपी, रूपा, रेमण्ड, पार्क एवेन्यू, अल्टिमो, न्यूपोर्ट, किलर, एक्सकॅलिवर, फ्लाईंग मशीन, ड्यूक्स, और कलकत्ता, लुधियाना तथा तिरुपुर के सभी होजियरी सहित अन्य स्थानिक उत्पादन	ली के सभी उत्पादन, पीटर इंग्लंड, बर्लिंगटन, ॲरो, लकोस्ट, सॅनफ्रिस्को, कलरप्लस, वॅन हुसेन, लुई फिलिप, लेविस, पेपे जीन्स, रॅंगलर, बेनेटोन, रीड एण्ड टेलर, ॲलेन सॉली, बायफोर्ड

प्रकाशक : स्वदेशी जागरण प्रकाशन, 60, नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-110 001 ● दूरभाष : 3018175

Scanned with OKEN Scanner

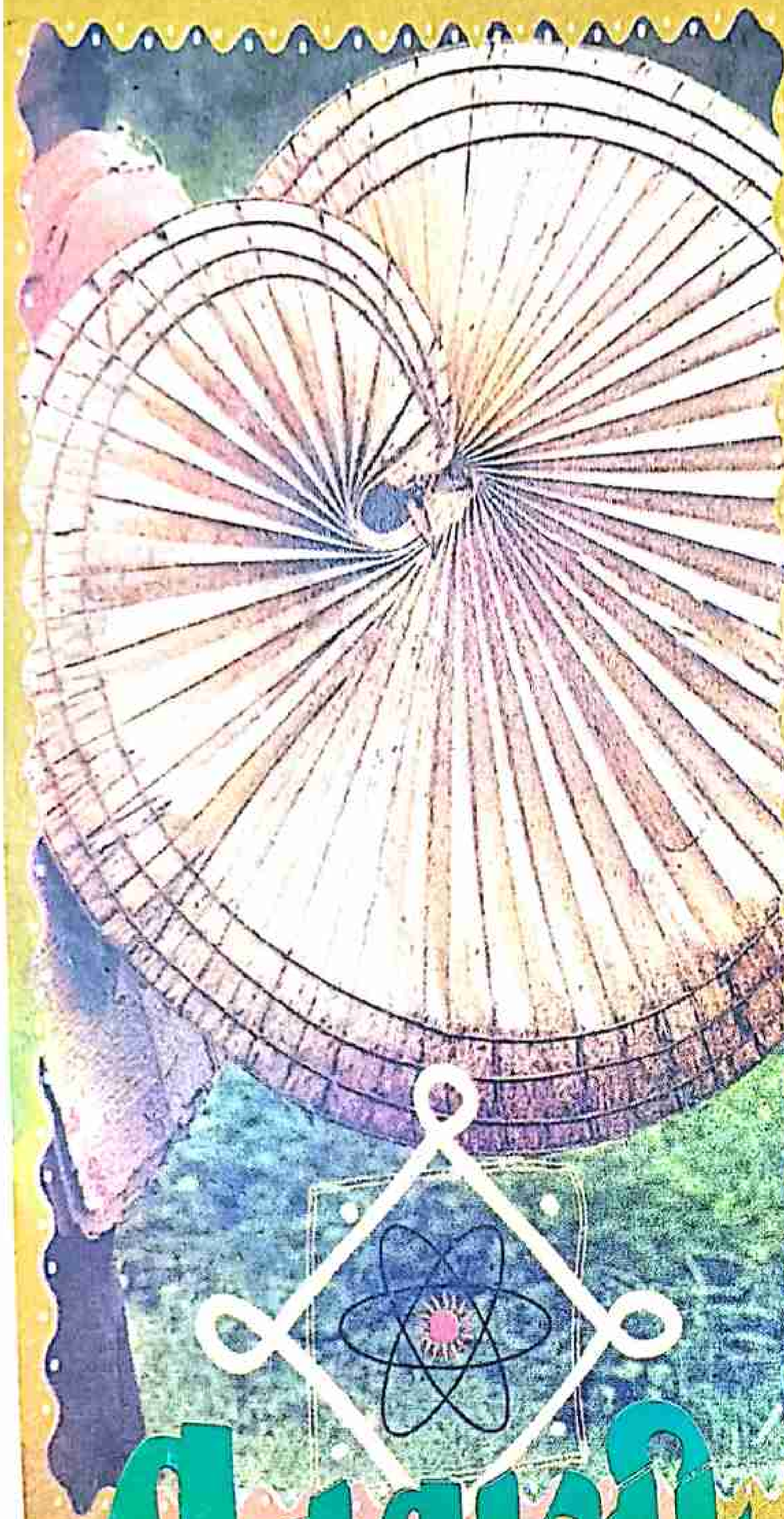

स्वदेशी वनवासी मेला

8th-13th February 2001, New Delhi

A vision of self reliance

बहुरंगी प्रदर्शनियाँ

- आदिवासी कला
- हस्तकरधा शिल्प
- खाद्य सामग्रियाँ
- वन-औषधियाँ

झमाझम सांस्कृतिक कार्यक्रम

- लोकनृत्य, संगीत
- वनवासी अठखेलियाँ

विचारोत्तेजक संगोष्ठी,
चर्चा, मधुर-मिलन
क्रेता-विक्रेता
का

स्थान :- जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई

तिथि : 8-13 फरवरी, 20

आयोजक: • भारतीय विपणन विकास केन्द्र, नई दिल्ली
• अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम

प्रोत्साहक: • जनजातीय कार्य मंत्रालय • ग्रामीण विकास मंत्रालय
• पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

ईश्वर दास महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण फाऊंडेशन के लिए कुमार ब्रदर्स प्रिंटिंग प्रेस, नवीन शाहदरा, दिल्ली-३२ से मुद्रित एवं ६०, नॉर्थ एवेन्यू से प्र